भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्व प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन सं0 - 5

विषय–सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय–I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	3
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ	1.2	6
संग्रहण की लागत	1.3	7
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.4	7
कर का अपवंचन	1.5	9
वापसी	1.6	9
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.7	10
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण	1.8	13
लेखापरीक्षा का प्रभाव	1.9	15
अध्याय–II : वाणिज्य–कर		
कर प्रशासन	2.1	18
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.2	18
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.3	20
संग्रहण की लागत	2.4	20
निर्धारिती की विवरणिका	2.5	21
संग्रहण का विश्लेषण	2.6	21
आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली	2.7	22
लेखापरीक्षा का प्रभाव	2.8	22
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	2.9	24
आवर्त का छिपाव	2.10	25
कर का गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण	2.11	27
इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	2.12	28
मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरूद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन	2.13	30
कटौतियों की गलत अनुमति	2.14	31
बोनस बिक्री पर कटौती की गलत अनुमति	2.15	32
निर्यात बिक्री पर कटौती का गलत दावा	2.16	33

कर के रियायती दर की गलत अनुमति	2.17	35
ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.18	36
कर का अधिक संग्रहण	2.19	36
रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना	2.20	37
स्वीकृत कर का कम भुगतान तथा विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.21	38
कर के भुगतान का अनियमित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण कर का कम आरोपण	2.22	39
बिक्री वापसी के मद में कटौती की गलत अनुमति	2.23	40
छूट का अधिक लाभ लिया जाना	2.24	40
आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	2.25	41
प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	2.26	42
निबंधन नहीं किए जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	2.27	43
प्रवेश कर का वसूली नहीं/कम वसूली किया जाना	2.28	44
विलासिता कर का कम आरोपण	2.29	45
विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति	2.30	46
अध्याय–III : राज्य उत्पाद		
कर प्रशासन	3.1	48
बजट बनाए जाने की प्रक्रिया	3.2	48
प्राप्तियों की प्रवृति	3.3	48
संग्रहण की लागत	3.4	49
आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली	3.5	50
लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.6	50
अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	3.7	52
उत्पाद राजस्व का गबन	3.8	53
उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के बाद अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली	3.9	55
अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता	3.10	56
अनुज्ञा शुल्क के विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	3.11	58
अध्याय–IV : वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	60
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.2	60

संग्रहण की लागत	4.3	61
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	4.4	61
आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली	4.5	62
लेखापरीक्षा का प्रभाव	4.6	62
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	4.7	64
मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना	4.8	65
ट्रेलर से एकमुश्त कर की कम वसूली	4.9	66
तीन पहिया वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली	4.10	67
व्यक्तिगत वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली	4.11	68
माल वाहक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना	4.12	69
ट्रैक्टर से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना	4.13	70
मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली	4.14	71
स्टेज वाहनों को परमिट की अनियमित अनुमति	4.15	72
अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों को सौंपे जाने के कारण राजस्व की हानि	4.16	73
अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ		
क : भू–राजस्व		
कर प्रशासन	5.1	76
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.2	76
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	5.3	77
आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली	5.4	77
लेखापरीक्षा का प्रभाव	5.5	77
ख : मुद्रांक एवं निबंधन फीस		
कर प्रशासन	5.6	79
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.7	79
संग्रहण की लागत	5.8	80
लेखापरीक्षा का प्रभाव	5.9	80
निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012–13 की अनुपालन की स्थिति	5.10	81
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	5.11	83
खास महाल भूमि का नवीकरण/बंदोबस्ती नहीं किए जाने के कारण राजस्व का वसूली नहीं होना	5.12	83
सैरात के डाक राशि की कम वसूली	5.13	84

सैरात के निष्पादित डीड पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं होना	5.14	85
डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट से मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	5.15	86
प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध होना	5.16	87
भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण	5.17	88
अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ		
अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग		
कर प्रशासन	6.1	90
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	6.2	90
लेखापरीक्षा का प्रभाव	6.3	91
'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ' एक समीक्षा	6.4	93
परिशिष्ट		121

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन में बिहार सरकार के वाणिज्य–कर, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, भू–राजस्व तथा खान एवं भूतत्व विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु लेखाओं की वर्ष 2012–13 के दौरान नमूना जाँच के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2011–12 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अर्न्तराष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 269.74 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण से संबंधित 41 कंडिकाएँ हैं, जिसमें एक समीक्षा के मामले भी शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2012–13 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 59,566.66 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 16,253.08 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 1,135.27 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 17,388.35 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 42,178.31 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 31,900.39 करोड़ और सहायता अनुदानः ₹ 10,277.92 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 29 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2012 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2013 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 4,165 एवं 23,327 थी जिसमें ₹ 10,847.46 करोड़ सन्निहित थे। 1,598 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.7.1)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2012–13 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 2,673 मामलों में ₹ 1,066.92 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण का पता चला। वर्ष 2012–13 के दौरान संबंधित विभागों ने 288 मामलों में सन्निहित ₹ 50.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.9.3)

II. वाणिज्य–कर

छः वाणिज्य–कर अंचलों में नौ व्यवसायियों द्वारा ₹ 42.53 करोड़ के विक्रय/क्रय आवर्त्त का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 18.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.10)

सतरह वाणिज्य–कर अंचलों में कर के गलत दर लगाए जाने का पता नहीं लगने के फलस्वरूप ब्याज एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 56.81 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.11)

नौ वाणिज्य–कर अंचलों में 17 व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 31.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.12)

नौ वाणिज्य–कर अंचलों में 12 व्यवसायियों द्वारा ₹ 219.81 करोड़ के वस्तुओं के आयात मूल्य का छिपाव किए जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 86.88 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.25)

III. राज्य उत्पाद

दो उत्पाद जिलों में कोषागार अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा की गई राशि का सत्यापन एवं उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा बिक्री अधिसूचना के शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व का गबन हुआ।

(कंडिका 3.8)

IV. मोटर वाहनों पर कर

उन्नीस जिला परिवहन कार्यालयों में फरवरी 2008 एवं अप्रैल 2013 के अवधि के बीच 671 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 1.19 करोड़ के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 3.48 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गयी थी।

(कंडिका 4.8)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

अतिक्रमणकारियों का निष्कासन एवं भूमि को पुनः बंदोबस्त करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 1.55 करोड़ की सलामी और लगान की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.12)

बिक्री विलेख को डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट मानते हुए उस पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण किए जाने के फलस्वरूप ₹ 4.44 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.15)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ' पर एक समीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा परिचारित मॉडल राज्य खनिज नीति, 2010 के अनुरूप राज्य खनन नीति तैयार नहीं की थी।

(कंडिका 6.4.2)

आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव, महत्वपूर्ण मूल पंजियों का संधारण नहीं किया जाना और विभागीय उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के कारण आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

(कंडिका 6.4.9)

अवैध खनिज की अधिप्राप्ति के लिये चार जिलों के कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 12.26 करोड़ का अर्थदण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.4.12)

माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बगैर खनिज उत्खनन हेतु ₹ 16.45 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.4.13)

तीन जिलों में पत्थर के अधिक प्रेषण हेतु ₹ 64.86 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई थी।

(कंडिका 6.4.18.3)

अध्याय– I

सामान्य

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने बिहार सरकार के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट आकलन एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता, राजस्व के बकायों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया तथा लेखापरीक्षा के प्रभाव को दर्शाया है।
राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बिहार सरकार के राजस्व प्राप्तियों में सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 17,388.35 करोड़ का राजस्व सृजित किया गया, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 71 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।
निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अवलोकनों का अनुपालन नहीं किया जाना	दिसम्बर 2012 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 4,165 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 23,327 कंडिकाएँ, जिसमें ₹ 10,847.46 करोड़ सन्निहित थे, जून 2013 तक अनुपालन के अभाव में लंबित थे। यहाँ तक कि दिसम्बर 2012 तक निर्गत किये गये 1,598 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के चार सप्ताह के अंदर कार्यालय अध्यक्ष से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुये थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये राशि का काफी कम वसूली	वर्ष 2007–08 से 2011–12 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभाग/सरकार ने ₹ 1,443.43 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 9.54 करोड़ की वसूली की गई थी।

लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012–13 के दौरान हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 281 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 2,673 मामलों में ₹ 1,066.92 करोड़ की राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण पाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 50.20 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 10.96 करोड़ से सन्निहित मामले वर्ष 2012–13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 29 मामलों में ₹ 70.47 लाख की वसूली की। इस प्रतिवेदन में ₹ 269.74 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से सन्निहित कर, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि का कम आरोपण/आरोपण नहीं किये जाने से संबंधित 41 कंडिकाएं हैं, जिसमें 'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ' पर एक समीक्षा शामिल है। विभाग/सरकार ने ₹ 42.76 करोड़ से सन्निहित अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 1.80 करोड़ की वसूली की गई।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की भी आवश्यकता है ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गये चूकों को भविष्य में टाला जाये। सरकार लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावकारी प्रक्रिया स्थापित करने हेतु समुचित कदम उठाये। वह उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने पर भी विचार कर सकती है, जो विहित समय सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर नहीं भेजते हैं अथवा जो समयबद्ध तरीके से हानि/बकाये मांग की वसूली हेतु कार्रवाई करने में विफल रहते हैं।

अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012–13 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

तालिका– 1.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	ब्योरे	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,172.74	8,089.67	9,869.85	12,612.10	16,253.08
	• कर भिन्न राजस्व	1,153.32	1,670.42	985.53	889.86	1,135.27
	कुल	**7,326.06**	**9,760.09**	**10,855.38**	**13,501.96**	**17,388.35**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	17,692.51	18,202.58	23,978.38	27,935.23	31,900.39[1]
	• सहायता अनुदान	7,962.12	7,564.16	9,698.56	9,882.98	10,277.92
	कुल	**25,654.63**	**25,766.74**	**33,676.94**	**37,818.21**	**42,178.31**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**32,980.69**	**35,526.83**	**44,532.32**	**51,320.17**	**59,566.66**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**22**	**27**	**24**	**26**	**29**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार ने विगत वर्ष के 26 प्रतिशत के विरूद्ध कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत राजस्व (₹ 17,388.35 करोड़) सृजित किया। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 71 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। वर्ष 2011–12 के ₹ 13,501.96 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2012–13

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11–लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0020–निगम कर, (11,458.90 करोड़) 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, (₹ 6,860.25 करोड़) 0032–सम्पत्ति पर कर, (₹ 19.32 करोड़) 0037–सीमा शुल्क, (₹ 5,301.09 करोड़) 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, (₹ 3,602.64 करोड़) 0044–सेवा पर कर (₹ 4,658.19 करोड़) लघु शीर्ष–901–निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क –कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 17,388.35 करोड़) में 28.78 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से कर राजस्व में 28.87 प्रतिशत की वृद्धि एवं कर भिन्न राजस्व में 27.58 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई, जैसाकि कंडिका 1.1.2 एवं 1.1.3 में वर्णित है।

1.1.2 निम्न तालिका वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

तालिका– 1.2

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	वर्ष 2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,016.47	3,839.29	4,557.18	7,476.36	8,670.79	(+) 15.98
2.	राज्य उत्पाद	679.14	1,081.68	1,523.35	1,980.98	2,429.82	(+) 22.66
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	716.19	997.90	1,098.68	1,480.07	2,173.02	(+) 46.82
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	67.62	66.63	65.22	54.69	102.55	(+) 87.51
5.	वाहनों पर कर	297.74	345.13	455.43	569.13	673.39	(+) 18.32
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,279.41	1,613.16	2,006.32	828.30	1,932.12	(+) 133.26
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	शून्य	शून्य	शून्य	29.56	36.95	(+) 25.00
8.	भू–राजस्व	101.74	123.96	139.02	167.49	205.45	(+) 22.66
9.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	14.43	21.92	24.65	25.52	28.99	(+) 13.60
कुल		**6,172.74**	**8,089.67**	**9,869.85**	**12,612.10**	**16,253.08**	**(+) 28.87**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

संबंधित विभागों ने वर्ष 2011–12 की तुलना में 2012–13 के दौरान कर राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर : यह वृद्धि (15.98 प्रतिशत), 26 जून 2012 के प्रभाव से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों पर कर का दर 13.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तथा 22 जून

2012 के प्रभाव से कार्य संविदा पर स्रोत पर कर की कटौती की दर चार प्रतिशत से पाँच प्रतिशत बढ़ाने के कारण हुई।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस : यह वृद्धि (46.82 प्रतिशत), सम्पूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्य पंजी को 31 मार्च 2012 से पुनरीक्षित किए जाने के कारण हुई।

मोटर वाहनों पर कर : यह वृद्धि (18.32 प्रतिशत), 31 मार्च 2012 के प्रभाव से व्यक्तिगत वाहनों पर कर के दर में वृद्धि किए जाने के कारण हुई।

भू–राजस्व : यह वृद्धि (22.66 प्रतिशत), अन्य विभागों/प्राधिकारों से भू–अर्जन हेतु स्थापना प्रभारों के संग्रहण तथा सरकारी भूमि के अंतरण हेतु वाणिज्यिक संगठनों से 25 वर्षों के लिए वार्षिक लगान के पूंजीगत मूल्य के संग्रहण के कारण हुई।

मई एवं अगस्त 2013 के बीच माँगे जाने के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (नवंबर 2013)।

1.1.3 निम्न तालिका वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

तालिका– 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	वर्ष 2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	304.57	353.27	237.96	573.70	167.12	(–) 70.87
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	6.15	6.78	7.64	11.04	16.60	(+) 50.36
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	245.00	319.93	405.59	443.10	511.08	(+) 15.34
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	385.82	770.28	0.34	(–)383.78	22.03	(+) 105.74
5.	मध्यम सिंचाई	10.64	14.80	15.45	17.59	13.99	(–) 20.47
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	17.25	14.08	15.33	23.91	41.02	(+) 71.56
7.	मत्स्य पालन	6.87	7.87	7.28	10.16	11.79	(+) 16.04
8.	पथ एवं पुल	26.40	30.02	39.60	60.35	32.56	(–) 46.05
9.	पुलिस	9.44	11.89	11.85	9.26	25.01	(+) 170.09
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	8.09	9.42	19.98	11.49	10.01	(–) 12.88
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	133.09	132.08	224.51	113.04	284.06	(+) 151.29
कुल		**1,153.32**	**1,670.42**	**985.53**	**889.86**	**1,135.27**	(+) **27.58**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

जैसाकि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, यह वृद्धि (15.34 प्रतिशत) बालू घाटों की अधिक बंदोबस्ती के कारण हुई।

वर्ष 2012–13 के बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार, कर भिन्न राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का कारण नीचे दिया गया है:

ब्याज प्राप्तियाँ : यह कमी (70.87 प्रतिशत) मुख्य रूप से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज एवं नकद शेषों के निवेश पर ब्याज की वसूली में कम प्राप्ति के कारण हुई।

पुलिस : यह वृद्धि (170.09 प्रतिशत), मुख्य रूप से फीस, दंड एवं जब्ती के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य : यह वृद्धि (71.56 प्रतिशत), मुख्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अधिक प्राप्तियों एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत रोगियों से प्राप्ति/योगदान के कारण हुई।

मई एवं अगस्त 2013 के बीच माँगे जाने के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (नवंबर 2013)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2012–13 के लिए कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ नीचे दी गई है:

तालिका– 1.4

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+) या ह्रास (–)	प्रतिशतता
•	**कर राजस्व**				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,071.00	8,670.79	(+) 599.79	(+) 7.43
2.	राज्य उत्पाद	2,715.00	2,429.82	(–) 285.18	(–) 10.50
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1,906.00	2,173.02	(+) 267.02	(+) 14.01
4.	वाहनों पर कर	644.40	673.39	(+) 28.99	(+) 4.50
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	60.70	102.55	(+) 41.85	(+) 68.95
6.	भू–राजस्व	185.00	205.45	(+) 20.45	(+) 11.05
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	41.99	28.99	(–) 13.00	(–) 30.96
8.	माल एवं यात्रियों पर कर	2,800.00	1,932.12	(–) 867.88	(–) 31.00
9.	आय तथा व्यय पर अन्य कर– व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	31.00	36.95	(+) 5.95	(+) 19.19
•	**कर भिन्न राजस्व**				
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	470.00	511.08	(+) 41.08	(+) 8.74
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	7.05	16.60	(+) 9.55	(+) 135.46
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	263.74	167.12	(–) 96.62	(–) 36.63
4.	मध्यम सिंचाई	4.00	13.99	(+) 9.99	(+) 249.75

(श्रोतः राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

भू–राजस्व : यह वृद्धि (11.05 प्रतिशत), अन्य विभागों/प्राधिकारों से भू–अर्जन हेतु स्थापना प्रभारों के संग्रहण तथा सरकारी भूमि के अंतरण हेतु वाणिज्यिक संगठनों से 25 वर्षों के लिए वार्षिक लगान के पूंजीगत मूल्य के संग्रहण के कारण हुई।

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग : यह वृद्धि (8.74 प्रतिशत) बालू घाटों की अधिक बंदोबस्ती के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2013 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2012–13 की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2011–12 में संग्रहण पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है:

तालिका– 1.5

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	2011–12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	वाणिज्य–कर[2]	10,771.40	78.86	0.73	0.83
2.	राज्य उत्पाद	2,429.82	42.67	1.76	2.98
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	2,173.02	45.50	2.09	1.89
4.	वाहनों पर कर	673.39	25.28	3.75	2.96

(श्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2012–13 के दौरान मुद्रांक एवं निबंधन फीस तथा वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता, वर्ष 2011–12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

संग्रहण की लागत में कमी लाने हेतु सरकार को उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.4 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

विभागों द्वारा यथा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2013 को बकाया राजस्व ₹ 1,631.74 करोड़ था, जिसमें से ₹ 666.65[3] करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

2 वाणिज्य–कर विभाग के सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

3 भू–राजस्व को छोड़ कर, जिसका ब्योरा विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है।

तालिका– 1.6

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभियुक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	916.32	437.78	₹ 916.32 करोड़ में से ₹ 334.30 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 79.58 करोड़ एवं ₹ 13.11 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी एवं ₹ 13.78 करोड़ की वसूली सुधार/अपील की राशि की समीक्षा हेतु रोकी गई थी। ₹ 475.55 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	2.40	2.34	₹ 2.40 करोड़ में से ₹ 1.49 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 69.08 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 21.45 लाख अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
3.	माल एवं यात्रियों पर कर (प्रवेश कर)	142.31	3.17	₹ 142.31 करोड़ में से ₹ 10.29 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 5.01 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 127.01 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर (मनोरंजन कर)	10.73	4.05	₹ 10.73 करोड़ में से ₹ 9.47 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 4.52 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.22 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	राज्य उत्पाद	66.61	9.00	₹ 66.61 करोड़ में से ₹ 8.95 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 1.83 करोड़ एवं ₹ 9.30 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। ₹ 25.12 लाख एवं ₹ 5.33 लाख की वसूली सुधार/आवेदन की समीक्षा हेतु तथा व्यवसायी/पक्ष के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी। ₹ 35.74 लाख माफी के योग्य थे तथा ₹ 55.07 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
6.	वाहनों पर कर	185.47	113.06	₹ 185.47 करोड़ की पूर्ण राशि की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे।
7.	भू–राजस्व	107.21	उपलब्ध नहीं	माँगें जाने (मई एवं अगस्त 2013 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।

8.	खान एवं खनिज	200.69	97.25	₹ 200.69 करोड़ में से ₹ 184.59 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। विभाग ने शेष बकायों के लिए कार्यवाही की स्थितियाँ प्रस्तुत नहीं किये।
कुल		**1,631.74**	**666.65**	

(श्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

1.5 कर का अपवंचन

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं सृजित माँग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे दिये गए हैं:

तालिका–1.7

विभाग का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाये मामले	वर्ष 2012–13 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2012–13 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2013 तक लम्बित मामलों की संख्या
				मामलों की सं0	राशि (₹ लाख में)	
वाणिज्य–कर	189	426	615	321	209.33	294

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वाणिज्य–कर विभाग में 31 मार्च 2013 तक के कुल बकाये मामलों का सिर्फ 52 प्रतिशत ही निष्पादित किया गया था।

1.6 वापसी

वर्ष 2012–13 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष के अंत में (मार्च 2013) लम्बित मामले, जैसा कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, नीचे दिये गए हैं :

तालिका– 1.8

(₹ लाख में)

क्रम सं0	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,383	8,226.09	103	96.74	6	2.00	379	923.90
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	457	12,825.26	12	435.17	शून्य	शून्य	502	1,234.61
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	132	12,984.42	15	423.08	शून्य	शून्य	443	1,151.98
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,708	8,066.93	100	108.83	6	2.00	438	1,006.53

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

यह देखा जा सकता है कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं राज्य उत्पाद से संबंधित काफी संख्या में वापसी मामले लंबित थे।

सरकार लंबित वापसी मामलों को निपटाये जाने हेतु प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.7.1 लेखापरीक्षा अवलोकनों का अनुपालन

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के रूप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को इसकी प्राप्ति से चार सप्ताह के अंदर प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन की कंडिका 199 के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यालय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रति कार्यालय प्रमुख को भेजेगें तथा विभाग के प्रमुख का यह कर्तव्य है कि उचित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु ऐसे मामलों को देखें तथा लेखापरीक्षा कार्यालय को अनुपालन प्रतिवेदित करें।

दिसम्बर 2012 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से स्पष्ट था कि जून 2013 के अंत तक 4,165 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,847.46 करोड़ से सन्निहित 23,327 कंडिकाएँ लंबित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ नीचे दी गई है:

तालिका– 1.9

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,259	3,858	4,165
लंबित कंडिकाओं की संख्या	22,364	20,979	23,327
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	10,404.30	8,754.19	10,847.46

30 जून 2013 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका– 1.10

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	652	7,620	5,136.46
		प्रवेश कर	143	322	74.06
		विद्युत शुल्क	21	25	16.74

		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	13	21	0.61
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	470	2,388	1,574.59
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	1,471	6,102	1,132.72
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	517	3,337	1,261.82
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	487	1,333	229.72
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	391	2,179	1,420.74
कुल			**4,165**	**23,327**	**10,847.46**

यहाँ तक कि दिसम्बर 2012 तक निर्गत किए गए 1,598 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उचित कदम उठाये। उत्तरदायित्व प्रणाली को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से निर्धारित समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु भी विचार कर सकती है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के त्वरित निष्पादन की प्रगति एवं अनुश्रवण करने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों (विभिन्न अवधियों के दौरान) का गठन किया। वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्य–कर विभाग के साथ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें 14 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 32 कंडिकाएं निष्पादित की गई। पूरे वर्ष (2012–13) के दौरान सिर्फ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित किया जाना सरकार को ज्यादा संख्या में बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निष्पादन से वंचित कर दिया था, जैसा कि पूर्ववर्त्ती कंडिका में वर्णित है।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.7.3 चालू वर्ष के प्रतिवेदन की प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने सभी विभागों को निर्देश निर्गत (अगस्त 1967) किया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजें। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन की कंडिका 207 (1) के अनुसार महालेखाकार प्रारूप कंडिकाओं को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 41 प्रारूप कंडिकाओं, जिसमें एक समीक्षा भी शामिल है, को संबंधित विभागों के सचिवों को जून और सितम्बर 2013 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया गया था।

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग के आयुक्त–सह–सचिव ने क्रमशः 10 एवं चार प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर भेजा। सरकार ने खान एवं खनिज से प्राप्तियों पर समीक्षा का भी उत्तर भेजा। वाणिज्य–कर विभाग ने भी 10 कंडिका का आंशिक उत्तर भेजा।

1.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वित्त विभाग, बिहार सरकार के अनुदेशों की हस्तक (1998) के अनुसार संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी विधानसभा सचिवालय को लेखापरीक्षा द्वारा सम्पादन किये जाने के बाद दो महीने के भीतर प्रस्तुत करना है। ऐसी टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के तिथि से दो माह के भीतर लोक लेखा समिति के सूचना की प्रतीक्षा किए बिना प्रस्तुत करना है।

हमने स्थिति की समीक्षा की एवं पाया कि जुलाई 2013 तक 10 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2010–11 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 57 कंडिकाओं के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि आठ माह से लेकर 19 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे तालिका में उल्लिखित है:

तालिका– 1.11

क्रम सं0	विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	माह, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया	माह, जिसमें विभागीय टिप्पणियाँ बकाये हुए	कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे	विलम्ब (माह में)
1.	वित्त	2004–05	मार्च 2006	जून 2006	01	85
2.	वित्त (वाणिज्य–कर)	2005–06 से 2010–11	जुलाई 2007 से अगस्त 2012	अक्तूबर 2007 से नवंबर 2012	30	8 से 69
3.	राज्य उत्पाद	1990–91	मार्च 1994,	जून 1994	01	229
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	2005–06, 2008–09	जुलाई 2007, जुलाई 2010	अक्तूबर 2007, अक्तूबर 2010	02	33 से 70
5.	निबंधन	2003–04	दिसम्बर 2005	मार्च 2006	01	88
6.	परिवहन	2010–11	अगस्त 2012	नवंबर 2012	06	8

7.	वन एवं पर्यावरण	2005–06 से 2007–08	जुलाई 2007 से जुलाई 2009	अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2009	06	45 से 69
8.	जल संसाधन	1995–96, 1997–98, 2005–06 से 2010–11	मार्च 1997, अगस्त 1999, जुलाई 2007 से अगस्त 2012	जून 1997, नवंबर 1999, अक्तूबर 2007 से नवंबर 2012	08	8 से 193
9.	शहरी विकास	1997–98	अगस्त 1999	नवंबर 1999	01	164
10.	पथ निर्माण	2010–11	अगस्त 2012	नवंबर 2012	01	8
कुल					**57**	

व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब इस बात का द्योतक है कि कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, इनमें से कुछ की वसूली अब कालातीत हो सकती है।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में **वाणिज्य–कर विभाग** से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया। विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2002–03 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.8.1 एवं 1.8.2 में उल्लिखित हैः

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अगस्त 2013 तक विगत दस वर्षों के दौरान वाणिज्य–कर से संबंधित निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका–1.12

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि
2002–03	281	2,575	1,350.56	39	287	11.20	शून्य	शून्य	शून्य	320	2,862	1,361.76
2003–04	320	2,862	1,361.76	29	230	13.59	शून्य	शून्य	शून्य	349	3,092	1,375.35
2004–05	349	3,092	1,375.35	67	537	188.64	शून्य	शून्य	शून्य	416	3,629	1,563.99
2005–06	416	3,629	1,563.99	79	399	158.76	शून्य	शून्य	शून्य	495	4,028	1,722.76
2006–07	495	4,028	1,722.76	62	292	59.60	शून्य	शून्य	शून्य	557	4,320	1,782.35
2007–08	557	4,320	1,782.35	52	288	186.37	शून्य	शून्य	शून्य	609	4,608	1,968.72
2008–09	609	4,608	1968.72	45	292	55.97	शून्य	शून्य	शून्य	654	4,900	2,024.69
2009–10	654	4,900	2024.69	58	598	673.76	शून्य	शून्य	शून्य	712	5,498	2,698.45
2010–11	712	5,498	2698.45	19	357	1,293.97	शून्य	शून्य	शून्य	731	5,855	3,992.43
2011–12	731	5,855	3992.43	39	778	387.84	1	97	22.18	769	6,536	4,358.08

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के अत्यधिक संचयन को देखते हुए लंबित कंडिकाओं (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन), निष्पादन लेखापरीक्षा, माननीय न्यायालय में लंबित मामलों तथा गबन से संबंधित मामलों, जिसमें लोक लेखा समिति/माननीय न्यायालयों का अंतिम निर्णय बाकी है, को छोड़कर वर्ष 1995–96 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी विभागों पर छोड़ दिया गया था (अगस्त 2006)।

1.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.8.2.1 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले की स्थिति नीचे वर्णित है:

तालिका– 1.13

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की सं0	कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कंडिकाओं की सं0	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा प्रतिवेदित मामलों में की गई वसूली की स्थिति (₹ लाख में)
2002–03	9	28.40	1–आंशिक	0.06	39.58
2003–04	8	301.71	1–आंशिक	9.04	500.90
2004–05	9	34.36	9(3–आंशिक)	19.76	56.31
2005–06	18	21.38	7–आंशिक	10.95	56.55
2006–07	12	46.08	2–आंशिक	8.44	18.52
2007–08	12	153.70	5–आंशिक	115.63	5.64
2008–09	15	619.33	11(4–आंशिक)	293.17	76.39
2009–10	13	841.96	11(7–आंशिक)	716.28	38.35
2010–11	22	863.17	15(13–आंशिक)	828.25	113.29
2011–12	16	261.78	11(8–आंशिक)	58.84	शून्य
कुल	**134**	**3,171.87**	**73(51–आंशिक)**	**2,060.42**	**905.53**

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि वर्ष 2002–03 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 134 कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 3,171.87 करोड़ राशि में से सरकार/विभाग ने ₹ 2,060.42 करोड़ से सन्निहित 73 कंडिकाओं को स्वीकार किया जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 9.06 करोड़ (0.44 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी।

सरकार/विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित सरकारी राजस्व की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.8.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा किए गए समीक्षा प्रारूप प्रतिवेदन को संबंधित विभागों/सरकार को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन समीक्षा के प्रतिवेदनों पर अन्तिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फरेंस) में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षा को अंतिम रुप देने के समय विभागों/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

वाणिज्य–कर विभाग की प्राप्तियों पर वर्ष 2002–03 एवं 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 31 अनुशंसाओं से समाहित छः समीक्षा लेखापरीक्षा शामिल थी। विभाग ने

वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में किये गये अनुशंसाओं को स्वीकार किया। शेष समीक्षाओं पर अनुशंसाओं की स्वीकृति तथा उनपर की गई कार्यवाई से संबंधित सूचना हेतु हम प्रतीक्षित (नवंबर 2013) हैं, जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

तालिका– 1.14

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षाओं का नाम	अनुशंसाओं की संख्या
2002–03	घोषणा प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों की लेखांकन एवं उपयोगिता	2
2003–04	बिक्री कर के राजस्व के बकाये	5
2007–08	कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण	4
2008–09	बिहार में मूल्यवर्द्धित कर का क्रियान्वयन	8
2010–11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता	6
2011–12	वाणिज्य–कर विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	6

1.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 एवं 2011–12 के बीच के वर्षों के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 1,443.43 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 9.54 करोड़ की राशि वसूल की गई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका– 1.15

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	523.80	417.47	5.50
2008–09	838.92	709.78	0.78
2009–10	977.82	96.16	0.45
2010–11	893.61	155.08	2.34
2011–12	568.99	64.94	0.47
कुल	**3,803.14**	**1,443.43**	**9.54**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि स्वीकार की गई राशि की तुलना में स्वीकार किये गये मामलों से संबंधित वसूली काफी कम (0.66 प्रतिशत) थी।

1.9.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने ₹ 7,198.51 करोड़ से सन्निहित 8,041 लेखापरीक्षा अवलोकन दिया, जिसमें से विभागों/सरकार ने ₹ 2,820.94 करोड़ को स्वीकार किया तथा 31 मार्च 2013 तक ₹ 6.75 करोड़ की राशि की वसूली की, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका– 1.16

वर्ष	अवलोकन दिये गये मामलों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	1,253	843.09	221.72	1.05
2008–09	1,220	965.35	684.49	1.17
2009–10	1,951	2,146.31	1,696.54	0.93
2010–11	1,802	1,942.93	80.26	0.89
2011–12	1,815	1,300.83	137.93	2.71
कुल	**8,041**	**7,198.51**	**2,820.94**	**6.75**

यहाँ तक कि स्वीकार किये गये मामलों के विरूद्ध नगण्य वसूली सरकारी राशि की वसूली में तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

सरकार को कम से कम स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित राशि की तत्परता से वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.9.3 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012–13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग एवं अन्य विभागीय कार्यालयों के 281 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 2,673 मामलों में ₹ 1,066.92 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण पाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 288 मामलों में सन्निहित ₹ 50.20 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 10.96 करोड़ से सन्निहित 103 मामले वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 29 मामलों में ₹ 70.47 लाख संग्रहित किया।

1.9.4 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपित किए जाने से संबंधित ₹ 269.74 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 41 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) हैं, जिसमें **'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ'** पर एक समीक्षा शामिल है। विभागों/सरकार ने ₹ 42.76 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 1.80 करोड़ की वसूली की गई। इन कंडिकाओं/समीक्षा को अनुवर्ती अध्याय II से VI में चर्चा की गई है।

अध्याय– II

वाणिज्य–कर

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने वाणिज्य–कर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2012–13 में नमूना जाँच के दौरान पाए गए अवलोकनों से चयनित आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, अवनिर्धारण आदि से संबंधित अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 224.67 करोड़ से समाहित कुछ दृष्टांतस्वरूप मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पिछले कई वर्षों से निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा इस तरह की गलतियों को इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह के चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, कर निर्धारण प्राधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ रहे।
प्राप्तियों की प्रवृति	वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में राज्य के कुल कर प्राप्तियों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियों के योगदान की प्रतिशतता में अल्प ह्रास हुई जिसे विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।
आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना	वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्य–कर विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु एक भी ईकाई का चयन नहीं किया। यह आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है, जिसके कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों से भूल हुई जिसे हमारे लेखापरीक्षा किए जाने तक पता नहीं लगाया जा सका एवं तदन्तर राजस्व का काफी रिसाव हुआ।
वर्ष 2012–13 में हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012–13 में वाणिज्य–कर से संबंधित 43 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमलोगों ने ₹ 688.93 करोड़ से सन्निहित 1,346 मामलों में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को पाया। विभाग ने 116 मामलों में सन्निहित ₹ 31.22 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से 16 मामलों में सन्निहित ₹ 4.07 करोड़ वर्ष 2012–13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। इस अवधि के दौरान 17 मामलों में ₹ 19.13 लाख की वसूली की गई।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय–II : वाणिज्य–कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य–कर[1] का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011 एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007;

यह वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्य–कर आयुक्त होते हैं। उनके कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो स्कंध सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य–कर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्र स्तर पर राज्य को नौ[2] प्रशासनिक प्रमंडलों, सात[3] अपीलीय प्रमंडलों एवं चार[4] लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके प्रधान वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्य–कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2.2.1 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

1 वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

2 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

3 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णिया एवं तिरहुत।

4 भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

तालिका–2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर कर से वास्तविक प्राप्तियों (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	2,937.72	3,016.47	(+) 78.75	(+) 2.68	6,172.74	48.87
2009–10	3,948.03	3,839.29	(–) 108.74	(–) 2.75	8,089.67	47.46
2010–11	5,627.69	4,557.18	(–) 1,070.51	(–) 19.02	9,869.85	46.17
2011–12	6,508.00	7,476.36	(+) 968.36	(+) 14.88	12,612.10	59.28
2012–13	8,071.00	8,670.79	(+) 599.79	(+) 7.43	16,253.08	53.35

(श्रोतः राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में राज्य के कुल कर प्राप्तियों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियों के योगदान की प्रतिशतता में अल्प ह्रास हुई जिसे विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण विभाग द्वारा तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के कर का दर 13.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किये जाने तथा स्रोत पर कटौती की दर को चार प्रतिशत से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत किये जाने को ठहराया गया।

2.2.2 प्रवेश कर

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा प्रवेश कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका–2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	825.00	1,279.41	(+) 454.41	(+) 55.08	6,172.74	20.73
2009–10	1,270.00	1,613.16	(+) 343.16	(+) 27.02	8,089.67	19.94
2010–11	1,623.76	2,006.32	(+) 382.56	(+) 23.56	9,869.85	20.33
2011–12	1,940.00	828.30	(–) 1,111.70	(–) 57.30	12,612.10	6.57
2012–13	2,800.00	1,932.12	(–) 867.88	(–) 31.00	16,253.08	11.89

(श्रोतः राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012–13 में बजट आकलन की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में काफी अंतर था, जिसे विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान भिन्नता की प्रतिशतता (–) 57.30 और (+) 55.08 प्रतिशत के बीच थी। कुल कर राजस्व में प्रवेश कर की प्रतिशतता जो वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान लगभग 20 प्रतिशत थी, वर्ष 2011–12 में 6.57 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 में 11.89 प्रतिशत तक कम हो गई।

2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को वाणिज्य–कर[5] से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 1,071.77 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 447.34 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाये थे। निम्न तालिका वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

तालिका–2.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान शामिल राशि	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकायों का अंत शेष
2008–09	963.83	212.08	168.66	1,007.25
2009–10	1,007.25	463.68	112.15	1,358.78
2010–11	1,358.78	129.07	546.24	941.61
2011–12	941.61	532.99	258.18	1,216.42
2012–13	1,216.42	800.19	944.84	1,071.77

(श्रोत: विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2011–12 की तुलना में 2012–13 के दौरान वाणिज्य–कर से संबंधित राजस्व के बकायों के संग्रहण में काफी वृद्धि (265.96 प्रतिशत) हुई। विभाग को आने वाले वर्षों में भी राजस्व की वसूली में अपने प्रयास को कायम रखने की आवश्यकता है।

2.4 संग्रहण की लागत

वाणिज्य–कर[6] से संबंधित राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

5 वाणिज्य–कर विभाग के बकायों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर शामिल हैं।

6 वाणिज्य–कर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

तालिका–2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	4,377.92	46.67	1.07	0.83
2009–10	5,541.00	48.84	0.88	0.88
2010–11	6,653.37	57.23	0.86	0.96
2011–12	8,414.43	66.17	0.79	0.75
2012–13	10,771.40	78.86	0.73	0.83

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि सिवाय वर्ष 2011–12 के वर्ष 2009–10 एवं 2012–13 के दौरान वाणिज्य–कर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पूर्ववर्ती वर्षों के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के समतुल्य/कम था। सरकार/विभाग को संग्रहण की लागत को आने वाले वर्षों में अखिल भारतीय औसत से नीचे रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.5 निर्धारिती की विवरणिका

जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, 31 मार्च 2013 को राज्य में निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 2,32,897 थी, जिसमें से 60,037 व्यवसायी करदाता थे। कुल 2,32,897 व्यवसायियों में से 86,113 व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था जिनके विरूद्ध विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24(8) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

2.6 संग्रहण का विश्लेषण

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा दिए गए वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान कर निर्धारण/संवीक्षा से पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण/संवीक्षा के बाद बिक्री, व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दिए गए तालिका में वर्णित हैः

तालिका–2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर निर्धारण/ संवीक्षा के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण/ संवीक्षा के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	वापस की गई राशि	वित्त लेखे के अनुसार निबल संग्रहण	कॉलम 6 से 2 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	3,049.18	54.22	1.04	38.92	3,016.47	101.08
2009–10	3,793.15	50.25	1.40	19.86	3,839.29	98.80
2010–11	4,564.98	25.81	2.24	10.80	4.557.18	100.17
2011–12	5,556.18	186.65	2.08	36.99	7,476.36	74.32
2012–13	7,181.73	282.90	9.30	129.84	8,670.79	82.83

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान कर निर्धारण/संवीक्षा से पूर्व किए गये संग्रहण की प्रतिशतता, व्यवसायियों द्वारा अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का स्वतः अनुपालन किए जाने को दर्शाता है।

2.7 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान वाणिज्य–कर विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। वाणिज्य–कर विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल है, जो वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2012–13 में विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए किसी भी ईकाई का चयन नहीं किया।

2.8 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.8.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने वाणिज्य–कर से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 2,740.60 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। विभाग/सरकार ने ₹ 976.05 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 3.61 करोड़ की राशि वसूल की गई थी, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

तालिका–2.6

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	153.70	105.74	0.07
2008–09	619.83	614.97	0.78
2009–10	841.96	62.48	0.42
2010–11	863.33	134.02	2.34
2011–12	261.78	58.84	शून्य
कुल	**2,740.60**	**976.05**	**3.61**

कुल ₹ 976.05 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 3.61 करोड़ (0.37 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

2.8.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने वाणिज्य–कर से संबंधित राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली, अवनिर्धारण, गलत छूट, आवर्त का छिपाव, कर का गलत दर लगाया जाना, गलत संगणना इत्यादि इंगित किए, जिसमें ₹ 4,123.31 करोड़[7] से सन्निहित 3,997 मामले थे। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 1,426.52 करोड़ से सन्निहित 1,231 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हमारे द्वारा

[7] आँकड़ों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, प्रवेश कर तथा मनोरंजन कर से संबंधित आँकड़े शामिल हैं।

इंगित किये गये मामले भी शामिल थे। हालाँकि मात्र ₹ 3.98 करोड़ की वसूली हुई थी, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

तालिका–2.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2007–08	36	540	245.58	70	2.64	8	0.14
2008–09	41	445	433.50	41	377.94	19	0.10
2009–10	36	882	1,263.56	806	920.97	113	0.64
2010–11	48	1,106	1,622.53	136	57.98	121	0.86
2011–12	40	1,024	558.14	178	66.99	45	2.24
कुल	**201**	**3,997**	**4,123.31**	**1,231**	**1,426.52**	**306**	**3.98**

कुल ₹ 1,426.52 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 3.98 करोड़ (0.28 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

2.8.3 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012–13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान हमने वाणिज्य–कर से संबंधित 43 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 688.93 करोड़ से सन्निहित 1,346 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

तालिका–2.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
1.	आवर्त करों का छिपाव	159	107.36
2.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	72	16.01
3.	कर से छुट की अनियमित अनुमति	235	78.40
4.	कर का गलत दर लगाया जाना	104	56.21
5.	कर का नहीं/कम आरोपण	16	1.26
6.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिधार्रण	18	1.17
7.	कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति	6	0.48
8.	आवर्त्त का गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	8	0.38
9.	कर के अधिक संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना/संगणना में भूल	9	0.96
10.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	6	0.34
11.	अन्य मामले	497	79.01
कुल		**1,130**	**341.58**

ख : प्रवेश कर			
1.	आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का नहीं/कम आरोपण	44	55.23
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	18	55.50
3.	अन्य मामले	126	82.75
कुल		**188**	**193.48**
ग : मनोरंजन कर/विलासिता कर			
1.	मनोरंजन कर का नहीं/कम आरोपण	12	1.30
2.	विलासिता कर का नहीं/कम आरोपण	3	1.03
3.	अन्य मामले	8	0.32
कुल		**23**	**2.65**
घ : विद्युत शुल्क			
1.	विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति	1	149.36
2.	विद्युत शुल्क का नहीं/कम आरोपण	1	0.81
3.	अन्य मामले	3	1.05
कुल		**5**	**151.22**
कुल योग		**1,346**	**688.93**

वर्ष के दौरान विभाग ने 116 मामलों में ₹ 31.22 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 4.07 करोड़ से सन्निहित 16 मामले वर्ष 2012–13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्त्ती वर्षों में इंगित किए गए थे और 17 मामलों में ₹ 19.13 लाख की वसूली हुई थी, जो वर्ष 2008–09 तथा 2011–12 के बीच इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 224.67 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.9 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत् निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक है:

- *व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, प्रवेश कर एवं अधिभार तथा विलासिता कर, विद्युत शुल्क इत्यादि;*
- *बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के तीन गुणा दर पर अर्थदण्ड; तथा*
- *कर के विलम्ब से भुगतान के लिए प्रत्येक कैलेण्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिये 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।*

अधिनियमों/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 224.67 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिकायें 2.10 से 2.30 में वर्णित है, जो विभाग में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.10 आवर्त्त का छिपाव

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31(2) के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी यह संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत् कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय के अन्दर तथा विहित तरीके से, धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत् जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न का संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेगा कि (क) संगणना गणितीय रूप से सही है। (ख) आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, देय कर एवं ब्याज अगर कोई हो, की संगणना सही एवं उचित रूप से की गई है। (ग) सही दर से कर का आरोपण किया गया है। (घ) कर भुगतान एवं देय ब्याज यदि कोई हो, से संबंधित विहित साक्ष्य दिये गये हैं। (ड़) दावा की गई कटौतियाँ, अधिनियम के तहत् अथवा उस समय लागू अन्य कानून के अंतर्गत विहित तरीके से साक्ष्य द्वारा समर्थित थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत् एक व्यवसायी बिक्री की गई वस्तुओं के मूल्य, परन्तु मूल बिक्री की तिथि से छः महीने के अन्दर व्यवसायी को वापस कर दिये गये तथा जिसके संबंध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 53 में विनिर्दिष्ट एक क्रेडिट नोट विक्रेता व्यवसायी द्वारा क्रेता व्यवसायी को निर्गत किया गया हो, कटौती लेने हेतु योग्य है।

हमलोगों ने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में विशेष रूप से रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय उसके अन्य अभिलेखों, जैसे कि रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों तथा साथ ही साथ टैक्स आडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का प्रावधान नहीं था।

हमलोगों ने फरवरी 2012 एवं मार्च 2013 के बीच छः वाणिज्य–कर अंचलों[8] में पाया कि 3,454 व्यवसायियों, जिनके अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, में से नौ व्यवसायियों (कर निर्धारितः एक, संवीक्षितः दो तथा स्व–कर निर्धारितः छः) ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 262.73 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके रोड परमिट (डी0–IX[9]) के उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों सी[10] की विवरणी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट[11] एवं प्रवेश कर अधिनियम के तहत् दाखिल किये गये वार्षिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि

8 नवादा, पटना केन्द्रीय, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं सारण।

9 डी0– IX – राज्य के बाहर से ₹ 10,000 अथवा अधिक के मूल्य के वस्तुओं के आयात/क्रय हेतु उपयोग में लाए गए रोड परमिट घोषणा। यह वस्तुओं के परिवहन के साथ रहता है।

10 प्रपत्र सी– अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में रियायती दर पर वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जाता है।

11 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट– प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उनलोगों ने अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 220.20 करोड़ ही लेखापित किए एवं इस प्रकार ₹ 42.53 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय/विक्रय का छिपाव किया। चूँकि विभाग ने सूचनाओं की तिर्यक जाँच हेतु कोई अनुदेश निर्गत नहीं किया था, निर्धारण प्राधिकारी आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके। यह विभाग में समुचित नियंत्रण प्रणाली की कमी को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.51 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ₹ 1.39 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 18.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–I** में वर्णित है। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

तालिका–2.9

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम व्यवसायियों की सं0	अवधि	वास्तविक क्रय लेखापित	वास्तविक बिक्री लेखापित	छिपाव की राशि	कर अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पटना सिटी पश्चिम 1	2009-10	5551.18 4037.40	---	1,513.78	189.22 567.67	59.60	816.49
2	पटना विशेष 3	2010-11	4,747.03 3,466.51	6,722.28 6,602.70	1,400.11	164.08 492.24	56.61	712.93
3	नवादा 2	2010–11	---	2,329.60 1,655.37	674.24	28.71 86.13	7.34	122.19

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पटना विशेष अंचल ने एक मामले में कहा (जुलाई 2013) कि व्यवसायी ने ₹ 28.08 लाख की बिक्री वापसी (छः माह के अन्दर) के मद में कटौती का दावा किया था एवं लाभ लिया था, न कि ₹ 119.58 लाख पर (छः माह के बाद : ₹ 91.50 लाख एवं छः माह के अंदर : ₹ 28.08 लाख), जैसा कि लेखापरीक्षा का दावा है। उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने वास्तव में छः महीने के अंदर/बाद की बिक्री वापसी की राशि ₹ 119.58 लाख को घटा कर ही सकल आवर्त स्वीकार किया था तथा पुनः ₹ 28.08 लाख की कटौती का दावा किया था तथा इसके अनुसार ही कर भी स्वीकार किया गया था। अतः व्यवसायी ने ₹ 119.58 लाख का छिपाव किया जिसके लिये वह कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। इस तथ्य को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भी जुलाई 2013 में पुनर्कनिर्धारण करते समय पता नही लगाया गया था। शेष मामलों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (नवंबर 2013)।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.4 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मार्च एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.11 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी लागू किये गये सही दर पर करों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से संवीक्षा करेगा।
पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) एवं 39 (4) के प्रावधान के अंतर्गत भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड एवं 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज आरोप्य है, यदि भुगतेय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से बिक्री का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी विफल रहता है।

हमलोगों ने 17 वाणिज्य–कर अंचलों[12] में फरवरी 2012 एवं अप्रैल 2013 के बीच पाया कि 24 व्यवसायियों (संवीक्षित : दो एवं स्व–कर निर्धारित : 22) ने वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान ₹ 270.24 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर चार से 12.5 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से चार प्रतिशत का कम दर निर्धारित किया। संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज एवं ₹ 39.32 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 56.81 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–II** में वर्णित है। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

तालिका–2.10

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम व्यवसायियों की सं0	अवधि	बिक्री मूल्य	सामग्री	आरोप्य कर आरोपित (प्रतिशत में)	कम आरोपण अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पाटलीपुत्र 2	2009–10, 2010–11	19,697.85	डीजल रोड रोलर, चावल एवं गेहूँ	12.5/4 1 + 3 (अति0कर) /0	846.70 2,540.10	279.41	3,666.21
2	पटना विशेष 6	2008–09, 2009–10, 2010–11	3,038.75	मेडिकर सैम्पू, ऑलिव आयल एवं सॉस, रोड मार्किंग पेंट, जलजीरा, दवाईयाँ, लीभ–52	12.5/ अधिकतम खुदरा मूल्य 12.5/4 4/0	152.56 457.68	59.81	670.05
3	गाँधी मैदान 1	2010–11	1,709.00	प्लाई–बोर्ड	12.5/4	145.27 435.80	37.04	618.11
4	फारबिसगंज 1	2009–10, 2010–11	826.12	बेड मिसाइल	12.5/4	70.22 210.66	22.76	303.64

[12] बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, दानापुर, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णिया एवं सासाराम।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच छः अंचलों[13] के नौ व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 19.33 करोड़ का माँग सृजित किया। जबकि उपरोक्त वर्णित पटना विशेष अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवसायी द्वारा दावा किए गए 19 में से 5 उत्पादों को 'ड्रग एवं मेडीसिन' के अंतर्गत मानते हुए व्यवसायी के दावे को खारिज कर दिया तथा शेष उत्पादों पर छूट के दावे को स्वीकार कर लिया। परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पारित किए गए निर्धारण आदेश के विश्लेषण से यह साबित होता है कि व्यवसायी द्वारा बेचे गए शेष 14 उत्पादों में भी या तो बिटामीन या मिनरल समाहित थे तथा उनके उपयोग या तो रोग के रोकथाम या रोगमुक्त करने के लिए थे और इस प्रकार ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम, 1940 की धारा 3 (बी) के अनुसार वे दवाईयाँ हैं तथा मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III की प्रविष्टि संख्या 45 के तहत् यह चार प्रतिशत के अंतर्गत कर देय था। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.6 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मार्च एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.12 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत् कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, अगर मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई हो अथवा राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची– IV के वस्तुओं के अलावे) के निर्माण में खपत की गई हो। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

हमलोगों ने नौ वाणिज्य–कर अंचलों[14] में फरवरी 2012 से मार्च 2013 के बीच 17 व्यवसायियों (संवीक्षित : तीन एवं स्व–कर निर्धारित : 14) के रिटर्न से पाया कि उन्होंने वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 936.60 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय पर ₹ 41.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी वस्तुओं के उस क्रय पर सिर्फ ₹ 34.26

13 बेगुसराय, फारबिसगंज, पाटलीपुत्र, पटना विशेष, पूर्णिया एवं सासाराम।

14 किशनगंज, मुजफ्फपुर पश्चिमी, नवादा, पटना सिटी पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना उत्तरी, पटना विशेष, सारण एवं तेघड़ा।

करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 7.06 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोग किया। इस अधिक दावे के लिए ₹ 21.19 करोड़ का अर्थदण्ड तथा ₹ 2.81 करोड़ का ब्याज संगणित किया गया है। निर्धारण प्राधिकारी उन तीन संवीक्षित मामलों में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने का पता नहीं लगा सके जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के प्रति अनुपालन नहीं किए जाने की ओर इंगित करता है। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 31.06 करोड़ था, जैसा कि **परिशिष्ट–III** में वर्णित है। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

तालिका–2.11

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम व्यवसायियों की सं0	कर निर्धारण की अवधि	वास्तविक हकदारी उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक उपभोग	अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पटना विशेष 6	2009–10, 2010–11	77.75 381.46	303.71	911.14	148.40	1363.25
2	पाटलीपुत्र 1	2010–11	162.38 521.84	359.46	1078.37	118.62	1556.45
3	पटना सिटी पश्चिमी 4	2008–09, 2009–10, 2010–11	2837.21 2852.50	15.29	45.87	5.95	67.11

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच चार अंचलों[15] के चार व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 56.41 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.5 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जून एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

15 नवादा, पटना सिटी पश्चिमी, सारण एवं तेघड़ा।

2.13 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरूद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 4(ए) के तहत् अगर कोई व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् कर का भुगतान करने हेतु दायी है, आयातित अनुसूचित मालों की बिक्री अथवा ऐसे आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण उसपर बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान की देयता बनती है, तब उपरोक्त अधिनियम के तहत् उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

पुनः, विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रुग्न औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी। पुनः आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित किसी वस्तु की बिक्री बिहार राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में अथवा भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात किये जाने के क्रम में किये जाने के मामले में कर दायित्व में कटौती के दावे को समानुपातिक रुप से कम कर दी जायेगी।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2006 में प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है।

बिहार औद्योगिक नीति, 2006 के अनुसार लघु उद्योग ईकाई ऐसी औद्योगिक ईकाई है जिसमें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित सीमा तक पूंजी निवेश किया गया हो।

हमलोगों ने 12 वाणिज्य–कर अंचलों[16] में फरवरी 2012 तथा अप्रैल 2013 के बीच पाया कि 23 व्यवसायियों (कर निर्धारित : एक , संवीक्षित : तीन एवं स्व–कर निर्धारित : 19) ने वर्ष 2008–09 तथा 2010–11 के बीच अपने मूल्यवर्द्धित कर दायित्व के विरूद्ध ₹ 33.75 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन का दावा किया/अनुमति दिया गया। हालाँकि हमलोगों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि व्यवसायी केवल ₹ 24.18 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन हेतु ही हकदार थे, क्योंकि वे प्रवेश कर समायोजन के लिए विहित मानदण्ड[17] को पूरा नहीं कर रहे थे। इस प्रकार व्यवसायियों को ₹ 9.57 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन की गलत अनुमति दी गयी। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित/संवीक्षित मामलों में भी अमान्य समायोजन के दावे का पता नहीं लगा सके। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.77 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 12.34 करोड़ के प्रवेश कर का अधिक समायोजन, भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर के विरूद्ध किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट–IV** में वर्णित है।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच छः अंचलों[18] के छः व्यवसायियों से संबंधित

16 भागलपुर, फारबिसगंज, मुजफ्फपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, सारण (छपरा) एवं सासाराम।

17 (i). आयात किए गए वस्तुओं का पुनः विक्रय नहीं किया जाना। (ii). व्यवसायी, लघु, मध्यम एवं रूग्न उद्योग से संबंधित नहीं थे। (iii). मूल्यवर्द्धित कर की दर प्रवेश कर की दर से कम था तथा (iv). प्रवेश कर का पूरा समायोजन लिया गया था बजाय समानुपातिक के।

18 फारबिसगंज, मुजफ्फपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं सासाराम।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा 1.16 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.7 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है। जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मई एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.14 कटौतियों की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत् एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी प्रकार के प्रभार जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप संवेदक को किए गए भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार के उपयोग हेतु प्रभार, उपभोज्य वस्तुओं की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्चे, संवेदक द्वारा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत् छूट प्राप्त मालों अथवा लेन–देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

हमलोगों ने 17 वाणिज्य–कर अंचलों[19] में फरवरी 2012 और मार्च 2013 के बीच 21 कार्य संवेदकों (कर निर्धारितः दो, संवीक्षितः एक तथा स्व–कर निर्धारितः 18) के रिटर्न, कर निर्धारण आदेश, लाभ एवं हानि खाता एवं संवेदकों द्वारा जमा किए गए विवरणी से हमने पाया कि वर्ष 2008–09 तथा 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 701.35 करोड़ की कटौती का लाभ लिया था, जबकि वे मात्र ₹ 490.33 करोड़ की ही कटौती के हकदार थे। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित/संवीक्षित मामलों में भी अमान्य कटौतियों के दावे का पता नहीं लगा सके जो विभाग में पर्याप्त नियंत्रण तंत्र के अभाव का द्योतक है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.01 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जिसकी संगणना ₹ 701.35 करोड़ के कटौती के उपरोक्त दावे की सामग्री एवं मजदूरी तथा सेवाओं के बीच समानुपातिक रूप से संगणित ₹ 211.02 करोड़ के सामग्री मद पर की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट–V** में वर्णित है।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच 10 अंचलों[20] के 11 व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 10.46 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

19 भभुआ, भागलपुर, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, कदमकुआँ, मोतीहारी, मुजफ्फपुर पूर्वी, पाटलीपत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, सारण एवं सासाराम।

20 फारबिसगंज, हाजीपुर कदमकुआँ, मोतीहारी, मुजफ्फपुर पूर्वी, पाटलीपुत्र, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं सासाराम।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.9 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है। जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.15 बोनस बिक्री पर कटौती की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 (5) के अनुसार अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से तथा ऐसी शर्तें एवं पाबंदियों के तहत् एवं ऐसी सामग्रियों से संबंधी, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, निबंधित व्यवसायियों के किसी वर्ग को, चाहे वह आयातक अथवा विनिर्माता हो, उसके द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 मे विनिर्दिष्ट कर के दर पर भुगतेय कर के बदले, ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर विहित तरीके से कर का भुगतान करने का अनुमति दे सकती है।

राज्य सरकार ने मई 2006 में एक अधिसूचना जारी किया एवं औषधि तथा दवाईयों के व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान की।

हमने पाया कि विभाग ने उन व्यवसायियों, जिन्होने वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया था, के मामले में भुगतान किये गये कर की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं बनाया था। हमने पुनः देखा कि दवाईयों की आपूर्ति पर कर से बचने के लिये व्यवसायियों ने बोनस बिक्री के रूप में दवाईयों को मुफ्त में दिये जाने का सहारा लिया। दृष्टांतस्वरूप एक मामला नीचे वर्णित है।

पटना विशेष वाणिज्य–कर अंचल में मार्च 2013 में हमने पाया कि एक व्यवसायी, जो वस्तुओं (दवाईयाँ, अधिकतम खुदरा मूल्य पर चार प्रतिशत के दर पर कर देय) के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया था, ने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 96.19 करोड़ मूल्य की दवाईयों की बिक्री/आपूर्ति की, जिसमें से ₹ 30.16 करोड़ की दवाईयों का दावा कर मुक्त बोनस बिक्री के रूप में किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने भी जुलाई 2012 में मामले की संवीक्षा करते समय व्यवसायी के दावे की स्वीकृति दी। हालाँकि इस आशय का कोई ऐसा वर्णन (अभिलेख पर रखे गये उपलब्ध कर बीजक पर) नहीं था कि इन दवाईयों को ग्राहकों को नहीं बेचा जाएगा। इस प्रकार की पाबंदियों अथवा कोई अन्य प्रणाली के अभाव में इन दवाईयों को बगैर कर आरोपित किये पुनः बिक्री की संभावना थी, जिससे राजकोष की हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय–निर्णय[21] में कहा गया है कि परिणात्मक छूट जो कि एक व्यापार छूट है, करदेय आवर्त का हिस्सा नहीं हो सकता है। यह देखा जा सकता है कि कंडिका में हमने बोनस बिक्री के रूप में राजस्व के रिसाव की संभावना को इंगित किया है, जो कि व्यापार छूट स्वीकृत किये जाने के व्यवसाय प्रथा से अलग

[21] वर्ष 2003 का सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1900, मे0 मापरा लेबोरेट्रीज प्रा0लि0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

है। यद्यपि उसी अंचल में निबंधित दूसरे व्यवसायी के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने बोनस बिक्री पर कर आरोपित किया है।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुये हैं (नवंबर 2013)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य योजना के तहत बोनस बिक्री के रूप में दवाईयों की आपूर्ति पर राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु एक तंत्र कायम करने पर विचार कर सकती है।

2.16 निर्यात बिक्री पर कटौती का गलत दावा

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत् वस्तुओं की बिक्री अथवा क्रय भारतीय सीमा से बाहर वस्तुओं के निर्यात के क्रम में तभी माना जायेगा, जब बिक्री अथवा क्रय वस्तुओं के भारत की सीमा चौकी को पार करने के बाद ऐसी वस्तुओं को निर्यात किया गया हो अथवा स्वामित्व के कागजात को हस्तांतरित किया गया हो। पुनः उपधारा (5) प्रावधित करता है कि उपधारा (1) में किसी बात के रहते हुए भी अगर कोई नामजद भारतीय वाहक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के उद्देश्य से एवियेशन टरवाइन फ्यूएल का क्रय करता है, तब ऐसी क्रय भारतीय सीमा से बाहर वस्तुओं के निर्यात के क्रम में माना जायेगा। उपधारा (5) के नीचे दिये गये वर्णन के अनुसार नामजद भारतीय वाहक का अर्थ है, कोई भी वाहक जिसे केन्द्र सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना निर्गत कर इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया हो।

2.16.1 पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल में जनवरी एवं मार्च 2013 के बीच हमने पाया कि पेट्रोलियम उत्पाद के दो व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2010–11 के दौरान अपने रिटर्न में निर्यात बिक्री के मद में ₹ 2,930.08 करोड़ के कटौती का लाभ लिया। व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किये गये रिटर्न एवं निर्यात बिक्री की विवरणी की संवीक्षा के दौरान पुनः हमने पाया कि व्यवसायियों ने ₹ 2,930.08 करोड़ के अपने पूरे निर्यात बिक्री में से कुल ₹ 2.74 करोड़ मूल्य का एवियेशन टरबाईन फ्यूएल (29 प्रतिशत के दर पर करदेय) वास्तव में विभिन्न विदेशी एयरक्राफ्ट/एयरलाईन्स को बेचा था एवं निर्यात बिक्री के मद में कटौती का लाभ लिया था। किसी विदेशी एयरक्राफ्ट/एयरलाईन्स को की गई बिक्री उपरोक्त अधिनियम के तहत् निर्यात बिक्री के रूप में नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 2.74 करोड़ की कटौती का गलत लाभ लिया जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भी पता नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.66 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 46.14 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामले में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.16.2 निर्यात बिक्री की अनियमित छूट

केन्द्रीय बिक्री कर की धारा 5 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार भारत की सीमा के बाहर निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर कर देय नहीं होगा। आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग द्वारा 1986 में एवं पुनः 1991 में निर्गत परिपत्र के अनुसार छूट के दावे उचित साक्ष्य यथा बिल ऑफ एक्सपोर्ट से समर्थित होना आवश्यक है।

हमलोगों ने मार्च 2013 में पटना विशेष वाणिज्य–कर अंचल में पाया कि एक स्व–कर निर्धारित व्यवसायी को वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 74.83 लाख की वस्तुओं को भारत की सीमा से बाहर निर्यात किये जाने पर छूट की स्वीकृति दी गई थी। हालाँकि दावे के समर्थन में प्रस्तुत की गई बिल ऑफ एक्सपोर्ट/कस्टम क्लीयरेंस सर्टीफिकेट की जाँच से पता चला की वह किसी और व्यवसायी के पक्ष में निर्गत थे। अतः निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रिटर्न की संवीक्षा नहीं किए जाने के कारण व्यवसायी द्वारा बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि वास्तव में किसी और व्यवसायी के पक्ष में निर्गत थे, के माध्यम से लिए गए छूट का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 4.03 लाख[22] के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं ₹ 2.99 लाख का माँग सृजित किया। हमलोग मामले में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

[22] ₹ 74,82,722 पर 4 प्रतिशत की दर पर कर = ₹ 2,99,308
₹ 2,99,308 पर 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज = ₹ 1,03,261
(23 माह के लिए) **कुल = ₹ 4,02,570**

2.17 कर के रियायती दर की गलत अनुमति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के तहत् बिहार सरकार ने अक्टूबर 2006 में एक अधिसूचना निर्गत कर लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा विनिर्मित मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर का दर एक प्रतिशत निर्धारित किया। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 में प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। बिहार औद्योगिक नीति, 2006 के अनुसार लघु औद्योगिक ईकाई ऐसी औद्योगिक ईकाई है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित पूँजी निवेश की सीमा को पूरा करते हैं।

इस लाभ का उपभोग करने वाले व्यवसायी को प्रपत्र 'सी' में एक घोषणा, अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना है।

हमलोगों ने तीन वाणिज्य–कर अंचलों[23] में मई 2012 और फरवरी 2013 के बीच पाया कि तीन व्यवसायी (स्व–कर निर्धारित) वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की निर्धारित मापदण्ड[24] के अनुसार लघु या मध्यम उद्योग के श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते थे, परन्तु उन्होंने ₹ 7.31 करोड़ के अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत के दर पर कर के रियायती दर के लाभ का उपभोग किया। त्रुटिपुर्ण संवीक्षा/संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी कर के रियायती दर के गलत उपभोग किये जाने का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.64 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 29.99 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने मई 2013 में हाजीपुर अंचल के एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 17.25 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को मई एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

23 हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना उत्तरी।

24 सुक्ष्म उद्योगः प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो;
लघु उद्योगः प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश ₹ 25 लाख से अधिक परन्तु ₹ पाँच करोड़ से कम तथा
मध्यम उद्योगः प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश ₹ पाँच करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 10 करोड़ से कम।

2.18 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 (4) की उपधारा (ii) के प्रावधानों के तहत अगर विहित प्राधिकारी को यह पता चलता है कि कोई व्यवसायी अपने आवर्त्त अथवा उसके किसी विवरण की गलत घोषणा की है और इस प्रकार इस अधिनियम के तहत् अपनी कर की देयता को कम कर दिया है, तब वह व्यवसायी किसी भी कार्रवाई के तहत् निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त कर का भुगतेय होने कि तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक कैलेन्डर माह या उसके किसी भाग के लिए 1.5 प्रतिशत के दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

हमलोगों ने दो वाणिज्य–कर अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना सिटी पूर्वी) में मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (संवीक्षित) ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 18.39 करोड़ का कर स्वीकार किया था। निर्धारण प्राधिकारी, नवंबर 2011 एवं जनवरी 2013 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय व्यवसायियों द्वारा कटौतियों/भुगतान के दावे को अमान्य करने के बाद ₹ 20.57 करोड़ के कर का आरोपण किया, किन्तु ₹ 2.18 करोड़ के निर्धारित कर की अन्तर राशि पर कोई भी ब्याज का आरोपण नहीं किया गया जैसाकि अधिनियम के प्रावधानों में विहित है। इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 69.23 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल पटना ने अक्टूबर 2013 में पाटलीपुत्र अंचल के एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 4.26 लाख की वसूली की। शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.19 कर का अधिक संग्रहण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 43 (2) के प्रावधानों के तहत् कोई भी निबंधित व्यवसायी किसी भी व्यक्ति से, अधिनियम के अधीन भुगतेय कर की राशि से अधिक का संग्रहण नहीं करेगा। पुनः उक्त अधिनियम की धारा 43 (3) यह प्रावधित करता है कि प्रावधान के उल्लंघन के मामले में संग्रहित राशि की दुगुनी राशि के बराबर, अर्थदण्ड के रूप में आरोप्य है।

हमलोगों ने फरवरी 2012 एवं मार्च 2013 के बीच तीन वाणिज्य–कर अंचलों[25] में पाया कि तीन व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 के बीच ₹ 9.18 करोड़ का कर संग्रह किया एवं जमा किया, जबकि उक्त अवधि में उनकी कर की देयता सिर्फ ₹ 9.03 करोड़ की थी। अतः व्यवसायियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध ₹ 14.81 लाख अधिक कर संग्रहित

[25] भागलपुर, दरभंगा एवं पटना सिटी पश्चिमी।

किया। रिटर्न की संवीक्षा नहीं किए जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी अधिक कर संग्रह का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.61 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल ने अक्टूबर 2013 में एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 8.10 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.20 रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं/कम किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 15 एवं 16 के तहत् एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट लेगा जब वह वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करेगा अथवा अनुसूची–I में वर्णित वस्तुओं के अलावे किसी इनपुट से अनुसूची–I के वस्तुओं का विनिर्माण करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना खरीदों पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट को घटाने के बाद की जाएगी।

हमलोगों ने अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2013 के बीच चार वाणिज्य–कर अंचलों[26] में चार विनिर्माता व्यवसायियों (कर निर्धारितः दो तथा स्व–कर निर्धारितः दो) के रिटर्न से पाया कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने या तो अनुसूची–I के वस्तुओं का विनिर्माण किया था अथवा करदेय विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया था। इन वस्तुओं के लिए इनपुट का क्रय राज्य के अंदर से राज्य में उन पर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा ₹ 2.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायियों को रिवर्स क्रेडिट की संगणना करनी थी तथा उसे कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से घटाना था, परंतु व्यवसायियों द्वारा ₹ 13.88 लाख के रिवर्स क्रेडिट की या तो संगणना नहीं की गई अथवा कम संगणित किया गया। निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारित मामलों में भी इस चूक का पता नहीं लगा सके और दो मामले असंवीक्षित रह गए जो विभाग में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.31 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 2.94 लाख के ब्याज सहित ₹ 45.13 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, हाजीपुर ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं ₹ 1.43 लाख का माँग सृजित किया और निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने ₹ 5.66 लाख की वसूली की, जबकि निर्धारण प्राधिकारी, बेगुसराय ने कहा कि लेखापरीक्षा ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 16 (2) (बी) में वर्णित फार्मूला को अपनाया है जो विनिर्माण इकाई के लिए नहीं है, यह उक्त नियमावली के नियम 15 (2) के अनुसार होना चाहिए। उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 16 (2) (ए) (बी) (सी) के तहत् वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो स्पष्ट वर्णित करता है कि नियम 14 एवं नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यवसायी, जिनपर नियम 15 का प्रावधान लागू है, वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय अथवा उससे पहले, वर्ष के दौरान प्राप्त रिवर्स क्रेडिट, अगर कोई हो, की कुल राशि

[26] बेगुसराय, हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी एवं सासाराम।

का पुनरीक्षित संगणना करेगा। पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट की संगणना नियम 16 (2) (बी) एवं (सी) के तहत् विहित तरीके से की जायेगी। पुनः नियम 16 (2) (डी) उपबंधित करता है कि इस उपधारा के उपबंध (सी) के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट अगर उपधारा (1) के तहत् संगणित पूरे वर्ष के लिए रिवर्स क्रेडिट के योग से भिन्न है, तब व्यवसायी उन मामलों में जहाँ इस उपनियम के उपबंध (सी) के प्रावधान के तहत् संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट उपनियम (1) के अंर्तगत संगणित पूरे वर्ष हेतु रिवर्स क्रेडिट के योग से अधिक है, अन्तर राशि का भुगतान करेगा तथा वार्षिक रिटर्न के साथ भुगतान का साक्ष्य देगा।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.21 स्वीकृत कर का कम भुगतान तथा विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 के प्रावधानों के तहत्, प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगतेय होने की तिथि तथा इसके भुगतान की नियत तिथि से देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेत दायी होगा।

उक्त अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय सीमा के भीतर (अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिससे रिटर्न संबंधित है) तथा विहित तरीके से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत् जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न का उसके साक्ष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवीक्षा करेगा, जैसा कि कर तथा भुगतेय ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रस्तत किया जाना विहित हो।

- हमलोगों ने फरवरी एवं मई 2012 के बीच तीन वाणिज्य–कर अंचलों[27] में पाया कि चार व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान ₹ 17.21 लाख का स्वीकृत कर का भुगतान कम किया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी को रिटर्न की संवीक्षा करनी चाहिए थी तथा कर भुगतान के साक्ष्य को देखने एवं तदनुसार व्यवसायी को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता थी, किन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक संवीक्षा नहीं की गई थी, जो विभाग में नियंत्रण में कमजोरी की ओर इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.38 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 33.59 लाख के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं चल पाया।

- हमलोगों ने मई 2012 एवं अप्रैल 2013 के बीच दो वाणिज्य–कर अंचलों (हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर पश्चिमी) में पाया कि दो व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की अवधि के दौरान अपने स्वीकृत कर का भुगतान तीन से 798 दिनों के विलम्ब से किया था। मामले निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संवीक्षित नहीं थे तथा जिसके कारण ब्याज आरोपित नहीं किया जा सका। जिसके फलस्वरूप ₹ 15.17 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

[27] दानापुर, मोतीहारी एवं पटना सिटी पश्चिमी।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (मई एवं अक्टूबर 2013 के बीच) किया एवं ₹ 15.17 लाख का माँग सृजित किया। दोनों स्वीकृत मामलों में वसूली हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.13 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मई एवं जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.22 कर के भुगतान का अनियमित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण कर का कम आरोपण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि कर के भुगतान एवं ब्याज, अगर कोई हो, से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि विहित है, प्रस्तुत की गई है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 29 (4) प्रावधित करता है की कार्य संवेदक, जिनके विपत्र से कटौतियाँ की गई है, वे उपरोक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत् दाखिल रिटर्न के साथ–साथ स्रोत पर कटौती द्वारा कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में सी–II की 'मूल प्रति' निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

हमलोगों ने पटना विशेष वाणिज्य–कर अंचल में मार्च 2013 में पाया कि एक व्यवसायी के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2010–11 के लिए जुलाई 2012 में ₹ 5.58 लाख के कर का निर्धारण किया। व्यवसायी ने विभिन्न कर कटौती प्राधिकारों द्वारा की गई कर के भुगतान की कटौती के साक्ष्य के रूप में 'सी–II' प्रस्तुत किया। प्रस्तुत 'सी–II' की संवीक्षा से हमने पाया कि पूर्व मध्य रेलवे, पटना द्वारा निर्गत ₹ 27.73 लाख के दो 'सी–II' वास्तव में किसी और व्यवसायी के पक्ष में निर्गत थे। अतः व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी के पक्ष में निर्गत दो 'सी–II' के आधार पर ₹ 27.73 लाख के कर दायित्व के समायोजन का अनियमित दावा किया, जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण को पूरा करते समय पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.73 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.10 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.23 बिक्री वापसी के मद में कटौती की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत् एक व्यवसायी बिक्री की गई वस्तुओं के मूल्य, परन्तु मूल बिक्री की तिथि से छः महीने के अन्दर व्यवसायी को वापस कर दिये गये तथा जिसके संबंध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 53 में विनिर्दिष्ट एक क्रेडिट नोट विक्रेता व्यवसायी द्वारा क्रेता व्यवसायी को निर्गत किया गया हो, कटौती लेने हेतु योग्य है।

हाजीपुर वाणिज्य–कर अंचल में मई 2012 में हमने पाया कि एक स्व–कर निर्धारित व्यवसायी ने वर्ष 2009–10 के दौरान बिक्री वापसी के मद में ₹ 80.39 लाख की कटौती का लाभ लिया। परन्तु व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत क्रेडिट नोट्स की जाँच से यह पाया गया कि व्यवसायी ने वास्तव में अपने दावे के समर्थन में मात्र ₹ 7.32 लाख मूल्य का क्रेडिट नोट प्रस्तुत किया था। इस प्रकार व्यवसायी ₹ 73.07 लाख मूल्य के वस्तुओं पर कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। ऐसे अमान्य दावे पर कर दायित्व आरोप्य ब्याज सहित ₹ 12.42 लाख[28] संगणित की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने तथ्य को स्वीकार (जनवरी 2013) किया और ₹ 12.42 लाख हेतु माँग का सृजन किया। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार को फरवरी एवं जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.24 छूट का अधिक लाभ लिया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (12) के प्रावधानों के तहत् एक निबंधित व्यवसायी, जिन्होने इस धारा के तहत् विनिर्दिष्ट देय तिथि के भीतर अपना रिटर्न प्रस्तुत किया है तथा इस धारा के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट तिथि से पहले पूर्ण राशि का भुगतान किया हो, तब उसे उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत रिटर्न में देय स्वीकृत कर का आधा प्रतिशत की दर पर, अधिकतम एक वर्ष में ₹ 50,000 तक छूट की अनुमति दी जायेगी।

पटना विशेष अंचल में मार्च 2013 में हमने पाया कि एक स्व–कर निर्धारित व्यवसायी ने वर्ष 2009–10 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 8.97 लाख की छूट का लाभ लिया। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (12) के तहत् अधिकतम सीमा ₹ 50,000 विहित थी। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 8.47 लाख के छूट का अधिक दावा किया जो मामले की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका और इस तरह व्यवसायी ₹ 4.44 लाख के ब्याज सहित ₹ 12.91 लाख के भुगतान हेतु उत्तरदायी था।

[28] ₹ 73,06,738 पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर = ₹ 9,13,334
₹ 9,13,334 पर 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज = ₹ 3,28,799
(24 माह के लिए) कुल = ₹ **12,42,133**

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

ख: प्रवेश कर

2.25 आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत् यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण, मालों की बिक्री अथवा क्रय से संबंधित कोई कर का अवनिर्धारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है तब विहित प्राधिकारी ऐसे व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षो के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबूझ कर गलती किए जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतेय ब्याज की राशि के अलावे छूटे हुए कर निर्धारण पर कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छुटे हुए आवर्त्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

हमने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में विशेष रूप से रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय उसके अन्य अभिलेखों, जैसे कि रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों तथा साथ ही साथ टैक्स आडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का प्रावधान नहीं था।

वर्ष 2012–13 के दौरान 40 वाणिज्य–कर अंचलों के 3,454 मामलों की नमूना जाँच की तथा हमने नौ वाणिज्य कर अंचलों[29] के 12 व्यवसायियों (संवीक्षितः एक एवं स्व–कर निर्धारित 11) द्वारा दाखिल रिटर्न के साथ रोड परमिट की उपयोगिता, घोषणा प्रपत्रों इत्यादि की तिर्यक जाँच में पाया कि व्यवसायियों ने अपने रिटर्न में ₹ 3,424.56 करोड़ मूल्य के अनुसूचित वस्तुओं[30] का आयात दिखलाया था जबकि वास्तविक आयात ₹ 3,644.37 करोड़ का था जैसाकि घोषणापत्र सी[31] ई.टी. V[32] इत्यादि में दर्शाया गया था और इस प्रकार वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 219.81 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं के आयात/क्रय का छिपाव किया। तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के साथ–साथ रिटर्न की संवीक्षा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नहीं किये जाने (12 में से 11) के फलस्वरूप ₹ 59.37 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 7.72 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 86.88 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–VI** में वर्णित है। यह अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन के प्रति विभाग में नियंत्रण कमजोरी को दर्शाता है।

29 भभुआ, भागलपुर, फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, नवादा, पटना विशेष, सारण एवं शाहाबाद।

30 अधिसूचित वस्तुओं का अर्थ है बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुएं।

31 प्रपत्र सी– अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में रियायती दर पर वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जाता है।

32 ई.टी.–V– प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के तहत विहित वार्षिक रिटर्न, जिसे व्यवसायी द्वारा वर्ष के दौरान अनुसूचित वस्तुओं के आयात हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने चार अंचलों[33] के चार व्यवसायियों के संबंध में सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और ₹ 1.28 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है और शेष मामलों में उत्तर अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसी तरह के मामलें मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.14 में भी उठाया जा चुका है। इस तरह की चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आतंरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके जवाब के लिए हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.26 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत् अनुसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा जो 20 प्रतिशत से अधिक न हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुसूचित मालों एवं भिन्न–भिन्न स्थानीय क्षेत्रों हेतु विभिन्न दर विनिर्दिष्ट किया गया हो। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत् छूटे हुए कर निर्धारण पर कर की राशि की तिगुना अर्थदण्ड एवं अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भी आरोप्य है।

हमने वर्ष 2012–13 के दौरान 40 वाणिज्य–कर अंचलों के 3,454 मामलों का नमूना जाँच किया तथा पाया कि चार वाणिज्य–कर अंचलों[34] के छः व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 के बीच ₹ 21.06 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं अपने रिटर्न में विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार करते हुए कर निर्धारित किया। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय के भीतर रिटर्न की संवीक्षा करनी थी तथा कर के सही दर लगाये जाने की जाँच करनी थी, लेकिन यह किसी भी मामलें में नहीं किया गया था, जो अधिनियम/नियमावली के प्रावधान के अनुपालन के प्रति विभाग में नियंत्रण की कमजोरी को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 28.44 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.63 करोड़ के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–VII** में वर्णित है।

हमारे द्वारा मार्च 2012 एवं मार्च 2013 के बीच इंगित किए जाने के बाद संबंधित संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने तथ्यों को स्वीकार (जनवरी और अगस्त 2013 के बीच) किया तथा पाटलीपुत्र अंचल के दो व्यवसायियों के मामले में ₹ 72.16 लाख का माँग सृजित किया था और पाटलीपुत्र एवं मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अंचल के दो व्यवसायियों से ₹ 42.62 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित किया। हम स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में जवाब के लिए प्रतीक्षित हैं।

[33] भभुआ, फारबिसगंज, हाजीपुर और मुजफ्फपुर पूर्वी।

[34] फारबिसगंज, मुजफ्फपुर पूर्वी, पाटलीपुत्र और समस्तीपुर।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.15 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामला जून 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.27 निबंधन नहीं किए जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी, जो अनुसूचित वस्तुओं के आयात के कारण प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान हेतु दायी हैं, उन्हें कर के भुगतान हेतु दायी होने के सात दिनों के अंदर अंचल के प्रभारी पदाधिकारी को निबंधन हेतु एक आवेदन देना होगा। पुनः बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत् यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यवसायी कर का भुगतान करने हेतु दायी था और निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझकर विफल था, तब वे स्वविवेक से देय कर की राशि, अगर कोई हो, का निर्धारण करेंगे तथा वे निर्देश देंगे कि व्यवसायी कर की निर्धारित राशि के अतिरिक्त, प्रत्येक चूक दिवस के लिए एक सौ रुपये की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

हमलोगों ने वर्ष 2012–13 के दौरान 40 वाणिज्य–कर अंचलो के 3,454 मामलों की नमूना जाँच की तथा नौ वाणिज्य–कर अंचलों[35] में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् निबंधित 16 व्यवसायियों (संवीक्षितः दो, स्वकर–निर्धारितः 14) के टैक्स आडिट रिपोर्ट, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणी इत्यादि की जाँच से हमने पाया कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान ₹ 153.64 करोड़ मूल्य के विभिन्न अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया था। हालाँकि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के तहत् उन्होनें अपना निबंधन नहीं कराया था, जबकि वे ऐसा करने हेतु दायी थे। संवीक्षित मामलों में भी कर निर्धारण प्राधिकारी निबन्धन नहीं कराये जाने के तथ्यों का पता नहीं लगा सके, जबकि निबंधन हेतु उनके दायित्व से संबंधित सूचना निर्धारण प्राधिकारी के पास मूल्यवर्द्धित कर अभिलेख पर उपलब्ध था, जो अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन के प्रति निर्धारण प्राधिकारियों की उदासीनता को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.61 करोड के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अलावे ₹ 6.61 करोड़ का अर्थदण्ड भी आरोप्य था **(परिशिष्ट–VIII)**।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, गया ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और ₹ 3.42 लाख के माँग का सृजन किया। हमलोग स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में जवाब हेतु प्रतीक्षित हैं।

[35] भागलपुर, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, मधेपुरा, नवादा, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और पूर्णिया।

मामला सरकार को मार्च और जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं(नवम्बर 2013)।

2.28 प्रवेश कर का वसूली नहीं/कम वसूली किया जाना

2.28.1 प्रवेश कर की कम वसूली

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर अगले माह के 15 तारीख अथवा उससे पहले जमा करेगा, इसमें विफल रहने पर देय राशि का 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज, देय कर की तिथि से और जिस तिथि से भुगतान के लिए देय है, व्यवसायी उतरदायी होगा।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी निर्धारित समय–सीमा के अन्दर विहित तरीके से भुगतेय कर एवं देय ब्याज से संबंधित उपलब्ध कराए गए साक्ष्य, जैसा कि विहित है, को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेगें।

हमलोगों ने वर्ष 2012–13 के दौरान 40 वाणिज्य–कर अंचलों के 3,454 मामलों की नमूना जाँच की तथा पाया कि तीन वाणिज्य–कर अंचलों[36] के तीन व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान ₹ 1.20 करोड़ के प्रवेश कर की देयता अपने वार्षिक रिटर्न में स्वीकार किया था लेकिन उन्होंने वास्तव में केवल ₹ 48.14 लाख के प्रवेश कर का ही भुगतान किया था। विहित समय–सीमा के अन्दर रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण निर्धारण प्राधिकारी स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं लगाए जो कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में विभाग में नियंत्रण की कमी को संसूचित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.34 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.03 करोड़ के स्वीकृत प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.28.2 प्रवेश कर की वसूली नहीं होना

हमने जून 2012 में भभुआ वाणिज्य–कर अंचल में पाया कि एक व्यवसायी (स्व–कर निर्धारित) ने अपने रिटर्न में प्रवेश कर की देयता स्वीकार नहीं किया था और न ही प्रवेश कर का भुगतान किया था। लेकिन घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणी की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि व्यवसायी ने वस्तुतः वर्ष 2008–09 के दौरान ₹ 3.81 करोड़ मूल्य के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया था। विहित समय सीमा के अन्दर रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारी प्रवेश कर के भुगतान नहीं होने का पता नहीं लगा सके जिसके फलस्वरूप ₹ 17.39 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 47.91 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

[36] पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष और सारण।

गः विलासिता कर

2.29 विलासिता कर का कम आरोपण

बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988 की धारा 2 (एम) के प्रावधानों के तहत्, 'किराया' का अर्थ एक होटल के एक कमरे में रहने वाले व्यक्ति से वसूल किए गए सभी प्रभारों का योग होगा, चाहे उसे कुछ भी नाम दिया गया हो तथा इसमें आवास, भोजन अथवा सेवा प्रभार शामिल है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (2) उपबंधित करता है कि ऐसे कमरा अथवा विलासिता से सज्जित कमरों, जो प्रति दिन ₹ एक हजार अथवा उससे अधिक के किराये का हो, पर 10 प्रतिशत के दर से कर का आरोपण किया जाएगा एवं मालिक इसका भुगतान करेगें। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 प्रावधित करता है कि किसी मालिक द्वारा देय अथवा विस्तारित अवधि के अन्दर कर का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में, चूक के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 के दर से संगणित राशि अथवा कुल देय कर की राशि पर प्रति माह एवं उसके किसी भाग के लिए ढाई प्रतिशत के दर से ब्याज, जो भी अधिक हो, वे भुगतान हेतु दायी होगें।

हमलोगों ने मार्च 2012 में पटना पश्चिमी वाणिज्य–कर अंचल में पाया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए क्रमशः ₹ 7.46 करोड़ एवं ₹ 8.11 करोड़ का सकल किराया स्वीकार किया था। कर निर्धारण आदेश/रिटर्न की तिर्यक जाँच व्यवसायी के लाभ एवं हानि लेखे से किए जाने पर हमने पाया इस अवधि के दौरान कमरे के किराये के रूप में व्यवसायी ने वास्तव में क्रमशः ₹ 8.09 करोड़ एवं ₹ 8.51 करोड़ प्राप्त किया था। इस प्रकार व्यवसायी ने सकल किराया के रूप में प्राप्त ₹ 1.03 करोड़ का छिपाव किया था। मई 2009 एवं जून 2010 में कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके, जबकि व्यवसायी के अभिलेख पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध था। इसके फलस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 18.05 लाख[37] के विलासिता कर का कम आरोपण हुआ।

मामला सरकार को अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

[37] विलासिता कर की संगणनाः

(राशि ₹ में)

वर्ष	लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कमरा किराया की वास्तविक प्राप्ति	रिटर्न में दर्शायी गई कमरे किराये की राशि	अंतर (छिपाव राशि)	10 प्रतिशत की दर से विलासिता कर का कम आरोपण	आरोप्य ब्याज	कुल
2008–09	80909675	74615783	6293892	629389	550715	1180104
2009–10	85111895	81145805	3966090	396609	228050	624659
कुल	**166021570**	**155761588**	**10259982**	**1025998**	**778765**	**1804763**

घ : विद्युत शुल्क

2.30 विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति

बिहार विधुत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) उपबंधित करता है कि, उपधारा (2) के अलावे, ईकाईयों पर अथवा खपत या बिक्री की गई उर्जा के मूल्य पर, संचरण एवं रूपान्तरण में उर्जा के ह्रास को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर अथवा दरों पर एक शुल्क आरोपित होगा तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा। उपधारा (2) उपबंधित करता है कि (क) भारत सरकार द्वारा खपत की गई उर्जा अथवा उस सरकार द्वारा खपत हेतु भारत सरकार को बिक्री; (ख) रेलवे का संचालन करने वाले किसी रेलवे कम्पनी के निर्माण, रखरखाव अथवा संचालन में खपत अथवा उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कम्पनी को निर्माण, रखरखाव अथवा उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कम्पनी को निर्माण, रखरखाव अथवा किसी रेलवे के संचालन में खपत हेतु की गई बिक्री; (ग) अपने विद्युत उपक्रम के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खपत; (घ) किसी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा खपत अथवा उनके द्वारा बिक्री, जिन्हें धारा 9 के तहत् शुल्क के भुगतान हेतु छूट दी गई हो; (ड़) विद्युत के उत्पादन, संचरण एवं वितरण हेतु दामोदर घाटी निगम द्वारा खपत; (च) किसी अन्य प्रयोजन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इसे लोक हित में घोषित किया गया हो तथा ऐसी छूट ऐसे किसी शर्त एवं छूट, अगर कोई है, के तहत् हो जैसा कि उक्त अधिसूचना में वर्णित है, उर्जा की ईकाई पर शुल्क आरोपित नहीं होगा।

मार्च 2013 में हमने पटना विशेष अंचल में पाया कि एक अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जनवरी 2013 में कर निर्धारण करते समय ₹ 2,489.29 करोड़ (5617.1847 मिलियन ईकाई) का विद्युत शुल्क से छूट की अनुमति दी गयी थी। कर निर्धारण आदेश के साथ वार्षिक लेखे एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल अन्य संबंधित रिटर्न की जाँच के दौरान हमने पाया कि व्यवसायी ने अपने रिटर्न में विद्युत शुल्क से छूट का लाभ विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर लिया था जबकि उपरोक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी को बेची गयी वास्तविक ऊर्जा जिन्हें उपरोक्त अधिनियम में छूट का प्रावधान किया गया था, के आधार पर लेना था। विद्युत शुल्क अधिनियम अथवा उसके तहत् बने नियमों के तहत् निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर छूट प्रदान किए जाने की ऐसे कोई प्रावधान के बगैर ही निर्धारण प्राधिकारी ने छूट की अनुमति दी। इस प्रकार निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणी, जैसा कि रिटर्न के प्रारूप में अपेक्षित है, को वास्तविक बिक्री का विवरण प्राप्त किए बगैर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जाना अनियमित था तथा इसलिए अनुमान्य नहीं है। ऐसी छूट पर विद्युत शुल्क की सन्निहित राशि ₹ 148.34 करोड़[38] संगणित की गयी।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हम हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

[38] ₹ 24,23,19,39,850 (4879.0707 मिलियन किलोवाट) पर 6 प्रतिशत की दर से आरोप्य विद्युत शुल्क–₹ 1,45,39,16,391 (सिंचाई के अलावे उपयोग किए गए उर्जा के मूल्य पर);
₹ 66,10,05,600 (738.114 मिलियन किलोवाट) पर 4 पैसे प्रति ईकाई के दर पर विद्युत शुल्क– ₹ 2,95,24,560 (सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया गया);
कुल– (₹ 1,45,39,16,391 + ₹ 2,95,24,560) = ₹ 1,48,34,40,951।

अध्याय– III

राज्य उत्पाद

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने वर्ष 2012–13 के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए अवलोकनों से चयनित वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली आदि से संबंधित ₹ 1.21 करोड़ से सन्निहित कुछ दृष्टांतस्वरूप मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावलियों/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।
प्राप्तियों की प्रवृति	वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में राज्य उत्पाद से प्राप्तियों की प्रतिशतता में लगातार 11 प्रतिशत से 15.71 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, लेकिन 2012–13 में 15.71 प्रतिशत से घटकर 14.95 प्रतिशत हो गई।
वर्ष 2012–13 में हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य उत्पाद से संबंधित 41 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमलोगों ने ₹ 46.74 करोड़ से सन्निहित 233 मामलों में वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को पाया। विभाग ने 88 मामलों में सन्निहित ₹ 10 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से 40 मामलों में सन्निहित ₹ 1.91 करोड़ वर्ष 2012–13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। चार मामलों में ₹ 42.97 लाख की वसूली की गई थी, जिन्हें वर्ष 2012–13 के दौरान इंगित किए गए थे।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों से भविष्य में बचा जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय–III : राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 और बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब दूकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 के द्वारा राज्य में शासित होते हैं। सरकार स्तर पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमों के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, उत्पाद पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, आयुक्त उत्पाद के कार्य सम्पादन में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार[1] प्रमंडलीय मुख्यालयों में से प्रत्येक में एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्त्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या एक अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दूकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकारों के शराब की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

3.2 बजट बनाए जाने की प्रक्रिया

बिहार बजट प्रक्रिया में प्रावधान है कि राजस्व एवं प्राप्तियों के अनुमानों में वर्ष के अंदर वसूली जाने वाली अनुमानित राशि दर्शाया जाना चाहिए। बकाया एवं चालू मांग को अलग–अलग दिखलाया जाना चाहिए तथा यदि पूर्ण वसूली न हो सकने की सम्भावना हो तो उसका कारण दिया जाना चाहिए तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमानों पर आधारित होना चाहिए। आयुक्त उत्पाद के कार्यालय में वर्ष 2012–13 के लिए बजट संचिकाओं की समीक्षा के दौरान हमने पाया कि बजट आकलन बनाते समय बकाये उत्पाद राजस्व को ध्यान में नहीं रखा गया था। उत्तर में विभाग ने कहा (जुलाई 2013) कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से उत्पाद राजस्व के बकायों को बजट आकलन में शामिल किए जाने हेतु प्रयास किए जाएगें।

3.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा राज्य उत्पाद से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

[1] भागलपुर–सह–मुंगेर, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णिया, पटना–सह–मगध तथा तिरहुत–सह– सारण।

तालिका–3.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	537.69	679.14	(+) 141.45	(+) 26.31	6,172.74	11.00
2009–10	850.00	1,081.68	(+) 231.68	(+) 27.26	8,089.67	13.37
2010–11	1,400.00	1,523.35	(+) 123.35	(+) 8.81	9,869.85	15.43
2011–12	1,790.00	1,980.98	(+) 190.98	(+) 10.67	12,612.10	15.71
2012–13	2,715.00	2,429.82	(–) 285.18	(–) 10.50	16,253.08	14.95

(श्रोतः राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में राज्य उत्पाद से प्राप्तियों की प्रतिशतता में 11 प्रतिशत से 15.71 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष 2012–13 के दौरान 14.95 प्रतिशत तक कम हो गई।

3.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका–3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	679.14	24.15	3.56	3.27
2009–10	1,081.68	44.02	4.07	3.66
2010–11	1,523.35	37.65	2.47	3.64
2011–12	1,980.98	41.24	2.08	3.05
2012–13	2,429.82	42.67	1.76	2.98

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों के सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पिछले वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम था। विभाग द्वारा आगे की वर्षों में भी इस प्रवृति को बनाये रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। विभाग ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा किए जाने हेतु अधियाचना की जाएगी।

3.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने राज्य उत्पाद से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 291.30 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। विभाग/सरकार ने ₹ 11.28 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 0.41 करोड़ की राशि वसूल की गई थी, जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका–3.3

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	53.85	शून्य	शून्य
2008–09	123.57	शून्य	शून्य
2009–10	105.68	10.72	शून्य
2010–11	4.35	शून्य	शून्य
2011–12	3.85	0.56	0.41
कुल	**291.30**	**11.28**	**0.41**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि ₹ 11.28 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों की तुलना में वसूली काफी कम (3.63 प्रतिशत) थी।

3.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने राज्य उत्पाद से प्राप्तियों से संबंधित राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि इत्यादि इंगित किए जिसमें ₹ 1,189.66 करोड़ से सन्निहित 665 मामले थे। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 338.34 करोड़ से सन्निहित 203 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये मामले भी थे तथा ₹ 0.58 करोड़ की वसूली की गई थी। विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका–3.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2007–08	32	149	149.60	4	0.47	शून्य	शून्य
2008–09	32	113	223.58	43	31.99	12	0.08
2009–10	39	174	345.92	152	305.42	2	0.04
2010–11	38	95	131.62	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2011–12	24	134	338.94	4	0.46	4	0.46
कुल	**165**	**665**	**1,189.66**	**203**	**338.34**	**18**	**0.58**

कुल ₹ 338.34 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 0.58 करोड़ (0.17 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि, कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

3.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012–13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य उत्पाद राजस्व से संबंधित 65 लेखापरीक्षण योग्य ईकाइयों में से 41 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 46.74 करोड़ से सन्निहित 233 मामलों में राजस्व का नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

तालिका–3.5

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	8	1.32
2.	न्यूनतम गारंटी मात्रा का नहीं/कम उठाव के कारण हानि	27	2.31
3.	मोलासेस के भंडारण, परिवहन और क्रियान्वयन में हानि/अपव्यय	2	13.90
4.	उत्पाद दूकानों का नहीं/विलम्ब से बंदोबस्त किया जाना	31	17.54
5.	अन्य मामले	165	11.67
कुल		**233**	**46.74**

वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग ने 88 मामलों में सन्निहित ₹ 10.00 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 1.91 करोड़ से सन्निहित 40 मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षों में इंगित किए गए थे। पुनः विभाग ने चार मामलों में ₹ 42.97 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया जो वर्ष 2012–13 के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं:

3.7 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा बिहार उत्पाद (देशी/मसोदार देशी शराब/विदेशी शराब/बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दूकान की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 के प्रावधानों में आवश्यक है:

- *लॉटरी के माध्यम से उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती;*
- *संबंधित उत्पाद दूकानों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विहित दरों पर अनुज्ञा शुल्क का भुगतान;*
- *विहित समय के भीतर अनुज्ञा शुल्क का भुगतान और*
- *उत्पाद दूकानों के लिए बिक्री अधिसूचना के किसी शर्त के उल्लंधन हेतु अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण अथवा अर्थदण्ड/जुर्माना के आरोपण।*

अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ के अनुज्ञा शुल्क का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिकायें 3.8 से 3.11 में वर्णित है। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों को रोका जा सके।

3.8 उत्पाद राजस्व का गबन

उत्पाद दूकानों की बिक्री अधिसूचना (2010–11 तथा 2011–12) का शर्त्त 14 (ख) उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट तथा सरकार द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का मासिक किस्त माह की पहली तारीख तक जिला के सरकारी कोषागार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में माह के 20वें दिन तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी एवं दूकान अगले आवेदक को बन्दोबस्त कर दी जाएगी।

बिहार वित्तीय नियमावली, भाग– I के नियम 37 के साथ पठित नियम 7 के अनुसार यह विभागीय प्राधिकारी की जिम्मेवारी है कि वे देखें कि सरकार को देय सभी राशि नियमित रूप से तथा शीघ्र निर्धारित किये गये हैं, वसूले गये हैं तथा बिना किसी विलम्ब के उचित शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी लेखे में जमा किये गये हैं।

बिहार उत्पाद कानून, भाग– II के अध्याय XIV (परिशिष्ट–I) के कंडिका 485 की उपकंडिका 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक उत्पाद कार्यालय प्रपत्र 106 में एक चालान पंजी संधारित करेगा तथा उत्पाद भुगतानों हेतु प्रस्तुत प्रत्येक चालान को, इसमें की गई प्रविष्टि की सत्यता से संतुष्ट होने के पश्चात् पंजी में दर्ज करेगा। पंजी को कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हेतु प्रत्येक दिन के अंत में कोषागार भेजा जाएगा। अन्य पंजियों में की गई भुगतानों की प्रविष्टियाँ भुगतानों के चालान की प्रस्तुति पर चालान पंजी में की गयी प्रविष्टियों से यथोचित तुलना एवं विसंगतियों का समाधान करने के पश्चात् होना चाहिए।

बिहार कोषागार संहिता, 1937 (भाग– I) के नियम 104 के अनुसार उत्पाद विभाग के मामले में चालान की एक प्रति संबंधित कोषागार द्वारा जिला उत्पाद पदाधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

हमने 32 जिला उत्पाद कार्यालयों के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजियों की जाँच की और दो जिला उत्पाद कार्यालयों में गबन के मामले पाए, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

- नवम्बर तथा दिसम्बर 2012 के बीच जिला उत्पाद कार्यालय, सीतामढ़ी के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी में जुलाई 2010 एवं जुलाई 2011 की अवधि के दौरान उत्पाद दूकानों के तीन समूहों[2] के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ₹ 4.62 लाख का अनुज्ञा शुल्क जमा दर्शाया गया था, लेकिन शीर्ष '0039–राज्य उत्पाद' के अन्तर्गत कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया। भारतीय स्टेट बैंक की सम्बंधित शाखा ने भी इसकी पुष्टि की (5 दिसम्बर 2012) कि उक्त राशि बैंक में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार जाली एवं फर्जी भुगतान के विरूद्ध परमिट जारी किया गया था। पुनः, कोषागार लेखापाल का हस्ताक्षर (कालम सं0 35) तथा उत्पाद अधीक्षक का हस्ताक्षर (कालम सं0 36) जाँच के प्रमाण के रूप में चालान पंजी में नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि कोषागार अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत चालान की वास्तविकता को जिला उत्पाद अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

[2] समूह संख्या 72 (2010–11), समूह संख्या 80 (2010–11) तथा समूह संख्या 56 (2011–12)।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (5 दिसम्बर 2012) अधीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी ने अप्रैल 2013 में सूचित किया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध माँग पत्र जारी किया गया तथा ₹ 4.62 लाख की वसूली की गई एवं कोषागार में जमा की गई (8 दिसम्बर 2012) तथा दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजी गई। पुनः, सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि सम्बंधित उत्पाद अधीक्षक निलंबित थे तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई थी।

- जिला उत्पाद कार्यालय, मधुबनी के वर्ष 2009–10 के माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी की जाँच के दौरान हमने फरवरी 2013 में पाया कि उत्पाद दूकानों के तीन समूहों[3] के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि में जमा की गई ₹ 15.12 लाख का अनुज्ञा शुल्क शीर्ष '0039– राज्य उत्पाद' के अन्तर्गत कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया तथा अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 के बीच दो अनुज्ञप्तिधारियों[4] द्वारा ₹ 7,970 का अनुज्ञा शुल्क कम जमा किया गया। इस प्रकार अनुज्ञा शुल्क का भुगतान सुनिश्चित किये बिना परमिट जारी किया गया।

हमारे द्वारा इसे इंगित (27 फरवरी 2013) किये जाने पर सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि **लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर** उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी ने दोषी कर्मचारियों/चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध माँगपत्र जारी किया तथा सम्पूर्ण राशि[5] की वसूली की गई और कोषागार में जमा की गई (4 मार्च 2013 तथा 9 मार्च 2013 के बीच)। कोषागार से चालान विलम्ब से प्राप्त होने के कारण समय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। हालाँकि, लेखापरीक्षा अवलोकन की प्रतिक्रिया में भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश निर्गत (अगस्त 2013) किये गये थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र), 2011–12 की कंडिका 3.2.3 में इंगित किये गये समान मामले के उत्तर में सरकार ने कहा कि मुजफ्फरपुर में राशि की वसूली की जा चुकी थी तथा पटना में चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चूक की प्रकृति अभी भी जारी थी, जो राजस्व के लगातार रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा कोषागार के अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा राशि का सत्यापन नहीं किये जाने के साथ बिक्री अधिसूचना के शर्त्त का पालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 19.82 लाख के सरकारी राजस्व का गबन हुआ। विभाग तंत्र में अपक्रिया के क्षेत्रों को रोकने में विफल रहा तथा उचित सुधारात्मक उपाय नहीं कर सका, जो अनुश्रवण प्रणाली का अनुपालन नहीं किया जाना दर्शाता था।

3 समूह संख्या 107(2009–10), समूह संख्या 88 एवं 89(2009–10)।

4 समूह संख्या 10(2009–10) तथा समूह संख्या 7(2009–10)।

5 ₹ 79,600: चालान संख्या 51 दिनांक 7 मार्च 2013; ₹ 4,77,600: चालान संख्या 170 दिनांक 7 मार्च 2013; ₹ 4,77,600: चालान संख्या 8 दिनांक 8 मार्च 2013; ₹ 4,77,600: चालान संख्या 72 दिनांक 9 मार्च 2013; ₹ 6,000: चालान संख्या 215 दिनांक 4 मार्च 2013 तथा ₹ 1,970: चालान संख्या 185 दिनांक 4 मार्च 2013।

3.9 उत्पाद दूकानों के निरस्तीकरण के बाद अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दूकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2007 का नियम 15 प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जमानत राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा तथा अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में समतुल्य राशि बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दूकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14 (ख) के साथ पठित, उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक दूकान का वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह के पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में संबंधित माह के 20 तारीख तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(6) के अधीन अनुसूची–I के अनुसार सरकार को देय राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। चूक के मामले में इसकी वसूली माँग के बकाए की तरह की जानी है और तद्नुरूप देय राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था एवं बकाया घोषित कर दिया गया था, को लोक माँग वसूली अधिनियम की धारा 4 की शर्त्तों के अनुसार माँग पदाधिकारी द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी के पास नीलामवाद दायर कर वसूली करनी है।

हमने 32 जिला उत्पाद कार्यालयों के बंदोबस्ती संचिका/पंजी, माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी की जाँच की तथा अवलोकन किया (सितम्बर और दिसम्बर 2012 के बीच) कि दो जिला उत्पाद कार्यालयों[6] में उत्पाद दूकानों के 12 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ मासिक अनुज्ञा शुल्क भुगतान नहीं किये जाने के कारण जनवरी और मार्च 2012 के बीच की अवधि में निरस्त किये गये थे। पुनः, हमने पाया कि दूकानें दो से पाँच माह के विलम्ब से निरस्त की गई थी, जबकि इसे चूक के माह के अधिकतम 20 तारीख तक निरस्त किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, दूकानों के निरस्तीकरण में विलम्ब के कारण लेखापरीक्षा की तिथि (सितम्बर तथा दिसम्बर 2012) तक ₹ 56.60 लाख की राशि अवसूलित रह गई। सरकारी बकाये की वसूली हेतु उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का किया गया प्रयास अभिलेख पर नहीं पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.60 लाख की कम वसूली हुई, जिसका उल्लेख **परिशिष्ट– IX** में है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि जिला उत्पाद कार्यालय, सिवान में चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध राजस्व वसूली नीलामवाद दायर की गई है तथा जिला उत्पाद कार्यालय, गया में अनुज्ञप्तिधारियों की जब्त जमानत राशि कोषागार में जमा की जाएगी। गया के मामले में विभाग का उत्तर तथ्य

[6] गया एवं सिवान।

के अनुरूप नहीं था कि चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध माँग सृजित किये जाने की कार्रवाई होनी चाहिए थी तथा लम्बित राजस्व की वसूली के लिए लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत राजस्व वसूली नीलामवाद आरम्भ किया जाना चाहिए था।

3.10 अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता

3.10.1 जमानत राशि के गलत समायोजन के कारण राजस्व की कम वसूली

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दूकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2007 का नियम 15 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जमानत राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा तथा अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में समतुल्य राशि बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दूकानों के बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14 (ख) के साथ पठित, उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह के पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में माह के 20 तारीख तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना कार्यालय के वर्ष 2011–12 के बंदोबस्ती संचिकाओं तथा माँग, संग्रहण और शेष पंजी की जाँच के दौरान हमने पाया (अक्टूबर 2012) कि उत्पाद दूकानों के 10 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2012 की अवधि में निरस्त किए गए थे। पुनः, हमने पाया कि बकाये का समायोजन उनके जमा अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के साथ–साथ जमानत राशि से की गई थी। बकाये राशि के विरूद्ध ₹ 44.98 लाख की जमानत राशि का समायोजन उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल था, जो उत्पाद दूकानों के निरस्तीकरण के मामले में जमानत राशि को जब्त करना उपबंधित करता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 44.98 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई बल्कि अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता भी दी गई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण दूकानें निरस्त की गई थी तथा दूकानों की बंदोबस्ती अगले आवेदक के साथ की गई थी। हालाँकि, सरकार ने लम्बित अनुज्ञा शुल्क के विरूद्ध जमानत राशि समायोजित करने तथा बिक्री अधिसूचना के शर्त्त 14 (ख) का अनुपालन नहीं किये जाने का कारण नहीं बताया, जो जमानत राशि को जब्त किया जाना उपबंधित करता है।

3.10.2 अनुज्ञप्तियों का अनियमित निर्गमन

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2007 का नियम 16 प्रावधित करता है कि निर्धारित समय के अन्दर अग्रिम जमानत तथा अग्रिम अनुज्ञा शुल्क जमा करने में विफल रहने पर बंदोबस्ती रद्द हो जाएगी तथा सभी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

पुनः, आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत (अप्रैल 2009) निर्देश के अनुसार उत्पाद दूकान के बंदोबस्तधारक को अनुज्ञप्तिधारक माना जाएगा तथा बंदोबस्तधारक से अग्रिम अनुज्ञा शुल्क वसूलनीय होगा।

हमने सहायक उत्पाद आयुक्त, गया के कार्यालय के वर्ष 2011–12 की अवधि की बंदोबस्ती संचिकाओं/पंजी, माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी से दिसम्बर 2011 और जून 2013 के बीच अवलोकन किया कि उत्पाद दूकानों के दो समूहों (समूह सं0 86 तथा 113) की बंदोबस्ती अग्रिम अनुज्ञा शुल्क तथा जमानत राशि के आंशिक भुगतान पर तथा एक समूह (समूह सं0 66) की अनुज्ञप्ति अग्रिम अनुज्ञा शुल्क की वसूली के बगैर स्वीकार की गई थी। पुनः, हमने अवलोकन किया कि उत्पाद दूकानों के सभी तीनों समूहों की अनुज्ञप्तियाँ/बंदोबस्ती मई 2011 और मार्च 2012 में मासिक अनुज्ञा शुल्क भुगतान नहीं किये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार वांछित अग्रिम अनुज्ञा शुल्क की राशि प्राप्त किये बिना या जमानत राशि प्राप्त किये बिना दूकानों की बंदोबस्ती/अनुज्ञप्ति दिया जाना अनियमित था तथा न केवल नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल था बल्कि अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता भी था। विभाग अनुज्ञप्तिधारियों से ₹ 3.39 लाख के राजस्व की वसूली नहीं कर पाया, क्योंकि उनमें से एक ने अग्रिम अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किया था तथा शेष दो अनुज्ञप्तिधारियों ने आंशिक अग्रिम अनुज्ञा शुल्क/जमानत राशि जमा किया था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि समूह सं0 86 एवं 113 के बंदोबस्तधारकों को अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की गई थी तथा अग्रिम अनुज्ञा शुल्क एवं जमानत राशि जमा नहीं किये जाने के कारण बंदोबस्ती निरस्त कर दी गई थी। उत्तर नियमों के प्रावधान के अनुकूल नहीं है जो स्पष्ट रूप से प्रावधित करता है कि किसी भी परिस्थिति में अग्रिम अनुज्ञा शुल्क तथा जमानत राशि की वसूली के बिना उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), 2003–04 की कंडिका 3.6, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), 2005–06 की कंडिका 3.4 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), 2009–10 की कंडिका 3.6.11.1 में इंगित समान मामलों के उत्तर में सरकार ने कहा था कि अधिकतर मामलों में बकाये की वसूली के लिए नीलामवाद दायर किये जा चुके थे। सरकार ने पुनः कहा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), 2006–07 की कंडिका 3.4 के मामले में तत्कालीन सहायक उत्पाद आयुक्त के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी थी। चूक का स्वरूप अभी भी विद्यमान था, जो राजस्व के रिसाव को रोकने में विभाग के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

3.11 अनुज्ञा शुल्क के विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

उत्पाद दूकानों के बिक्री अधिसूचना की शर्त 14 (ख) प्रावधित करता है कि अनुज्ञा शुल्क का मासिक किस्त माह की पहली तारीख तक जिला के सरकारी कोषागार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में माह के 20 तारीख तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा एवं दूकान अगले आवेदक को बंदोबस्त कर दी जाएगी।

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 42 (ख) प्रावधित करता है कि यदि धारक द्वारा भुगतेय किसी शुल्क या फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निरस्त किया जा सकता है, इसे निलंबित किया जा सकता है या अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 68 उपबंधित करता है कि यदि किसी व्यक्ति का अनुज्ञप्ति, परमिट या पास धारा 42 के शर्त (ए), (बी), (डी), (ई), (एफ), (जी) तथा (एच) के अन्तर्गत आर्थिक अपराध के कारण निरस्त, निलंबित या दण्ड आरोपित होने योग्य है तो इस निरस्तीकरण, निलंबन या ऐसे अपराध के लिए कम्पोजीसन के रूप में, जो भी मामला हो, उत्पाद अधिकारी न्यूनतम ₹ एक हजार तथा अधिकतम ₹ एक लाख की राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है।

तीन जिला उत्पाद कार्यालयों[7] के मांग, संग्रहण तथा शेष पंजियों के नमूना जाँच के क्रम में हमने अगस्त 2012 और अप्रैल 2013 के बीच पाया कि 384 उत्पाद दूकानों में से कम्पोजिट शराब दूकानों के 17 अनुज्ञप्तिधारियों ने जनवरी 2011 तथा दिसम्बर 2012 की अवधि के बीच ₹ 1.38 करोड का मासिक अनुज्ञा शुल्क दो से 46 दिनों के विलंब के उपरांत जमा किया था। हालाँकि, बिक्री अधिसूचना की शर्त के अनुसार उन्हें अपना मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह के अधिकतम 20 तारीख तक जमा करना था। लेकिन अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों ने न तो अनुज्ञप्ति को निरस्त/निलंबित किया और न ही चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया। बल्कि उन्होंने अर्थदण्ड के रूप में राशि वसूल किये बिना अनुज्ञा शुल्क की राशि स्वीकार कर ली। वस्तुतः, अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को राजस्व के भुगतान में चूक में प्रोत्साहन से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा इसे हतोत्साहित करने के लिए कम से कम अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि जिला उत्पाद कार्यालयों (दरभंगा तथा पश्चिमी चम्पारण) के मामलों में अर्थदण्ड आरोपित किया गया था तथा राजस्व हित में जिला उत्पाद कार्यालय, कैमूर के चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियाँ निरस्त नहीं की गई थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रतिक्रिया में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश निर्गत (अगस्त 2013) किया गया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय किया जाये। लेकिन हमने पाया कि दरभंगा के केवल कुछ मामलों में अर्थदण्ड आरोपित किया गया था तथा पश्चिमी चम्पारण के जिन चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया गया था उनकी विवरणी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही, कैमूर के चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

[7] दरभंगा, कैमूर (भभुआ) तथा पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)

अध्याय– IV

वाहनों पर कर

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने जिला परिवहन कार्यालयों में वर्ष 2012–13 के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 11.36 करोड़ के दृष्टांतस्वरूप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि पूर्व में भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी। हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह के चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, जिला परिवहन पदाधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ रहे।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में बजट आकलन की तुलना में वाहनों पर करों के संग्रहण में यद्यपि 4.50 प्रतिशत की वृद्धि आई, परन्तु राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों पर कर से प्राप्ति की प्रतिशतता में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई।
वर्ष 2012–13 के दौरान हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012–13 में वाहनों पर करों से संबंधित 39 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमलोगों ने ₹ 15.53 करोड़ से सन्निहित 158 मामलों में कर का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, राजस्व की वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली एवं अन्य त्रुटियाँ पाया। विभाग ने 32 मामलों में सन्निहित ₹ 2.10 करोड़ के राजस्व का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 1.68 करोड़ से सन्निहित 27 मामले वर्ष 2012–13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र की कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा पाए गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय–IV : वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ[1] क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

तालिका–4.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तंभ–6) की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियाँ (स्तंभ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	256.60	297.74	(+) 41.14	(+) 16.03	6,172.74	4.82
2009–10	355.00	345.13	(–) 9.87	(–) 2.78	8,089.67	4.27
2010–11	550.00	455.43	(–) 94.57	(–) 17.19	9,869.85	4.61
2011–12	537.00	569.13	(+) 32.13	(+) 5.98	12,612.10	4.51
2012–13	644.40	673.39	(+) 28.99	(+) 4.50	16,253.08	4.14

(श्रोतः राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012–13 में बजट आकलन की तुलना में वाहनों पर कर के संग्रहण में यद्यपि 4.50 प्रतिशत की वृद्धि आई, परन्तु राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों पर कर से प्राप्ति की प्रतिशतता वर्ष 2010–11 को छोड़ पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई।

[1] भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और वैशाली।

4.3 संग्रहण की लागत

वाहनों पर कर से प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

तालिका–4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	297.74	6.95	2.33	2.58
2009–10	345.13	10.41	3.02	2.93
2010–11	455.43	16.92	3.72	3.07
2011–12	569.13	22.31	3.92	3.71
2012–13	673.39	25.28	3.75	2.96

(श्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान, संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाए।

4.4 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को वाहनों पर कर से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 185.47 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 113.06 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाये थे। जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित (अगस्त 2013) किया गया था, ₹ 185.47 करोड़ की उपरोक्त राशि राजस्व वसूली नीलामपत्रवाद के अधीन थे। निम्न तालिका वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

तालिका–4.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान शामिल राशि	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकायों का अंत शेष
2008–09	113.06	7.68	2.24	118.50
2009–10	118.50	17.84	2.00	134.34
2010–11	134.34	36.05	2.48	167.91
2011–12	167.91	18.55	1.39	185.07
2012–13	185.07	3.17	2.77	185.47

(श्रोत: विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि बकायों के शेष में वर्ष 2008–09 की ₹ 118.50 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 185.47 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई, जो सरकारी बकायों की वसूली में विभागीय पदाधिकारियों की ओर से तत्परता के अभाव को दर्शाता है।

विभाग को राजस्व के बकायों की वसुली हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

4.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान परिवहन विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। पुनः विभाग ने कहा (जुलाई 2013) कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्थापित करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

4.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने वाहनों पर कर से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 288.21 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। विभाग/सरकार ने ₹ 129.96 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 5.46 करोड़ की राशि वसूल की गई थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका–4.4

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	36.18	33.72	5.43
2008–09	57.68	57.68	शून्य
2009–10	20.96	20.39	0.03
2010–11	17.81	17.81	शून्य
2011–12	155.58	0.36	शून्य
कुल	**288.21**	**129.96**	**5.46**

कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि इंगित किए जिसमें ₹ 682.13 करोड़ से सन्निहित 1,146 मामले थे। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 488.25 करोड़ से सन्निहित 842 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें

पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये मामले भी थे तथा ₹ 1.35 करोड़ की वसूली की गई थी, जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका–4.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2007–08	47	201	141.29	215	142.94	5	0.37
2008–09	46	217	98.30	210	96.04	5	0.98
2009–10	38	310	253.13	295	201.23	शून्य	शून्य
2010–11	48	198	19.04	64	19.43	शून्य	शून्य
2011–12	34	220	170.37	58	28.61	2	0.0024
कुल	**213**	**1,146**	**682.13**	**842**	**488.25**	**12**	**1.35**

कुल ₹ 488.25 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 1.35 करोड़ (0.28 प्रतिशत) की अल्प वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि, कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012–13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 में हमने वाहनों पर कर से संबंधित 39 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 15.53 करोड़ से सन्निहित 158 मामलों में राजस्व का कम आरोपण/आरोपण नहीं किया जाना, कम वसूली/वसूली नहीं किया जाना तथा अन्य त्रुटियों का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

तालिका–4.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	22	4.12
2	निबंधन के समय तीन पहिया वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया जाना	17	1.27
3	व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना	18	1.18
4	व्यक्तिगत वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली	9	0.69
5	निबंधन के समय ट्रेलर पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया जाना	18	0.76
6	निबंधन के समय मालवाहकों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया जाना	5	0.58
7	बगैर कर भुगतान प्रमाणपत्र के स्टेज मालवाहकों को परमिट की अनुमति	4	0.79
8	बगैर अस्थाई निबंधन के वाहनों को सौंपे जाने के फलस्वरूप राजस्व की हानि	4	2.91
9	अन्य मामले	61	3.23
कुल		**158**	**15.53**

वर्ष 2012–13 के दौरान, विभाग ने 32 मामलों में अंतर्निहित ₹ 2.10 करोड़ के आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1.68 करोड़ से सन्निहित 27 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2008–09 एवं 2012–13 के बीच इंगित किए गए चार मामलों में ₹ 1.03 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया।

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान एक मामले में ₹ 56,584 की वसूली की।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 11.36 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

4.7 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:

- *वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर वाहन कर/अतिरिक्त कर;*
- *निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर तथा*
- *यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगुना तक अर्थदण्ड।*

कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 4.8 से 4.16 में वर्णित है, अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 11.36 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि हुई।

वाहन– एक परिचय

निबंधित मोटर वाहनों और ड्राइभिंग लाइसेंस का एक राष्ट्रीय पंजी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा एजेन्सियों को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को 'वाहन'[2] एवं 'सारथी'[3] सॉफ्टवेयर अंगीकार करने का निदेश जारी किया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। राष्ट्रीय पंजी के अतिरिक्त, इन सॉफ्टवेयर में मोटर वाहनों और लाइसेसों की राज्य पंजी भी विकसित किया जाना उद्देशित था। यह कम्प्यूटरीकरण प्रयास केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था तथा इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से एन आई सी द्वारा राज्य परिवहन विभाग के समन्वय से कार्यान्वित किया जाना था।

2 वाहनों के निबंधन तथा पथ कर समाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

3 विभिन्न लाइसेंसों के निर्गमन हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

4.8 मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित हुआ है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन होने के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करापोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः, करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छुट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तो को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत्, 90 दिनों के उपरान्त करों का भुगतान नहीं करने पर बकाये करों के 200 प्रतिशत अर्थदण्ड का विधान है। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, यदि कर या अर्थदण्ड या दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नही किया गया है, तब पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक स्तर के नीचे का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रुप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्त्ता वाहन मालिकों को निर्गत की जाने वाली माँग पत्र हेतु समय सीमा भी विहित नहीं किया था।

वर्ष 2011–12 के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों एवं वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा 19 जिला परिवहन कार्यालयों[4] में हमने पाया (जुलाई 2012 और मार्च 2013 के बीच) कि 7,347 नमूना जाँचित परिवहन वाहनों (कुल निबंधित वाहनों की संख्याः 1,34,449) में से 671 परिवहन वाहन मालिकों ने फरवरी 2008 और अप्रैल 2013 के बीच की अवधि से संबंधित ₹ 1.19 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथि के अन्दर नहीं किया, फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्त्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्त्ता वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की। कर के भुगतान से छुट पाने के लिए दस्तावेजों के अभ्यर्पण या मालिकों के पता में परिवर्तन का कोई भी मामला अभिलेख में नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरुप अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 2.30 करोड़ सहित ₹ 3.48 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट– X** में वर्णित है। पिछले वर्षो में हमलोगों के बार–बार इंगित किये जाने के बावजूद यह जिला परिवहन पदाधिकारियों का वाहन डाटाबेस के क्रियान्वयन के प्रति लापरवाही के साथ ही साथ उच्च प्राधिकारियों के कमजोर अनुश्रवण की ओर इंगित करता है।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (जुलाई 2013) किया और कहा कि 11 जिला परिवहन कार्यालयों[5] में 96 वाहन

[4] अरवल, बेगुसराय, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली।

[5] अरवल, बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और वैशाली।

मालिकों से कुल ₹ 41.04 लाख की वसूली की गई, आठ जिला परिवहन कार्यालयों[6] में 162 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 71.04 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले प्रारम्भ किए गये थे और सात जिला परिवहन कार्यालयों[7] में 304 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 1.74 करोड़ के लिए माँग पत्र निर्गत किया गया था। हम संबंधित मामलों में अग्रेत्तर प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 4.2 में 'वाहनकरों की वसूली नहीं किये जाने' का उल्लेख किया गया था। विभाग/सरकार ने कहा कि ₹ 4.95 करोड़ कि वसूली किया गया था। लोक लेखा समिति ने अनुसंशित (अगस्त 2013) किया था कि विभाग द्वारा बनाया गया वसूली प्रक्रिया एवं इनके परिणाम को सूचित किया जाए। लोक लेखा समिति की अनुशंसा के बावजूद ऐसे मामलों की पुनरावृति को रोकने के लिए कोई भी सही उपाय नहीं किया गया।

4.9 ट्रेलर से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत् कृषि संबंधी कार्य के अलावे उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गए 3,000 किलोग्राम के निबंधित लदान भार तक के सभी ट्रेलरों द्वारा ₹ 4,000 तथा 3,000 किलोग्राम के निबंधित लदान भार से अधिक के सभी ट्रेलरों द्वारा ₹ 6,000 का एकमुश्त कर का भुगतान किया जाना है। निबंधित ट्रेलरों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की राशि की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद करनी है। इससे पहले 8 अप्रैल 2010 तक 5,000 किलोग्राम के लदान भार वाले ट्रेलरों पर कर का दर प्रति तिमाही ₹ 600 (पथ कर : ₹ 240 तथा अतिरिक्त कर : ₹ 360) था।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत, नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है।

हमलोगों ने वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और 15 जिला परिवहन कार्यालयों[8] में पाया (जुलाई 2012 और फरवरी 2013 के बीच) कि 5,271 नमूना जाँचित ट्रेलरों (निबंधित वाहन की कुल संख्या 5,646), में से 519 ट्रेलरों, जिनका निबंधन मार्च 2009 और फरवरी 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम, 8 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अंतर कर की राशि जमा नहीं किया था। विभाग ने उपरोक्त संशोधित प्रावधानों के अनुसार डाटाबेस में दर को अद्यतन नहीं किया और जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी पंजी में संधारित भुगतान के विवरणों की जाँच वाहन डाटाबेस से नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.42 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 63.34 लाख के एक मुश्त कर की कम वसूली हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–XI** में वर्णित है।

6 अरवल, बेतिया, भागलपुर, गया, जहानाबाद, नालंदा, सीतामढ़ी और वैशाली।

7 अरवल, बेगुसराय, गोपालगंज, मुजफ्फपुर, पटना, पूर्णिया और वैशाली।

8 अरवल, बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, भोजपुर (आरा), जहानाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी और वैशाली।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि आठ जिला परिवहन कार्यालयों[9] में 47 वाहन मालिकों से कुल ₹ 6.04 लाख वसूल किए गए थे। छः जिला परिवहन कार्यालयों[10] में 106 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 14.57 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले प्रारम्भ किये गये थे और चार जिला परिवहन कार्यालयों[11] में 233 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 25.90 लाख के लिए माँग पत्र जारी किए गए थे। हम इन मामलों में अग्रेतर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) 2011–12 की कंडिका 4.4 में इंगित इसी तरह के मामलों के उत्तर में विभाग ने कहा था कि माँग पत्र सृजित किया जा चुका था। इसके बावजूद भी इस तरह की कमियाँ/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं, जो राजस्व के बार–बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.10 तीन पहिया वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत् राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए निबंधन के समय एक वर्ष की आयु वाले सभी तीन पहिया वाहनों पर सात एवं चार सीटों वाली तीन पहिया वाहनों (चालक को छोड़कर) के लिए एकमुश्त कर क्रमशः ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000 आरोपित किया जाएगा। पूर्व में निबंधित तीन पहिया वाहनों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटा कर की जाएगी तथा यदि कर का भुगतान ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000, जैसा भी मामला हो, का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है तब एकमुश्त कर भुगतेय नहीं होगा। इससे पूर्व 8 अप्रैल 2010 तक तीन पहिया वाहनों पर कर ₹ 248 प्रति तिमाही (पथ कर : ₹ 88 तथा अतिरिक्त कर : ₹ 160) था।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत् 90 दिनों से अधिक तक कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड भी लगाया जाना है।

हमलोगों ने वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और 15 जिला परिवहन कार्यालयों[12] में पाया (जुलाई 2012 और फरवरी 2013 के बीच) कि नमूना जाँचित 4,753 तीन पहिया वाहनों (निबंधित वाहनों की कुल संख्या 4,811) में से 675 वाहनों, जिनका निबंधन जुलाई 2009 और मार्च 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने 2010 के बिहार वित्त अधिनियम, 8 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अन्तर कर की राशि जमा नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया और पंजी में संधारित भुगतान विवरणों की जाँच वाहन डाटाबेस से नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 65.33 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित

9 अरवल, बेतिया, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और वैशाली।
10 अरवल, बेतिया, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा और सीतामढ़ी।
11 बेगुसराय, मुजफ्फपुर, पटना और वैशाली।
12 अरवल, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी और वैशाली।

₹ 91.43 लाख की एक मुश्त कर की कम वसूली की गई, जैसा कि **परिशिष्ट–XII** में वर्णित है।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि छः जिला परिवहन कार्यालयों[13] में 42 वाहन मालिकों से कुल ₹ 5.89 लाख की वसूली की गई थी, पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[14] में 155 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 23.18 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले शुरू किए गये थे और चार जिला परिवहन कार्यालयों[15] में 230 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 20.64 लाख के लिए माँग पत्र जारी किए गये थे। हमलोग इन मामलों में अग्रेतर प्रतिवेदन और शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 2011–12 की कंडिका 4.5 में इंगित इसी तरह के मामलों के उत्तर में विभाग ने कहा कि माँग पत्र सृजित किया जा चुका था। इसके बावजूद भी इस तरह की कमियाँ/अनियमिताएँ अभी भी मौजूद हैं, जो राजस्व के बार–बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.11 व्यक्तिगत वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7, जैसा कि बिहार वित्त अधिनियम, 2011 (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत् व्यक्तिगत वाहनों पर उसके पूर्ण जीवन काल के लिए निबंधन के समय एकमुश्त कर वाहन के मूल्य (बिक्री कर छोड़कर) का पाँच प्रतिशत के दर पर आरोपित किया जाएगा।

हमलोगों ने वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के निबंधन पंजी/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[16] में पाया (अगस्त और दिसम्बर 2012 के बीच) कि 597 व्यक्तिगत वाहनों, जिनका निबंधन अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अंतर कर की राशि जमा नहीं किया था। इस प्रकार जिला परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सके और निबंधन से पहले के अवधि का कर स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 14.06 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद, सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि वाहन डाटाबेस को भुगतान की तिथि पर उपयुक्त दर से एकमुश्त कर के साथ–साथ निबंधन शुल्क वसूलने के लिए प्रोग्राम किया गया था और प्रक्रिया में बिलम्ब के कारण इन वाहनों का निबंधन 1 अप्रैल 2011 या इसके बाद किया गया था। विभाग का जवाब बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (1) के प्रावधानों के विपरित था जो उपबंधित करता है कि एकमुश्त कर निबंधन के समय विनिर्दिष्ट दर पर आरोपित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र), 2011–12 की कंडिका 4.6 में इसी तरह के मामलों को इंगित किया गया था। इसके बावजूद भी इस तरह की

13 बेगुसराय, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा, सीतामढ़ी और वैशाली।
14 अरवल, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा और सीतामढ़ी।
15 बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और वैशाली।
16 बेगुसराय, बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सीवान।

कमियाँ/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद है, जो राजस्व के बार–बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.12 माल वाहक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसुची–I के भाग 'ग' के क्रम संख्या–2 के प्रावधानों, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2011 (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) के द्वारा संशोधित है, के अन्तर्गत, ट्रेलर को छोड़कर 1,000 कि0ग्रा0 तक निबंधित लदान भार क्षमता वाले माल वाहक वाहनों पर एकमुश्त कर ₹ 7,700 और 1,000 कि0ग्रा0 से ऊपर अथवा उसके किसी भाग के लिये परन्तु 3,000 कि0ग्रा0 से अधिक नहीं, तक निबंधित लदान भार क्षमता पर ₹ 5,500 प्रति टन, ऐसे वाहनों का प्रथम निबंधन तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए, निबंधन के समय आरोपित किया जाएगा और पहले से निबंधित वाहनों के मामलों में देय अन्तर कर की राशि की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जायेगी।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत भुगतान में 15 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में, बकाये करों के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है।

हमलोगों ने वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया एवं जिला परिवहन कार्यालयों, भोजपुर (आरा) और गया में पाया (फरवरी और मार्च 2013) कि 261 माल वाहक वाहनों में से 131 वाहनों, जिनका अप्रैल 2010 और मार्च 2011 के बीच निबंधन किया गया था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अन्तर कर की राशि जमा नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया और ₹ 28.86 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 43.29 लाख के एकमुश्त कर की वसूली भी नहीं की गई। विभाग ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के अनुसार वाहन डाटाबेस में दर को संशोधित नहीं किया।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि जिला परिवहन कार्यालय, गया में तीन वाहन मालिकों से कुल ₹ 98,619 की वसूली की गयी थी और 94 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 29.83 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले प्रारंभ किए गये थे। हम इन मामलों में अग्रेतर प्रतिवेदन और शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

4.13 ट्रैक्टर से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (8), जैसा कि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य के अलावे उपयोग में लाये गए अथवा उपयोग में लाने हेतु रखे गये ट्रैक्टरों पर वाहन के संपूर्ण जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर, मुल्यवर्द्धित कर को छोड़कर, वाहन के मुल्य के एक प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाएगा, जबकि पहले से ही निबंधित ट्रैक्टरों के द्वारा एकमुश्त कर की गणना, पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जाएगी। पूर्व में ट्रैक्टर पर कर ₹ 100 प्रति वर्ष था।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994, के नियम 4 (2) के अंतर्गत नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बकाये करों के 25 और 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है।

हमलोगों ने वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर (आरा) में पाया (फरवरी 2013) कि नमूना जाँचित 500 ट्रैक्टरों में से 60 ट्रैक्टरों, जिसका निबंधन मार्च 2010 और दिसम्बर 2010 के बीच हुआ था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2010 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अन्तर कर की राशि जमा नहीं किया था। विभाग ने उपरोक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार वाहन डाटाबेस में कर को अद्यतन नहीं किया और चूककर्त्ता वाहन मालिकों के विरूद्ध बकाया कर हेतु माँग का सृजन भी जिला परिवहन पदाधिकारी ने नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.16 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 7.74 लाख के एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद प्रधान सचिव ने विचार–विमर्श के दौरान कहा (जुलाई 2013) कि ट्रैक्टर और ट्रेलर के लिए राजक्षमा नीति, विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है और मामला वित्त विभाग के साथ विमर्शित किया जाएगा। पुनः सरकार ने जिला परिवहन पदाधिकारी को बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हमलोग इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

4.14 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा उसके तहत् बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक व्यवसायी/निर्माता के रुप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा।

नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4(2) के तहत् वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त ने सितम्बर 2007 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया।

हमलोगों ने वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के निबंधन पंजियों एवं निर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा उपलब्ध कराये गये रिटर्न की संवीक्षा किया और सात जिला परिवहन कार्यालयों[17] में पाया (सितम्बर और दिसम्बर 2012 के बीच) कि 277 मोटर वाहन व्यवसायियों में से 12 व्यवसायियों ने अप्रैल 2009 और मार्च 2012 के अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गए 17,544 वाहनों (15,961 दो पहिया और 1,583 तीन/चार पहिया) से संबंधित व्यापार कर या तो विहित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम जमा किया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार व्यापार कर के भुगतान की शुद्धता की जाँच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 11.20 लाख के व्यापार कर का नहीं/कम वसूली हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को कर की वसूली के लिए व्यवसायी या निर्माता के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश (जुलाई 2013) दिया। पुनः सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि दो जिला परिवहन कार्यालयों (बेतिया और मुजफ्फरपुर) में तीन व्यवसायियों से कुल ₹ 90,900 की वसूली की गई थी, दो जिला परिवहन कार्यालयों (बेतिया और मुजफ्फरपुर) में तीन व्यवसायियों के विरूद्ध ₹ 3.18 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले आरम्भ किये गये थे और दो जिला परिवहन कार्यालयों (पूर्णिया और वैशाली) में तीन व्यवसायियों के विरूद्ध ₹ 4.55 लाख के लिए माँग पत्र जारी किया गया था। हम इन मामलों में आगे की प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र), 2011–12 की कंडिका 4.9 में इसी तरह के मामलों को इंगित किया गया था। इस तरह की कमियाँ/अनियमितताऐं अभी भी जारी है जो राजस्व के बार–बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

[17] बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), भागलपुर, मधेपुरा, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और वैशाली।

4.15 स्टेज वाहनों को परमिट की अनियमित अनुमति

मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 66 (1) के तहत् एक मोटरवाहन का मालिक तब तक अपने वाहन का उपयोग अथवा सार्वजनिक स्थल पर परिवहन वाहन के रूप में उसके उपयोग की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वह क्षेत्रीय अथवा राज्य परिवहन प्राधिकार से परमिट प्राप्त नहीं कर लिया हो। पुनः विभाग ने सितम्बर 1991 में परमिट के जारी/नवीकरण से पहले कर का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेश भी जारी किया था।

हमलोगों ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय के स्टेज वाहन पंजियों और संचिकाओं का संवीक्षा (नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 के बीच) किया और पाया कि कर का भुगतान सुनिश्चित किए बिना 469 स्टेज वाहनों को परमिट प्रदान किया गया था। पुनः हमलोगों ने पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[18] में वाहन डाटाबेस के साथ इन वाहनों के कर का भुगतान का तिर्यक जाँच किया और पाया कि 66 स्टेज वाहनों के मालिकों ने जुलाई 2001 और सितम्बर 2011 के बीच की अवधि के दौरान कर का भुगतान करना बंद कर दिया था, फिर भी वर्ष 2006 और 2012 के बीच इन स्टेज वाहनों को परमिट दिया गया था। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी स्टेज वाहन को परमिट देने से पहले विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.45 करोड़ का अर्थदण्ड सहित ₹ 5.20 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2013) कि जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसराय में एक वाहन मालिक के विरूद्ध ₹ 4.82 लाख के लिये राजस्व वसूली नीलामपत्र मामला प्रारम्भ किया गया था और एक अन्य वाहन मालिक के विरूद्ध ₹ 94,017 हेतु माँग पत्र जारी किया गया था। पुनः विचार विमर्श के दौरान (जुलाई 2013), प्रधान सचिव ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने एवं यथासमय पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश दिया। हम इन मामलों में आगे के प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

[18] बेगुसराय, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली।

4.16 अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों को सौंपे जाने के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के अनुसार व्यापार प्रमाण–पत्र धारक बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों के खरीददार को मोटर वाहन नहीं देगें। पुनः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अनुसार, धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन के मालिक निबंधन प्राधिकारी को अथवा दूसरे विहित प्राधिकारी को विहित तरीके से वाहन का अस्थायी निबंधन करने तथा विहित तरीके से निबंधन का अस्थायी निबंधन प्रमाणपत्र एवं अस्थायी निबंधन चिन्ह निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 3415 दिनांक 28 जुलाई 2009 के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन प्राधिकारी, व्यवसायी एजेंसियों को उनके माँग पर अस्थायी निबंधन संख्या का ब्लॉक मुहैया कराऐंगे।

हमलोगों ने वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस के मालिक तालिका और निबंधन पंजियों की संवीक्षा की और तीन जिला परिवहन कार्यालयों[19] में पाया (अगस्त और अक्टूबर 2012 के बीच) कि जनवरी 2010 और सितम्बर 2012 के बीच की अवधि के दौरान अस्थायी निबंधन चिन्ह दिये बिना व्यापार प्रमाण–पत्र के धारकों ने क्रेताओं को 39,476 वाहन (हल्का मोटर वाहनों: 884 और दो पहियाः 38,592) सौंप दिया। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने विभागीय आदेश एवं अधिनियम/नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए उन वाहनों का स्थायी निबंधन कर दिया जिन्हें बगैर अस्थायी निबंधन के क्रेताओं को सौंप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.97 लाख की हानि हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद, सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि मामलों को विमर्शित किया जाएगा और नियम के अनुसार की गयी कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। पुनः, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज और सीवान ने प्रतिवेदित (अगस्त और सितम्बर 2013) किया कि अस्थायी निबंधन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमलोग इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

19 गोपालगंज, सीवान और वैशाली (हाजीपुर)।

अध्याय– V

अन्य कर प्राप्तियाँ

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किये जाने/कम वसूली आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 8.64 करोड़ से सन्निहित दृष्टांतस्वरूप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि पूर्व में भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी।
प्राप्तियों की प्रवृति	यद्यपि कर राजस्व के संग्रहण में पूर्ववर्ती वर्षों से वृद्धि की प्रवृति थी, वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान भू–राजस्व से प्राप्तियों की प्रतिशतता का योगदान राज्य की कुल कर प्राप्तियों में 1.65 प्रतिशत से 1.26 प्रतिशत तक का क्रमिक ह्रास था। पुनः, मुद्रांक एवं निबंधन फीस से प्राप्तियाँ वर्ष 2008–09 के ₹ 716.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 2,173.02 करोड़ हो गई तथा कुल कर प्राप्तियों में मुद्रांक एवं निबंधन फीस से वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता में वर्ष 2011–12 से बढ़ने की प्रवृति थी।
वर्ष 2012–13 में हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012–13 में हमलोगों ने भू–राजस्व से संबंधित 83 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 219.50 करोड़ से सन्निहित 629 मामलों में राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली और अन्य त्रुटियाँ पाया जबकि मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित 39 लेखापरीक्षित ईकाइयों में ₹ 10.76 करोड़ से सन्निहित 108 मामलों में हमलोगों ने राजस्व की नहीं/कम वसूली एवं अन्य त्रुटियाँ पाया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ

क : भू–राजस्व

5.1 कर प्रशासन

भू–राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण अधिनियमों एवं नियमावली[1] के तहत् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शासित होता है। शीर्ष स्तर पर प्रधान–सचिव–सह आयुक्त शासकीय प्रधान होते हैं और प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, उपसमाहर्त्ता और अंचलाधिकारी क्षेत्र स्तर पर उनको सहायता प्रदान करते हैं। अंचल कार्यालय प्राथमिक ईकाई है जो भू–राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा भू–राजस्व से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

तालिका–5.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	74.72	101.74	(+) 27.02	(+) 36.16	6,172.74	1.65
2009–10	76.22	123.96	(+) 47.74	(+) 62.63	8,089.67	1.53
2010–11	112.17	139.02	(+) 26.85	(+) 23.94	9,869.85	1.41
2011–12	125.20	167.49	(+) 42.29	(+) 33.78	12,612.10	1.33
2012–13	185.00	205.45	(+) 20.45	(+) 11.05	16,253.08	1.26

(श्रोतः राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान यद्यपि कर राजस्व के संग्रहण में पूर्ववर्ती वर्षों से वृद्धि की प्रवृति थी, राज्य की कुल कर प्राप्तियों में भू–राजस्व से प्राप्तियों के योगदान में वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान 1.65 प्रतिशत से 1.26 प्रतिशत तक का क्रमिक ह्रास था। बजट आकलन भी पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में वास्तविक संग्रहण से लगातार कम था।

सरकार/विभाग को राज्य की कुल कर प्राप्तियों में भू–राजस्व प्राप्तियों का योगदान बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

[1] बिहार टीनेन्सी अधिनियम, 1908; बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956; बिहार सरकार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953।

5.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को भू–राजस्व से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 107.21 करोड़ थी। निम्न तालिका वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

तालिका–5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान शामिल राशि	कुल बकाये	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकायों का अंत शेष
2008–09	51.69	34.31	86.00	27.21	58.79
2009–10	58.79	40.72	99.51	20.33	79.18
2010–11	79.18	21.12	100.30	22.31	77.99
2011–12	77.99	45.64	123.63	43.76	79.87
2012–13	79.87	89.04	168.91	61.70	107.21

(श्रोतः विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि राजस्व के बकायों की वसूली में तत्परता की कमी थी तथा वर्ष 2008–09 के बकायों के प्रारम्भिक शेष की तुलना में यह वर्ष 2012–13 के अंत में दुगुना से अधिक हो गया था।

विभाग को राजस्व के बकायों की वसूली में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। वित्त विभाग के द्वारा दी गई सूचना (जुलाई 2013) के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान राजस्व एवं भू–सुधार विभाग से आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु 16 अधियाचनाएं प्राप्त हुई थी तथा सभी मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया था। वित्त विभाग ने पुनः कहा कि 16 निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिनमें ₹ 4.80 करोड़ से सन्निहित 108 कंडिकाएं थी निर्गत किए गए थे जिसके विरूद्ध मात्र एक कंडिका का निष्पादन हुआ था। हालाँकि बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों के निष्पादन हेतु पत्र/स्मार निर्गत किए गए थे तथा बैठकें भी आयोजित की जा रही थी।

5.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने भू–राजस्व से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 366.66 करोड़ से सन्निहित राजस्व के कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने इत्यादि इंगित किए। विभाग/सरकार ने ₹ 228.86 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक कोई भी वसूली नहीं की, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका–5.3

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	204.72	204.72	शून्य
2008–09	23.88	23.88	शून्य
2009–10	शून्य	शून्य	शून्य
2010–11	शून्य	शून्य	शून्य
2011–12	138.06	0.26	शून्य
कुल	**366.66**	**228.86**	**शून्य**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि स्वीकृत मामलों से संबंधित कोई भी वसूली नहीं की गई थी, जो स्वीकृत मामलों में सरकारी बकायों की वसूली में, विभाग की ओर से तत्परता में कमी को इंगित करता है।

5.5.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने भू–राजस्व से प्राप्तियों से संबंधित राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि इंगित किए जिसमें ₹ 579.30 करोड़ से सन्निहित 1,004 मामले थे। विभाग/सरकार ने ₹ 158.37 करोड़ से सन्निहित 735 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये मामले भी शामिल हैं तथा 11 मामलों में ₹ 0.18 करोड़ की वसूली की गई थी। विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका–5.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2007–08	27	275	254.97	264	49.69	3	0.04
2008–09	59	145	83.08	140	57.37	शून्य	शून्य
2009–10	61	319	47.85	285	45.50	7	0.14
2010–11	46	125	49.26	1	0.0032	शून्य	शून्य
2011–12	29	140	144.14	45	5.81	1	0.0005
कुल	**222**	**1,004**	**579.30**	**735**	**158.37**	**11**	**0.18**

स्वीकृत मामलों के विरूद्ध भी ₹ 0.18 करोड़ (0.11 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।

ख : मुद्रांक एवं निबंधन फीस

5.6 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; निबंधन अधिनियम, 1908; बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (लिखितों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। यह निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। निबंधन विभाग के सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभाग कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अतिरिक्त सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ निबंधन कार्यालयों के सहायक महानिरीक्षक होते हैं। 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक और 83 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5.7 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

तालिका–5.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	581.02	716.19	(+) 135.17	(+) 23.26	6,172.74	11.60
2009–10	750.00	997.90	(+) 247.90	(+) 33.05	8,089.67	12.34
2010–11	1,215.00	1,098.68	(–) 116.32	(–) 9.57	9,869.85	11.13
2011–12	1,600.00	1,480.07	(–) 119.93	(–) 7.50	12,612.10	11.74
2012–13	1,906.00	2,173.02	(+) 267.02	(+) 14.01	16,253.08	13.37

(श्रोतः राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि मुद्रांक और निबंधन फीस से प्राप्ति वर्ष 2008–09 के ₹ 716.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 2,173.02 करोड़ हो गई तथा कुल कर प्राप्तियों में मुद्रांक एवं निबंधन फीस से वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता में वर्ष 2011–12 से वृद्धि की प्रवृति थी।

5.8 संग्रहण की लागत

मुद्रांक और निबंधन फीस के तहत् सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

तालिका–5.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	716.19	37.68	5.26	2.09
2009–10	997.90	45.90	4.60	2.77
2010–11	1,098.68	46.58	4.24	2.47
2011–12	1,480.07	43.10	2.91	1.60
2012–13	2,173.02	45.50	2.09	1.89

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान मुद्रांक और निबंधन फीस से संबंधित संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पूर्व के वर्षों के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाए।

5.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने मुद्रांक एवं निबंधन फीस से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 3.25 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। विभाग/सरकार ने ₹ 1.43 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका–5.7

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	1.09	1.09	शून्य
2009–10	1.48	0.34	शून्य
2010–11	शून्य	शून्य	शून्य
2011–12	0.68	शून्य	शून्य
कुल	**3.25**	**1.43**	**शून्य**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि स्वीकृत मामलों से संबंधित कोई भी वसूली नहीं हुई थी, जो स्वीकृत मामलों में भी सरकारी बकायों की वसूली में विभाग की ओर से तत्परता का अभाव दर्शाता है।

5.9.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने मुद्रांक एवं निबंधन फीस से प्राप्तियों से संबंधित राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि इंगित किए जिसमें ₹ 50.86 करोड़ से सन्निहित 340 मामले थे। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 51.72 करोड़ से सन्निहित 266 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये मामले भी थे तथा छः मामलों में ₹ 0.10 करोड़ की वसूली की गई थी। विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका–5.8

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2007–08	20	11	0.17	4	0.01	1	0.02
2008–09	39	80	33.42	95	31.69	शून्य	शून्य
2009–10	31	91	5.40	86	5.33	4	0.08
2010–11	30	38	3.02	14	0.79	1	0.0033
2011–12	33	120	8.85	67	13.90[2]	शून्य	शून्य
कुल	**153**	**340**	**50.86**	**266**	**51.72**	**6**	**0.10**

स्वीकृत मामलों के विरूद्ध भी ₹ 0.10 करोड़ (0.19 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी राशि की वसूली में तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि, कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।

5.10 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012–13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान भू–राजस्व के 83 ईकाइयों तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस के 39 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 230.26 करोड़ से सन्निहित 737 मामलों में राजस्व का नहीं/कम वसूली, एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

[2] कुल ₹ 13.90 करोड़ में से ₹ 12.75 करोड़ पूर्ववर्ती वर्षों के हैं।

तालिका–5.9

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क: भू–राजस्व			
1.	सैरात का बंदोबस्ती नहीं किया जाना	25	2.13
2.	खास–महाल भूमि का बंदोबस्ती नहीं किया जाना	4	19.05
3.	गैरमजरूआ खास–महाल भूमि का वितरण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	21	2.92
4.	अतिक्रमित सरकारी भूमि को खाली नहीं कराया जाना/बंदोबस्त नहीं किया जाना	29	7.95
5.	नए पट्टे का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण सलामी एवं लगान की वसूली नहीं किया जाना	6	134.55
6.	अन्य मामले	544	52.90
कुल		**629**	**219.50**
ख: मुद्रांक और निबंधन फीस			
1.	डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	1	4.44
2.	प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	23	2.96
3	जब्त मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	11	0.32
4.	अंतिम रूप से प्रेषित मामलों से मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	13	0.43
5.	अन्य मामले	60	2.61
कुल		**108**	**10.76**
कुल योग		**737**	**230.26**

(क) वर्ष 2012–13 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने चार मामलों में सन्निहित ₹ 9.53 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 5.40 लाख से सन्निहित दो मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

(ख) वर्ष 2012–13 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग ने 25 मामलों में सन्निहित ₹ 2.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 1.31 करोड़ से सन्निहित 12 मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। चार मामलों में ₹ 7.34 लाख की वसूली की गई थी जिनकी लेखापरीक्षा वर्ष 2009–10 एवं 2012–13 के बीच की गई थी।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 8.64 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

5.11 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

अपर/उपसमाहर्त्ता भू–राजस्व एवं जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क : भू–राजस्व

5.12 खास महाल भूमि का नवीकरण/बंदोबस्ती नहीं किए जाने के कारण राजस्व का वसूली नहीं होना

बिहार में नई खास महाल नीति, 2011 के लागू होने के बाद उक्त नीति के शर्त 2(क) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति खास महाल भूमि के लीज का नवीकरण नही कराता है और लीज हेतु वार्षिक लगान के भुगतान को बंद कर देता है अथवा लीज के शर्तों का उल्लंघन करता है या शर्त 5(क) के अनुसार लीज के उद्देश्य का विचलन करता है तो वह ट्रेसपासर समझा जाएगा और सरकार उसे 90 दिनों के निर्धारित समय के अंदर नए शर्तों एवं बंधेजों पर उसे नोटिस तामिल के साक्ष्य के साथ नया लीज करने का प्रस्ताव देगा, जिसमें विफल रहने पर ट्रेसपासर को निष्कासित किया जाएगा तथा सरकार भूमि को अपने कब्जे में ले लेगी तथा नीलामी के माध्यम से इसे पुनर्बन्दोबस्त करेगी। पुनः लीज की अवधि 30 वर्षो की होगी और लीजधारी भूमि के बाजार मूल्य के समतुल्य सलामी और उसके अतिरिक्त भूमि के आवासीय और व्यवसायिक उपयोग होने पर ऐसी सलामी का क्रमशः 2 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक लगान का भुगतान करने हेतु दायी होगा। लीज के वार्षिक लगान का भुगतान बंद करने/भुगतान नहीं करने के मामलों में लीजधारी को पूर्व के वार्षिक लगान का दुगुना के साथ–साथ चूक अवधि के लिए 10 प्रतिशत के दर पर वार्षिक ब्याज का भी भुगतान करना होगा।

अपर समाहर्त्ता, मोतीहारी के कार्यालय में, खास महाल भूमि एवं मई–जून 2012 में किये गये भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं लीज से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान अक्टूबर 2012 में हमने पाया कि गाँधी नगर क्षेत्र के 77 लीजों में से नौ लीज वर्ष 1992 में तथा बेलवान्चॉ (पेट्रोल पम्प) का एक मामला वर्ष 1957 में ही कालातीत हो गए थे।

पुनः हमने पाया कि गाँधी नगर क्षेत्र के लीज धारक सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लिए बगैर लीज के बंधेज एवं शर्त्तों का उल्लंघन करते हुए या तो भूमि को बेच दिए अथवा अधिकार को हस्तांतरित कर दिए। उसी प्रकार, पेट्रोल पम्प का लीज धारक लीज के नवीकरण के लिए दिसम्बर 2010 में आवेदन किया था। सरकार के स्पष्ट निदेश के बावजूद लीजों का न तो नवीकरण किया गया और न ही दोषी कब्जाधारियों से खास महाल भूमि को खाली कराया गया और न ही वर्त्तमान कब्जाधारियों के साथ बंदोबस्त किया गया। इस प्रकार लीज

के नवीकरण करने अथवा ट्रेसपासर को खाली कराने तथा नया लीज के कार्यान्वयन हेतु नोटिस दिए जाने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के सलामी[3] और लगान की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त दण्ड लगान और ब्याज भी आरोप्य था। पुनः विभाग ने वर्त्तमान और कालातीत लीजों का पूर्ण डाटाबेस संधारित नहीं किया था जो कि न केवल खास महाल भूमि के गैर कानूनी कब्जा पर नजर रखने बल्कि सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार हो सकता था। यह इंगित करता है कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव था।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद अपर समाहर्त्ता, मोतीहारी ने कहा (जून 2013) कि गाँधी नगर क्षेत्र के लीजधारकों को अगस्त 2012 में नोटिस निर्गत किये गये थे। पुनः जून 2013 में नया लीज के लिए तथा पेट्रोल पम्प के मामले में भूमि की पुनः बन्दोबस्ती हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। पुनः अपर समाहर्त्ता मोतीहारी द्वारा प्रतिवेदित (अक्टूबर 2013) किया गया कि किसी भी लीजधारको द्वारा लीज नवीकरण/नया लीज नहीं किया गया है तथा लीजधारकों द्वारा लीज के नवीकरण/नई लीज किए जाने के बाद आवश्यक कार्यवाई की जाएगी। उत्तर, नई खास महाल नीति, 2011 के अनुबंध 2 (क) और 5 (क) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट वर्णित है कि 90 दिनों के निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भूमि तत्काल प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए और जून 2013 में नोटिस निर्गत करने के बजाय नया लीज/नवीकरण के लिए कार्रवाई प्रारंभ करनी थी जिसके कारण लीजधारकों को अदेय लाभ मिला।

इस तरह का मामला, मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 5.6 में इंगित की गई थी लेकिन विभाग/सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

5.13 सैरात के डाक राशि की कम वसूली

बिहार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953 के प्रावधानों के तहत् 27 सितम्बर 1967 के विभागीय प्रपत्र के अनुसार सैरात की डाक राशि का 50 प्रतिशत बंदोबस्ती के समय तथा शेष 50 प्रतिशत सैरात अवधि की समाप्ति के दो माह पूर्व वसूली किया जाना है। अगर बंदोबस्तधारी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तब सैरात को नई डाक के माध्यम से पुनर्बंदोबस्त करने की कार्रवाई की जानी है।

अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज कार्यालय में वर्ष 2002–03 से 2011–12 के सैरात[4] पंजी एवं हाट/बाजार और घाट हेतु सैरात से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से हमने जनवरी 2013 में पाया कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान सभी 41 सैरातों के बंदोबस्तधारियों ने ₹ 1.16 करोड़ की डाक राशि के विरूद्ध मात्र ₹ 59.14 लाख का भुगतान किया था। सैरातों के पुनर्बंदोवस्ती के लिए न तो कोई कदम उठाया गया और न ही बन्दोबस्तधारियों से शेष राशि ₹ 57.07 लाख की वसूली की गई। संबंधित प्राधिकारी द्वारा विभागीय परिपत्र को लागू किए जाने में उदासीनता के फलस्वरूप ₹ 57.07 लाख की कम वसूली हुई। निर्धारित अवधि में

[3] सलामी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य को दर्शाता है।

[4] सैरात का अर्थ है मत्स्यपालन, हाट, मेला, तोड़ी, महाल तथा नौकायन को पट्टे पर दिये जाने से प्राप्त आय।

सरकारी बकायों की वसूली नहीं होना विभाग में अनुश्रवण प्रणाली का अभाव इंगित करता है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद समाहर्त्ता, गोपालगंज ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2013) और कहा कि बन्दोबस्त सैरातों की पंजी को अद्यतन करने के पश्चात् बकाये की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएगें। पुनः अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित (अक्टूबर 2013) किया गया कि 28 मामलों में ₹ 32.96 लाख की पूर्ण/आंशिक वसूली की गई है। शेष मामलों में वसूली हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

5.14 सैरात के निष्पादित डीड पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं होना

राजगीर मलमास मेला के सैरात की बंदोबस्ती हेतु आमंत्रित सूचनाओं एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा जारी स्वीकृत्यादेश के अनुसार निष्पादित डीड को निबंधित कराना होगा तथा बन्दोबस्त सैरात के मूल्य पर तीन प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क एवं चार प्रतिशत की दर से निबंधन फीस बंदोबस्तधारियों पर आरोपण एवं संग्रहण करना होगा। पुनः बन्दोबस्ती के लिए आमंत्रित सूचनाओं की शर्त्तों के अनुसार परवाना जारी करने से पहले उच्चतम डाककर्ता को अपने खर्च पर एकरारनामा को निबंधित कराना होगा।

अंचल अधिकारी, राजगीर (नालंदा) के वर्ष 2004–05 से 2011–12 के सैरात पंजी और विभिन्न सैरातों से संबंधित संचिकाओं की संवीक्षा से हमने मार्च 2013 में पाया कि वर्ष 2007–08 और वर्ष 2010–11 हेतु राजगीर मलमास मेला[5] का सैरात क्रमशः ₹ 59.25 लाख एवं ₹ 1.26 करोड़ में बन्दोबस्त किए गए थे। लेकिन सैरात के निष्पादित डीड न तो निबंधित किए गए और न ही सैरात की राशि पर आरोप्य मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस बंदोबस्तधारियों से वसूल किए जा सके। बन्दोबस्ती के लिए आमंत्रित सूचना में प्रावधान के अनुसार विहित डाककर्त्ता को परवाना जारी करने से पहले निष्पादित डीड को निबंधन कराने में संबंधित प्राधिकारी की विफलता के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 12.93 लाख[6] की सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद अंचल अधिकारी, राजगीर (नालन्दा) ने तथ्यों को स्वीकार किया और अक्टूबर 2013 में कहा कि मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली के लिए उचित कदम उठाए जाएगें।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

5 यह प्रत्येक तीन वर्षों पर आयोजित की जाती है।

6 संगणनाः

(राशि ₹ में)

वर्ष	डाक राशि	तीन प्रतिशत की दर से आरोप्य मुद्रांक शुल्क	चार प्रतिशत की दर से आरोप्य निबंधन फीस	वसूली नहीं की गई राशि
2007–08	59,25,000	1,77,750	2,37,000	4,14,750
2010–11	1,25,51,000	3,76,530	5,02,040	8,78,570
कुल	**1,84,76,000**	**5,54,280**	**7,39,040**	**12,93,320**

खः मुद्रांक एवं निबंधन फीस

5.15 डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट से मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 1 ए की धारा 5 (बी) के अनुसार भूमि/भवन के साथ भूमि, जैसा भी मामला हो, के बाजार मूल्य पर प्रत्येक एक सौ रूपये अथवा उसके किसी भाग के लिए दो रूपये (दो प्रतिशत) की दर से मुद्रांक शुल्क आरोप्य है, बशर्ते इस तरह के एकरारनामा या एकरारनामा के ज्ञापन के समय दिया गया मुद्रांक शुल्क, उस अचल संपत्ति की बिक्री उस पक्ष के साथ करने के समय लगने वाला शुल्क के साथ समायोजित किया जा सकता है, यदि यह मकान या भवन जिसमें कि बहु इकाई मकान या भवन या एपार्टमेन्ट की ईकाई/फ्लैट/बहु मंजिली भवन का एक हिस्सा या किसी अचल संपत्ति के विकास/बिक्री के निर्माण से संबंधित हो।

पुनः निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री हेतु विहित दर के अनुसार संपत्ति के मूल्य का छः प्रतिशत मुद्रांक शुल्क एवं नगरपालिका क्षेत्र में दो प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आरोप्य है। इसके अलावे दो प्रतिशत की दर पर निबंधन फीस भी आरोप्य है।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान राज्य के विभिन्न शहरों में कुल 3,163 डेवलपमेंट एग्रीमेंट[7] का निबंधन निर्माण गतिविधियों के लिए किया गया था। जिसमें से 1,757 डेवलपमेन्ट एग्रीमेंट का निष्पादन भू–स्वामियों एवं डेवलपरों के बीच पटना में किया गया था।

मई और जुलाई 2013 के बीच हमने 540 डेवलपमेन्ट एग्रीमेंट, जो वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान पटना जिले के भू–स्वामियों एवं डेवलपरों के बीच निष्पादित हुआ था, की नमूना जाँच में पाया कि 77 मामलों में भू–स्वामियों ने भूमि का स्वामित्व डेवलपरों को नकद के रूप में एवं विकसित संपत्ति के भाग के लिए हस्तांतरित किया था और जिला अवर निबंधकों द्वारा संपत्ति के कुल मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क वसूल किया गया था। हालाँकि भू–स्वामियों से डेवलपरों को स्वामित्व का हस्तांतरण एक पूर्व निर्धारित मूल्य के लिए हुआ था, डेवलपर भूमि के अधिकृत स्वामी हो गए और लेन देन 'संपत्ति की बिक्री' थी। अतः इस तरह के लेन–देन पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति की बिक्री हेतु विहित डेवलपर द्वारा साझा किए गए भूमि के भाग का क्रमशः आठ प्रतिशत एवं छः प्रतिशत की दर पर मुद्रांक शुल्क आरोप्य है। इसके अलावा, दो प्रतिशत की दर से निबंधन फीस भी आरोप्य था। इसके परिणामस्वरूप डेवलपमेंट एग्रीमेंट से मुद्रांक शुल्क एवं निबधंन फीस के रूप में ₹ 4.44 करोड़ की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा मई एवं जुलाई 2013 के बीच इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (सितम्बर 2013) कि बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, 2006 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अनुसार डेवलपर/प्रोमोटर को बहुमंजिली भवन/इमारत में ईकाइयों के अपने हिस्से को हस्तांतरित करने का अधिकार है तथा डेवलपमेन्ट एग्रीमेंट पर बिक्री विलेख का शुल्क आरोपित किए जाने हेतु सभी संबंधित तथ्यों की जाँच के पश्चात् विचार किया जाएगा। पुनः विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2013) और कहा कि डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट पर मुद्रांक शुल्क बढ़ाया जाना प्रक्रियाधीन है।

[7] निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार, सारे जिला अवर निबंधकों को मुद्रांक शुल्क की वसूली कागजात में दिए गए विवरण के आधार पर, न कि शीर्षक के आधार पर, प्रभारित किये जाने हेतु निदेश देने पर विचार कर सकती है।

5.16 प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) के तहत् जब निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास होता है कि सम्पति के बाजार मूल्य की घोषणा दस्तावेज में सही नहीं की गई है तब वे उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकते हैं। पुनः आयुक्त–सह–सचिव एवं निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार ने दिनांक 20 मई 2006 को सभी समाहर्त्ताओं को धारा 47(क) के तहत् प्रेषित मामलों को 90 दिनों में त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित निबंधन कार्यालय के निरीक्षकों, अब सहायक निबंधन महानिरीक्षक, को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

तीन[8] निबंधन प्राधिकारियों (जिला अवर निबंधक) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों की पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने मार्च 2012 एवं जनवरी 2013 के बीच पाया कि धारा 47 (क) के तहत् कैलेंडर वर्ष 2009 एवं 2012 के बीच संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु 814 मामले निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, पटना को प्रेषित किए गए थे। पुनः हमने पाया कि इन प्रेषित मामलों में से 539 मामले जिसमें ₹ 1.42 करोड़[9] सन्निहित थे, अभी तक लंबित थे।

हमारे द्वारा मार्च 2012 एवं जनवरी 2013 के बीच इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने कहा (सितम्बर 2013) कि सभी तीन जिलों में 180 मामले निष्पादित कर दिए गए थे तथा ₹ 19.39 लाख की वसूली हुई थी। शेष मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), बिहार सरकार की कंडिका 4.6 तथा मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र), बिहार सरकार की कंडिका 5.9 में इस तरह के मुद्दे उठाए गए थे। इसके बावजूद विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी, जो आयुक्त–सह–सचिव के निर्देश का निबंधन कार्यालय के निरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक द्वारा अनुपालन में शिथिलता को इंगित करता है।

8 बेगुसराय, बक्सर और पटना।

9 संगणनाः

वर्ष	जिला	प्रेषित मामलों की संख्या	निष्पादित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	लम्बित मामलों में सन्निहित राशि (राशि ₹ में)
1	बेगुसराय	466	92	374	45,78,589
2	बक्सर	163	87	76	47,04,893
3	पटना	185	96	89	49,49,799
कुल		**814**	**275**	**539**	**1,42,33,281**

5.17 भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899, की धारा 47 (ए) (1) के अर्न्तगत जहाँ निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि संपत्ति के बाजार मूल्य की घोषणा दस्तावेज में सही नहीं की गई है तब वे उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकते हैं और समाहर्त्ता उपरोक्त अधिनियम की धारा 47 (ए) (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु जाँच करेगें।

पुनः बिहार मुद्रांक (अवमूल्यांकन) नियमावली, 1995, का नियम 13 प्रेषित मामलों में समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध अपील हेतु प्रावधित करता है तथा उपरोक्त नियमावली का नियम 16 उपबंधित करता है कि सभी साक्ष्यों का उल्लेख एवं अपीलकर्ता तथा समाहर्त्ता के तरफ से दिये गये अभिवेदन तथा मामले के अभिलेखों की जाँच के उपरांत अपीलीय प्राधिकारी यह तय करेगें कि उप धारा (2) के अंतर्गत संपत्ति का बाजार मूल्य, जैसा कि समाहर्त्ता के आदेश में निर्धारित है, सही है अथवा नहीं।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899, की धारा 56 (1) के अंतर्गत अध्याय IV एवं अध्याय V के तहत् तथा धारा 26 के परंतुक के अनुबंध (क) के अंतर्गत समाहर्त्ता द्वारा शक्ति का उपयोग सभी मामलों में मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी के अधीन होगा।

निबंधन प्राधिकारी (जिला अवर निबंधक, भोजपुर, आरा) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों की पंजी की जनवरी एवं अक्टूबर 2012 के बीच संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि आरा नगरपालिका क्षेत्र की भूमि की अवमूल्यांकन के 24 मामले फरवरी 2009 एवं मई 2010 के बीच भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, पटना को प्रेषित किए गए थे। निबंधन कार्यालय के निरीक्षक ने जनवरी 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच इन मामलों का निष्पादन या तो भूमि के स्थल जाँच अथवा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर 'सिंचित' भूमि के रूप में किया था। यद्यपि मार्ग निर्देशक पंजी के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र, आरा में सिर्फ दो प्रकार की जमीनें 'आवासीय' एवं 'व्यवसायिक' थी, नगरपालिका क्षेत्र के जमीनों का गलत वर्गीकरण 'सिंचित' भूमि के रूप में किया गया था। हालाँकि अभिलेख पर निबंधन कार्यालय के निरीक्षक द्वारा स्थल जाँच से संबंधित कोई प्रतिवेदन अथवा अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन नहीं पाया गया था। स्थल जाँच प्रतिवेदन की अनुपलब्धता की पुष्टि (जुलाई 2013) जिला अवर निबंधक द्वारा भी समाहर्त्ता के कहने पर किया गया था। मामले का सरकार के राजस्व के विरूद्ध निष्पादित होने के बाद जिला अवर निबंधक को अपील में जाना चाहिए था लेकिन जिला अवर निबंधक, निबंधन कार्यालय के निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने में विफल रहे और इस तरह जिला अवर निबंधक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण ₹ 5.37 करोड़ से जमीन का अवमूल्यांकन हुआ तथा इसके फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 53.74 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई जैसाकि **परिशिष्ट–XIII** वर्णित है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और सितम्बर 2013 में कहा कि दिसम्बर 2012 एवं जून 2013 में 24 मामलों में भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 56 (1) के अंतर्गत मुख्य राजस्व नियंत्रण पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर दिया गया था।

अध्याय– VI

कर भिन्न प्राप्तियाँ

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने **'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ–एक समीक्षा'** के लेखापरीक्षा परिणामों को रखा है, जिसमें ₹ 23.85 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को बताया गया है।
प्राप्तियों की प्रवृति	वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों के संग्रहण में बजट आकलन की तुलना में लगातार वृद्धि थी एवं कुल कर भिन्न प्राप्तियों में इसके योगदान की प्रतिशतता में भी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि थी लेकिन वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की तुलना में अल्प ह्रास पाई गई, जिसे देखे जाने की आवश्यकता है।
वर्ष 2012–13 में हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का प्रभाव	वर्ष 2012–13 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों से संबंधित 36 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमलोगों ने ₹ 85.46 करोड़ से सन्निहित 199 मामलों में आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को पाया। विभाग ने 23 मामलों में सन्निहित ₹ 4.44 करोड़ के आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से छः मामलों में सन्निहित ₹ 1.94 करोड़ वर्ष 2012–13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग

6.1 कर प्रशासन

बिहार राज्य में लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर एवं मिट्टी तथा कुछ वृहत् खनिजों जैसे चूना पत्थर, अभ्रख तथा सिलिका इत्यादि हैं। बिहार में खान एवं खनिजों से प्राप्तियों में रॉयलटी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वपेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन शुल्क, पूर्व सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, अर्थदण्ड, बकाये आदि का विलम्ब से भुगतान हेतु जुर्माना तथा ब्याज शामिल है।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान बजट आकलन तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर भिन्न प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

तालिका: 6.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर भिन्न प्राप्तियों (स्तम्भ–6) की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों (स्तम्भ–3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	140.00	245.00	(+) 105.00	(+) 75.00	1153.32	21.24
2009–10	180.00	319.93	(+) 139.93	(+) 77.74	1670.42	19.15
2010–11	294.00	405.59	(+) 111.59	(+) 37.96	985.53	41.15
2011–12	280.00	443.10	(+) 163.10	(+) 58.25	889.86	49.79
2012–13	470.00	511.08	(+) 41.08	(+) 8.74	1,135.27	45.02

(श्रोतः राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों के संग्रहण में बजट आकलन की तुलना में लगातार वृद्धि थी। कुल कर भिन्न प्राप्तियों में इसके योगदान की प्रतिशतता में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि थी लेकिन वर्ष 2012–13 में अल्प ह्रास पाई गई, जिसे खान एवं भू–तत्व विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

6.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

6.3.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने खान एवं खनिज से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 23.41 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। विभाग/सरकार ने ₹ 13.77 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 5.75 लाख की राशि वसूल की गई थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका–6.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	2.38	0.46	शून्य
2008–09	2.00	1.31	शून्य
2009–10	4.46	4.46	शून्य
2010–11	5.53	2.62	शून्य
2011–12	9.04	4.92	0.06
कुल	**23.41**	**13.77**	**0.06**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि स्वीकृत राशि की तुलना में स्वीकृत मामलों से संबंधित वसूली काफी कम (0.44 प्रतिशत) थी।

स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की शीघ्र वसूली हेतु सरकार प्रयास कर सकती है।

6.3.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने खान एवं खनिज से प्राप्तियों से संबंधित राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि इंगित किए जिसमें ₹ 573.97 करोड़ से सन्निहित 889 मामले थे। विभाग/सरकार ने ₹ 357.74 करोड़ से सन्निहित 453 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। हालाँकि विभाग ने स्वीकृत मामलों के विरूद्ध मात्र ₹ 53.51 लाख की वसूली प्रतिवेदित की। विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका–6.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2007–08	26	77	51.48	42	25.97	3	0.49
2008–09	44	220	93.47	202	89.46	शून्य	शून्य
2009–10	33	175	230.45	145	218.09	1	0.03
2010–11	48	240	118.18	18	2.06	1	0.02
2011–12	25	177	80.39	46	22.16	शून्य	शून्य
कुल	**176**	**889**	**573.97**	**453**	**357.74**	**5**	**0.54**

स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 53.51 लाख (0.15 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी राजस्व की वसूली में तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की शीघ्र वसूली हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।

6.3.3 निरीक्षण प्रतिवेदन (2012–13) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012–13 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों से संबंधित 36 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 85.46 करोड़ से सन्निहित 199 मामलों में राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएं पाई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

तालिका–6.4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	**'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ–एक समीक्षा'**	1	23.85
2.	रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	45	23.59
3.	ईंट–मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	17	3.72
4.	लगातार उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं लगाए जाने के कारण हानि	9	1.34
5.	खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	27	3.25
6.	नियत लगान/भूतल लगान का आरोपण नहीं/कम किया जाना	3	1.45
7.	अन्य मामले	97	28.26
कुल		**199**	**85.46**

वर्ष 2012–13 के दौरान विभाग ने 23 मामलों में अंतर्निहित ₹ 4.44 करोड़ के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओ को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1.94 करोड़ से सन्निहित छः मामले वर्ष 2012–13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ' पर समीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें ₹ 23.85 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित था, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

6.4 खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ– एक समीक्षा

मुख्य अंश

बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा परिचारित मॉडल राज्य खनिज नीति, 2010 के अनुरूप राज्य खनन नीति तैयार नहीं की थी।

(कंडिका 6.4.2)

आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव, महत्वपूर्ण मूल पंजियों का संधारण नहीं किया जाना और विभागीय उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के कारण आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

(कंडिका 6.4.9)

अवैध खनिज की अधिप्राप्ति के लिये चार जिलों के कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 12.26 करोड़ का अर्थदण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.4.12)

माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बगैर खनिज उत्खनन हेतु ₹ 16.45 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.4.13)

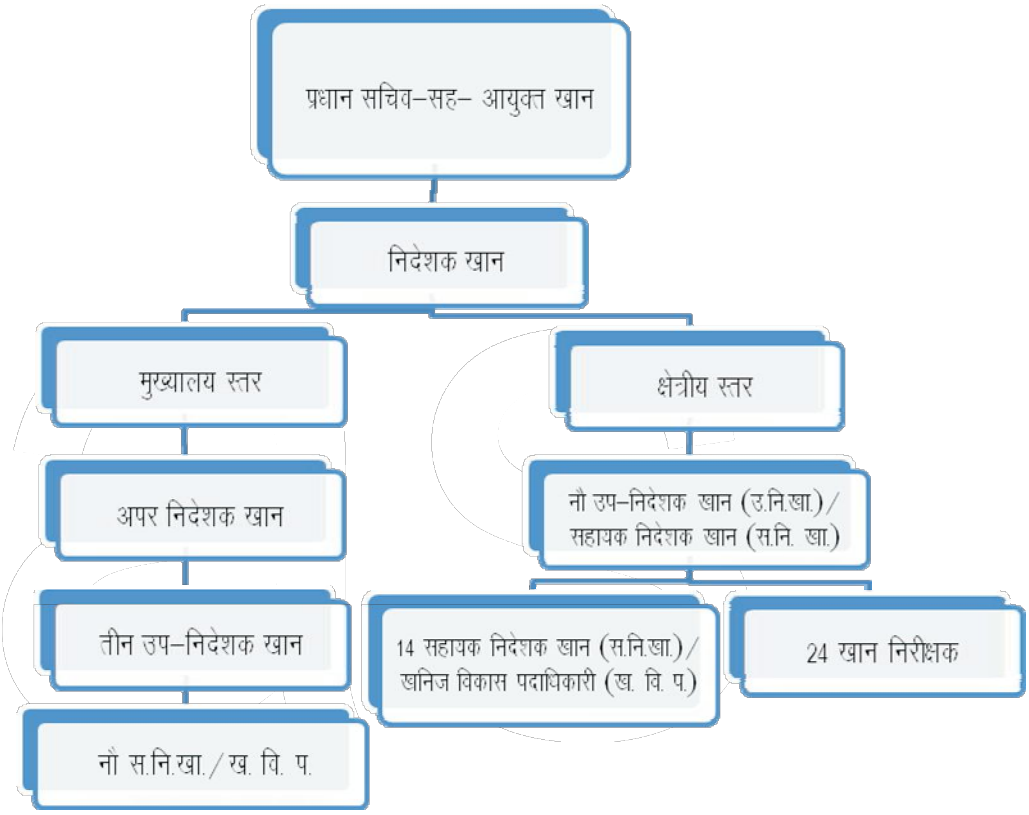
तीन जिलों में पत्थर के अधिक प्रेषण हेतु ₹ 64.86 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई थी।

(कंडिका 6.4.18.3)

6.4.1 प्रस्तावना

खनिजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे वृहत् एवं लघु खनिज। लघु खनिजों में भवन पत्थर, ग्रेभेल, साधारण क्ले, निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले बालू के अतिरिक्त साधारण बालू और कोई अन्य खनिज, जिसे केन्द्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा लघु खनिज घोषित किया हो, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मिट्टी एवं ईंट मिट्टी भी लघु खनिजों में शामिल हैं। अन्य सभी खनिज, जैसे चूना पत्थर, अभ्रख, सिलिका आदि, जो बिहार में उपलब्ध हैं, वृहत् खनिज कहे जाते हैं।

प्रधान सचिव–सह–आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रशासनिक प्रधान होते हैं। उनकी सहायता निदेशक, खान करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:



(श्रोतः विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय स्तर पर 14 सहायक निदेशक खान/खनिज विकास पदाधिकारी होते हैं, जो जिलों के स्वतंत्र प्रभार में रहते हैं, जबकि 24 खान निरीक्षक जिलों में समाहर्त्ता के नियंत्रणाधीन रहते हैं। इन पदाधिकारियों के साथ–साथ समाहर्त्ता, जो जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी होते हैं, 33 खनन जिलों[1] में रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी होते हैं। प्रमंडल के उप निदेशक, खान अपीलीय प्राधिकारी होते हैं एवं उनमें खनन राजस्व के बकायों की वसूली हेतु नीलामवाद पदाधिकारी की शक्तियाँ भी समाहित हैं।

[1] औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद (अरवल सहित), कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया (किशनगंज एवं अररिया सहित), रोहतास, समस्तीपुर, सहरसा(सुपौल सहित), सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली।

6.4.2 राज्य खनिज नीति

एक मॉडल राज्य खनिज नीति सभी राज्यों को इस आशय से परिचारित (दिसम्बर 2009) की गई थी कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खनिज नीति के दायरे में अपनी खनिज नीति तैयार करें। पुनः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने न्याय–निर्णय (फरवरी 2012) में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि केवल माइनिंग प्लान के अनुमोदित ढांचा के तहत् ही लघु खनिज का खनन किया जाये, जिससे कि खनिज निष्कासित क्षेत्र का भूमि–उद्धार एवं पुनर्वास हो सके। अतः केन्द्रीय खान मंत्रालय के साथ भारतीय खान ब्यूरो एवं संबंधित राज्य सरकारें इस संबंध में आवश्यक प्रावधान बनायें और छः माह के भीतर मॉडल दिशानिर्देश अपनायें। यद्यपि बिहार सरकार ने चार वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य खनिज नीति के अनुरुप कोई खनिज नीति विकसित नहीं की थी।

हमारे द्वारा यह इंगित किए जाने पर सरकार ने कहा (अक्टुबर 2013) कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय–निर्णय (फरवरी 2012) के आलोक में नयी बालू नीति पूर्व में ही तैयार कर लिया गया है। पुनः, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली में संशोधन प्रक्रियाधीन है, अतः अलग खनिज नीति बनाने की आश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 में परिचारित राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण, प्रभावित एवं विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के साथ वैज्ञानिक विधि से खनन संरक्षण एवं खनिज विकास पर जोर देते हुए व्यापक खनिज नीति तैयार नहीं की थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार राज्य के दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए खनिजों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन हेतू लघु एवं वृहत् दोनों खनिजों के लिए व्यापक खनिज नीति तैयार करे।

6.4.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या :

- विभाग का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रभावकारी एवं पर्याप्त था;
- खनन संचालन एवं राजस्व की वसूली से संबधित अधिनियमों/कानूनों/प्रावधानों का उचित तरह से अनुपालन किया गया था और सरकारी राजस्व का सही निर्धारण, आरोपण, वसूली एवं सरकारी लेखे में लेखांकन किये गये थे तथा
- पर्यावरणीय एवं पारिस्थतिकी पहलुओं का ध्यान रखा गया था।

6.4.4 लेखापरीक्षा का मानदंड

समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित श्रोत से प्राप्त किये गये है:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957।
- खनिज समनुदान नियमावली, 1960।
- खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988।
- बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972।
- बिहार वित्तीय नियमावली भाग–I।
- बिहार बजट प्रक्रिया।
- भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908।

- बिहार खनिज (अवैध खनन के निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2003।
- बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914।
- पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986।
- वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियत्रंण) अधिनियम, 1981।

6.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

खनिज उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के लिए इस समीक्षा हेतु 33 में से 10 जिला खनन कार्यालयों[2] का चयन किया गया। नौ उप निदेशक, खान के कार्यालयों में से तीन उप निदेशक, खान[3] के कार्यालयों का, उनके अधीनस्थ जिलों द्वारा राजस्व सृजन के आधार पर चयन किया गया। इसके अलावे खान निदेशक का कार्यालय, जो मुख्यालय स्तर पर नियंत्री कार्यालय होता है, का भी चयन किया गया। समीक्षा में अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्घटित मामले को भी शामिल किया गया है। यह समीक्षा मई से जुलाई 2013 के बीच की गई।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में दिशानिर्देश तैयार करना, अभिलेखों की जाँच हेतु क्षेत्र भ्रमण, विभाग से डाटा का संग्रहण, लेखापरीक्षा आपत्ति जारी करना, प्रश्नोत्तरी एवं लेखापरीक्षा ईकाईयों से उनका जवाब प्राप्त कर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

हमने प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के साथ 26 अप्रैल 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन किया जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र, एवं लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति को बतलाया गया। समीक्षा के परिणामों पर 9 अक्टूबर 2013 को निर्गमन सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। संयुक्त सचिव ने सरकार का जबकि अपर निदेशक ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया था। सरकार के मंतव्यों को संबधित कंडिकाओं में अनुकुलतः शामिल कर लिया गया है।

6.4.6 आभारोक्ति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में खान एवं भूतत्व विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

[2] बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, लखीसराय, मोतीहारी, मुंगेर, पटना, रोहतास और वैशाली।

[3] गया, मुंगेर और पटना।

6.4.7 राजस्व की प्रवृति

6.4.7.1 बजट तैयार किया जाना

बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के अनुसार राजस्व और प्राप्तियों के आकलन में वर्ष के अंदर संभावित वसूली की राशि को दर्शाया जाना चाहिए। आने वाले वर्षों के लिये निश्चित राजस्व आकलन की गणना विगत वर्ष के देय कोई बकाया सहित वास्तविक माँग और वर्ष के दौरान उसकी वसूली की संभावना पर आधारित होनी चाहिए। बकाया एवं चालू माँग को अलग–अलग दर्शाया जाना चाहिए तथा अगर उनकी पूर्ण वसूली की संभावना नहीं हो तो कारण दिया जाना चाहिए। राजस्व के उतार–चढ़ाव के मामले में आकलन विगत तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होनी चाहिए।

बिहार सरकार के वित्त लेखे में दर्शाई गई खान एवं खनिज से वास्तविक प्राप्तियों से मई 2013 में हमने पाया कि वर्ष 2008–13 के दौरान बजट आकलन तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच काफी भिन्नता थी, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका–6.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता
2008–09	140.00	245.00	(+)105.00	75.00
2009–10	180.00	319.93	(+)139.93	77.74
2010–11	294.00	405.59	(+)111.59	37.96
2011–12	280.00	443.10	(+)163.10	58.25
2012–13	470.00	511.08	(+)41.08	8.74

(श्रोतः राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2008–12 के दौरान खान एवं खनिज से वास्तविक प्राप्तियाँ बजट आकलन से 37.96 प्रतिशत से 77.74 प्रतिशत तक अधिक थी, जबकि वर्ष 2012–13 के बजट आकलन में पूर्व वर्ष के बजट आकलन से 68 प्रतिशत की प्रर्याप्त वृद्धि हुई थी।

6.4.7.2 राजस्व आँकड़ों का मिलान किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 के अनुसार विभाग के पदाधिकारियों का यह देखे जाने का दायित्व है कि सरकार के सभी बकाये राशि का निर्धारण, संग्रहण और लोक लेखा में नियमित और तत्परता के साथ जमा किया गया है और वसूली गई राशि की लोक लेखा में जमा किये जाने को देखने हेतु महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेखों से उनका मिलान करें।

विभाग द्वारा प्रस्तुत राजस्व संग्रहण विवरणी और बिहार सरकार के वित्त लेखे में दर्ज आँकड़ों से हमने मई 2013 में पाया कि वित्त लेखे में दर्शायी गयी प्राप्तियों और विभाग द्वारा प्रतिवेदित प्राप्तियों में भिन्नता थी, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है :

तालिका–6.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियाँ (वित्त लेखे के अनुसार)	प्राप्तियाँ (विभाग के अनुसार)	भिन्नता (4–3)	राशि का मिलान (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
2008–09	164.09	245.00	180.92	64.08	शून्य
2009–10	209.35	319.93	263.48	56.45	12.29 (3.84)
2010–11	295.82	405.59	314.18	91.41	69.05 (17.02)
2011–12	375.01	443.10	377.28	65.82	112.47 (25.38)
2012–13	510.47	511.08	465.51	45.57	50.16 (9.81)

जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, वर्ष 2008–13 के दौरान वित्त लेखे में दर्शाये गये वास्तविक आँकड़े और खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के बीच ₹ 45.57 करोड़ से ₹ 91.41 करोड़ तक की भिन्नता थी। पुनः यह पाया गया कि वर्ष 2009–13 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के अभिलेखों से केवल 3.84 प्रतिशत से 25.38 प्रतिशत तक की ही प्राप्तियों (वित्त लेखे के अनुसार) का मिलान किया गया था।

हमारे द्वारा इंगित किऐ जाने के बाद, सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2013) कि नियमित अंतराल पर राजस्व आकड़ों के मिलान के लिए दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की कंडिका 6.2.18 में इंगित किये गये इसी तरह के मामले की प्रतिक्रिया में, विभाग द्वारा सभी जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को आँकड़ो के मिलान हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया था। इसके बावजूद भी यह अनियमितता जारी है, जो विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि पुस्त–हस्तांतरण द्वारा जमा की गयी राशि सहित राजस्व संग्रहण आँकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेखों से मिलान को सुनिश्चित करने हेतु विभाग को प्रभावी कदम उठाने चाहिये।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

''खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ'' पर समीक्षा के क्रम में पायी गई लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है:

6.4.8 राजस्व के बकाये

6.4.8.1 संग्रहण हेतु लंबित बकाये

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार वर्षवार राजस्व के बकाये निम्नवत है:

तालिका–6.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष (तक)	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	कुल बकाया
2008–09	97.25	32.13	129.38
2009–10	129.38	16.19	145.57
2010–11	145.57	8.18	153.75
2011–12	153.75	21.77	175.52
2012–13	175.52	25.17	200.69

31 मार्च 2013 को खान एवं खनिज से प्राप्तियाँ से संबंधित बकाया राजस्व ₹ 200.69 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 97.25 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से लंबित थी। पुनः कुल बकाये राशि ₹ 200.69 करोड़ में से ₹ 184.59 करोड़ की राशि राजस्व वसूली निलामपत्रवाद कार्यवाही के अन्तर्गत थे। शेष बकाया राशि किस स्थिति पर लंबित थी, के संबंध में विभाग ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी और साथ ही अनुरोध किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उम्रवार विश्लेषण नहीं की जा सकी।

6.4.8.2 निलामपत्र मामलों की स्थिति

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत, नियंत्री पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे यह देखें कि सरकारी बकायों का सही एवं उचित निर्धारण, वसूली एवं कोषागार में जमा की गई है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अनुसार लगान, रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम के अंतर्गत लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगा। सर्टिफिकेट मैन्यूअल की कंडिका 6 के अन्तर्गत माँग पदाधिकारी और नीलामपत्रवाद पदाधिकारी, नीलामपत्र मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगें।

निदेशक खान, पटना के कार्यालय में नीलामपत्र मामलों की स्थिति पर प्रतिवेदन से हमने मई 2013 में पाया कि 31 मार्च 2013 को सभी तीन चयनित उप निदेशक, खान के कार्यालयों एवं तीन जिला खनन कार्यालयों में 22,094 मामलों में सन्निहित कुल ₹ 132.50 करोड़ की राशि लंबित थी, जैसा कि नीचे विवर्णित है:

तालिका–6.8

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	उप निदेशक, खान, गया	4,861	34.86
2.	उप निदेशक, खान, मुंगेर	2,751	29.97
3.	उप निदेशक, खान, पटना	10,289	52.25
4.	खनन कार्यालय, वैशाली	1,311	3.68
5.	खनन कार्यालय, भागलपुर	603	2.79
6.	खनन कार्यालय, मोतीहारी	2,279	8.95
योग		**22,094**	**132.50**

उपरोक्त तीन उप निदेशक, खान एवं तीन खनन कार्यालयों के अंतर्गत ₹ 132.50 करोड़ से सन्निहित 22,094 मामले मार्च 2013 तक लम्बित थे। यद्यपि उप निदेशक, खान, पटना ने 397 मामलों में जब्ती कुर्की वारंट[4] निर्गत किये थे और पुलिस विभाग को भेजे थे। जब्ती कुर्की वारंट के कियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पुलिस विभाग पर होती है। अभिलेखों (कुर्की/वांरट संचिका) में ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चले कि जब्ती कुर्की वारंट का कियान्वयन हुआ या नहीं। अन्य कार्यालयों में इस संबंध में किये गए कार्रवाई, यदि कोई हो, से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। अनुरोध किये जाने के बावजूद विभाग द्वारा उम्रवार आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार निलामपत्र मामलों के निपटारा एवं सरकारी बकाये की वसूली हेतु अनुश्रवण एवं समयबद्ध कार्यक्रम बनाये।

6.4.9 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का आशय अधिनियमों, नियमावली एवं विभागीय निर्देशों के यथोचित क्रियान्वयन का उचित आश्वासन प्रदान करना है। यह सरकारी राजस्व की क्षति के विरूद्ध पर्याप्त बचाव के उपाय में भी सहयोग प्रदान करता है।

6.4.9.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और सामान्यतः समस्त नियंत्रणो के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासित करता है कि विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

विभाग में कोई अलग से आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ नहीं था एवं वर्ष 2008–13 के दौरान वित्त विभाग के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ मुख्यालय का भी लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। विभाग ने कहा कि वित्त (अंकेक्षण) को लेखापरीक्षा हेतु कोई अधियाचना नहीं भेजी गयी थी और आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए विभाग में कोई प्रणाली नहीं थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि इस विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार विभाग अपने कमजोरियों एवं शक्तियों से अनभिज्ञ था।

[4] जब्ती कुर्की वारंट, कोर्ट अधिकारी को संपत्ति को जब्त या अवरूद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है।

6.4.9.2 पंजियों का संधारण नही किया जाना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम की धारा 12 और 23 सी के अनुसार महत्वपूर्ण पंजियों, जैसे पूर्वपेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदन/खनन पट्टा/वैध अनुज्ञा–पत्र/ अवैध खनन पंजी का संधारण किया जाना है। पुनः, विभाग के जून 1988 एवं जून 1998 में निर्गत अनुदेशों के अनुसार खनन पदाधिकारियों को अवैध खनन पंजी का संधारण करना है। खनन पदाधिकारियों और खान निरीक्षक को क्रमशः एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार और छह बार अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक खान की जाँच करनी है और वस्तुस्थिति को उक्त पंजी में दर्ज करनी है।

नमूना जाँच किये गए 10 जिला खनन कार्यालयों में से छह खनन कार्यालयों[5] में मई और जुलाई 2013 के बीच हमने पाया कि अवैध खनन से संबधित पंजी संधारित नहीं किये गये थे। तीन अन्य खनन कार्यालयों[6] द्वारा बतलाया गया कि अवैध खनन से संबधित पंजी का संधारण किया जा रहा था, लेकिन अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। खनन पदाधिकारी, पटना द्वारा इस मामले में उत्तर नहीं दिया गया। इसके फलस्वरूप एक वित्तीय वर्ष में कितने जाँच किए गये एवं अवैध खनन से संबंधित मामलों की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

पुनः हमने पाया कि पंजियाँ, जैसे नये खनन पट्टा हेतु आवेदन, वृहत्त खनिज पट्टों का नवीकरण, पेट्रोलियम और गैस अनुज्ञप्ति हेतु माँग संग्रहण एवं शेष पंजी, मुख्यालय को भेजे जाने वाले मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रतिवेदन/रिटर्न, निदेशक, खान के कार्यालय में संधारित नहीं थे। इन महत्त्वपूर्ण पंजियों एवं प्रतिवेदन/रिटर्न के अभाव में विभागीय पदाधिकारी नये खनन पट्टों/खनन पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन के निष्पादन तथा लगान, रॉयल्टी एवं भुगतेय अनुज्ञप्ति शुल्क का निर्धारण करने में असमर्थ थे। उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण पंजियो का संधारण नहीं किया जाना विभाग में कमजोर अनुश्रवण तंत्र को दर्शाता है।

हमलोगों द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जिला स्तरीय कर्मचारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिया जायेगा। इस संबंध में आगे के प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

6.4.9.3 विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा जून 1970 में जारी अधिसूचना के अनुसार उप निदेशक, खान को खनन कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना था।

उच्च प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण, कार्यालय के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का एक मुख्य साधन है। मई एवं जून 2013 के बीच हमने पाया कि संबंधित उप निदेशक, खान ने 10 नमूना जाँचित खनन कार्यालयों में से केवल चार का वर्ष 2008–13 के दौरान निरीक्षण किया था, यद्यपि उन्हें वर्ष में एक बार सभी नमूना जाँचित खनन कार्यालयों का निरीक्षण करना था। इन सीमित निरीक्षणों ने महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि अति आवश्यक पंजी का

[5] बेगुसराय, भोजपुर, गया, लखीसराय, मुंगेर और वैशाली।
[6] भागलपुर, मोतीहारी और रोहतास।

संधारण नहीं किये जाने को इंगित नहीं किया था। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका–6.9

वर्ष	जिला का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण प्राधिकारी	परिणाम
2008–09	लखीसराय	2.8.2008	उप निदेशक, खान, मुंगेर	कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन नहीं पाया गया।
2010–11	गया	24.3.2011 से 25.3.2011	उप निदेशक, खान, गया	उत्तोलन एवं प्रेषण पंजी संधारित था किन्तु अद्यतन नहीं था।
	पटना	21.10.2010 से 22.10.2010	उप निदेशक, खान, पटना	अवैध खनन से संबंधित पंजी संधारित नहीं था।
	रोहतास	9.3.2011 से 11.3.2011	उप निदेशक, खान, पटना	चूना पत्थर एवं क्रशर से संबंधित उत्तोलन एवं प्रेषण पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। बालू एवं पत्थर से संबंधित उत्तोलन एवं प्रेषण पंजी सही ढ़ंग से संधारित नहीं किया जा रहा था।

चूना पत्थर, क्रशर, बालू एवं पत्थर का उत्तोलन एवं प्रेषण संबंधित सूचनाएं/पंजी लेखापरीक्षा को अनुरोध किये जाने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। अतः इनके प्रभावकारिता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार

- **नियमित अंतराल पर वित्त विभाग द्वारा मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाये, जिससे कि कमियों, अगर कोई हो, को सही समय पर दूर किया जा सके।**
- **मूल अभिलेखों, जैसे अवैध खनन पंजी, पट्टा आवेदन पंजी, पट्टा नवीकरण पंजी आदि का संधारण एवं उनका नियमित अंतराल पर उच्च विभागीय पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा सुनिश्चित करे।**
- **क्षेत्रीय कार्यालयों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण एवं निरीक्षण के क्रम में पायी गई त्रुटियों का निराकरण सुनिश्चित करे।**

6.4.10 सूचना प्रौद्योगिकी पहलू

एक अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्रणाली का मान यह है कि वे एक सक्षम एवं प्रभावशाली कार्यक्रम वितरण तंत्र हो। विभाग ने संकल्प (दिसम्बर 2006) द्वारा मुख्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपने कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग करने का निर्णय लिया। पुनः, बिहार सरकार के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 की कंडिका 5.3.3 के अनुसार विभाग को वार्षिक ब्यौरा के साथ पंच–वर्षीय आई. टी. योजना तैयार करने की आवश्यकता थी, जिसमें आई. टी. आधारभूत संरचना में निवेश, कर्मियों के प्रशिक्षण एवं उच्च नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदान करने की व्यवस्था हो। नोडल आई. टी. पदाधिकारी राज्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अवधारणा एवं कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित करेंगें।

विभाग ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 के अनुसार पंच–वर्षीय आई. टी. योजना तैयार नहीं की थी और न ही किसी पदाधिकारी को राज्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अवधारणा एवं कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया था। हमने अवलोकन किया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा यह इंगित किए जाने पर सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2013) कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण किया जा रहा था और यह कार्य बिहार इलेक्ट्रोनिक्स डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (बेलट्रॉन) को सौंपा गया है।

6.4.11 मानव बल प्रबंधन

विभाग के श्रेणीवार स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल (मई 2013 को) नीचे दिये गये हैं:

तालिका–6.10

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी
1.	उप निदेशक	8	1	7
2.	सहायक निदेशक/जिला खनन पदाधिकारी	11	7	4
3.	सहायक खनन पदाधिकारी/सहायक खनिज विकास पदाधिकारी	25	15	10
4.	खान निरीक्षक	38	16	22

(श्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि खान निरीक्षक, जो विभाग के कार्य संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं, की श्रेणी में काफी अधिक संख्या में रिक्तियां हैं। यह भी पाया गया कि नौ खान निरीक्षक एक से अधिक, यहाँ तक कि दूरस्थ स्थानों पर अवस्थित, जिलों के प्रभार में थे । यह राज्य के राजस्व की वसूली एवं अवैध खनन के रोकथाम में विपरीत प्रभाव डाल सकता है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि भविष्य में विभाग नवनियुक्त उप समाहर्त्ताओं की सेवा लेने पर विचार कर रही है।

हम अनुशंसा करते हैं कि खनिज संसाधन के बेहतर विकास एवं अवैध खनन के प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार खनन कार्यालयों के रिक्तियाँ को भरने पर विचार कर सकती है।

6.4.12 कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण किये जाने संबंधी नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का नियम 40 (10) प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे। कार्य विभाग, संवेदकों द्वारा किए गये कार्य में व्यवहृत खनिजों के लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह निर्धारित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन', जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो।

पुनः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निकालेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहां ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर दिया गया है, वहां उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है।

दिसम्बर 2012 एवं जुलाई 2013 के बीच 11 नमूना जाँचित खनन कार्यालयों[7] में से आठ जिला खनन कार्यालयों[8] के राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन से हमने पाया कि कार्य विभागों द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के अवधि के दौरान कार्य संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी के रूप में कुल ₹141.19 करोड़ की कटौती कर शीर्ष "0853–अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग" के अन्तर्गत जमा किया गया था। इसमें से हमने ₹ 12.26 करोड़ के रॉयल्टी की कटौती के मामले को कोषागार तथा चार जिलों[9] के कार्य विभागों के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच किया तथा पाया कि कार्य विभागों ने प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' को सुनिश्चित किये बगैर खनिजों के उपयोग के विरूद्ध संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी की कटौती की तथा जमा किया था। कार्य विभागों ने उक्त प्रावधानों की अवहेलना में संवेदकों के उन विपत्रों को, जो प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' द्वारा समर्थित नहीं थे, रॉयल्टी की राशि की कटौती करने के बाद स्वीकार किया तथा शीर्ष "0853–अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग" में जमा कराया। कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्रस्तुत नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि खनिजों की अधिप्राप्ति प्राधिकृत व्यवसायी/अनुज्ञप्तिधारी से नहीं किया गया था। पुनः कार्य विभागों से काटी गई रॉयल्टी प्राप्त होने पर खनन पदाधिकारियों द्वारा कम से कम ₹ 12.26 करोड़ के रॉयल्टी के समतुल्य न्युनतम अर्थदण्ड का मांग कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों से नहीं किया गया।

7 बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, लखीसराय, मोतीहारी, मुंगेर, नवादा, पटना, रोहतास और वैशाली।

8 बेगुसराय, भागलपुर, गया, मोतीहारी, नवादा, पटना, रोहतास और वैशाली।

9 बेगुसराय, मोतीहारी, पटना और वैशाली।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुये खनन राजस्व के हित में कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाना उचित नहीं था। तथ्य यह है कि कार्य संवेदकों के विपत्र से व्यवहृत खनिज के विरूद्ध कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी की कटौती और इसे कोषागार में प्रेषण यह दर्शाता है कि खनिज अनुज्ञा–पत्र धारक/अधिकृत व्यवसायी से खरीदा नहीं गया था और बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के तहत् अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए था।

हम अनुशंसा करते हैं कि अवैध खनिज एवं राजस्व के रिसाव की रोकथाम के लिए विभाग सभी राजस्व विभागों खास कर कार्य विभागों के साथ बेहतर सांमजस्य बनाये जाने हेतु एक प्रणाली की स्थापना कर सकती है।

6.4.13 माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बिना खनिजों का उत्खनन

खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 22 ए के अनुसार अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार ही खनन कार्य किया जाएगा और खनन पट्टा के संचालन की अवधि के दौरान अनुमोदित माइनिंग प्लान में परिवर्तन के लिए पूर्वानुमोदन की भी आवश्यकता होगी। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 12 विहित करती है कि पट्टेधारी माइनिंग प्लान की समीक्षा करेंगे और अगले पाँच वर्षों के लिए खनन योजना वर्तमान प्लान की समाप्ति से कम से कम 120 दिन पहले भारतीय खान ब्यूरो को समर्पित करेंगे तथा भारतीय खान ब्यूरो 90 दिनों के भीतर उसके अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना देगा। पुनः, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के नियम 23 बी के अन्तर्गत खनन पट्टा का नवीकरण या नई स्वीकृति के मामलों में पट्टेधारी माइनिंग प्लान के अवयव के रूप में एक प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत करेगा। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21(5) विहित करती है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिज निकालेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहां ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर दिया गया हो, वहां रॉयल्टी के साथ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है।

तीन जिला खनन कार्यालयों[10] में सिलिका/ क्वार्ट्ज/क्वार्ट्जाइट/ चूना पत्थर के खनन पट्टा संचिका की संवीक्षा में हमने जून 2013 में पाया कि तीन पट्टेधारियों नें माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोज़र प्लान प्रस्तुत नहीं किया था और अपने खान से खनिजों का उत्पादन एवं प्रेषण लगातार जारी रखा था। माइनिंग प्लान/योजना के अभाव में खनन पदाधिकारी खनिजों के उत्खनन का अनुश्रवण करने में अक्षम थे। पट्टा के लिए माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान का अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना खनिजों के प्रेषण के लिए अभिवहन पास निर्गत किया गया तथा मासिक विवरणियों के आधार पर रॉयल्टी का संग्रहण किया गया। पट्टेधारियों द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किए जाने के बावजूद भी संबंधित खनन पदाधिकारियों ने अभिवहन पास निर्गत किया जिससे पट्टेधारी अपने खनिजों के प्रेषण में सफल रहे। पट्टेधारियों को अदेय लाभ दिए जाने के फलस्वरूप सरकार को अर्थदंड के रूप में ₹ 16.45 करोड़[11] के राजस्व से वंचित होना

10 लखीसराय, मुंगेर और रोहतास।

11 वर्ष 2008–09 से 2010–11 के भारतीय खान ब्यूरो के मिनरल ईयर बुक/मासिक रिटर्न पर आधारित रॉयल्टी के अनुसार संगणित।

पड़ा जो कि **परिशिष्ट– XIV** में वर्णित है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि माइनिंग प्लान के बिना खनिजों के उत्खनन के मामले की जाँच करने हेतु संबंधित खनन पदाधिकारियों को निदेशित किया जाएगा। इस संबंध में आगे की प्रगति हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

6.4.14 मासिक विवरणी प्रस्तुत किया जाना

खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 45(1) और 52 के अनुसार प्रत्येक खान के स्वामी, अभिकर्ता, खनन अभियंता या प्रबंधक, उनके द्वारा किये गये खनिज कार्य से संबंधित मासिक और वार्षिक रिटर्न भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार या इस संबध में विहित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नियम 58 प्रावधित करता है कि जो कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे दो वर्ष तक का सजा अथवा साथ में ₹ 50,000 का अर्थदंड लगेगा। लगातार उल्लंघन के मामलो में प्रत्येक दिन के लिए जिस अवधि में लगातार उल्लंघन किया गया है, ₹ 5,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी आरोप्य होगा।

हमलोगों ने दिसम्बर 2012 में पाया कि जिला खनन कार्यालय, नवादा में अभ्रख खनिज के तीन पट्टेधारियों में से दो पट्टेधारी (सपही मौजा में 3,300 एकड़ हेतु बिहार राज्य खनिज विकास निगम और मौजा सवाइटाँड, बेलवा/डेलहा में 2,465.54 एकड़ हेतु दूसरे पट्टाधारी) द्वारा क्रमशः जनवरी 2004 से दिसम्बर 2012 और जनवरी 2003 से दिसम्बर 2010 तक उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार मासिक रिटर्न जमा नहीं किया गया था। उत्पादन नहीं होने पर भी पट्टेधारी को रिटर्न जमा करना था। हालाँकि खनन पदाधिकारी के साथ–साथ निदेशक, खान ने भी इसके अनुपालन अथवा मासिक रिटर्न जमा नहीं करने हेतु जुर्माना आरोपित किये जाने की कार्रवाई नहीं की। अतः अनुपालन नहीं किये जाने पर अधिकतम आरोप्य जुर्माना ₹ 1.02 करोड़[12] संगणित की गई। ऐसे रिटर्न के अभाव में खनिजों के उत्पादन का अनुश्रवण भी नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2013) कि इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी। हम इस संबंध में आगे की प्रतिवेदन हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

[12] बिहार राज्य खनिज विकास निगम– ₹ 50,000 के दर पर 108 माह हेतु – ₹ 54,00,000 मौजा सवाइटाँड, बेलवा/डेलहा का एक दूसरा पट्टाधारी– ₹ 50,000 के दर पर 96 माह हेतु– ₹ 48,00,000।

6.4.15 खनन पट्टा के नवीकरण हेतु आवेदन का निपटारा नहीं किया जाना

खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 24 ए के अनुसार खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन पट्टा की समाप्ति की तिथि से 12 माह पूर्व राज्य सरकार को दिया जाना है। खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन का निष्पादन छः माह के भीतर किया जाना है।

निदेशक खान, पटना के कार्यालय में वृहत् खनिज के खनन पट्टा संचिका से हमने मई 2013 में पाया कि रोहतास जिले के चूना पत्थर के चार खनन पट्टे के पट्टेधारियों ने समयसीमा के भीतर 20 वर्षों की अवधि के लिए पट्टों के नवीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन ये सभी आवेदन वर्ष 1985 से लंबित थे और रॉयल्टी एवं अन्य बकायों का भुगतान नहीं करने तथा वन एवं पर्यावरण विभाग से स्वच्छता प्रमाण के कारण 28 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी निपटारा नहीं किया जा सका था। सरकार ने इस तथ्य की जाँच करने एवं अपनी अनुशंसा देने के लिए सितम्बर 2012 में एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी मामलों में पट्टा नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की अनुशंसा (अक्टुबर 2012) की क्योंकि पट्टा का क्षेत्र वन–क्षेत्र में पड़ता था और पट्टेधारी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वच्छता प्रमाण प्राप्त नहीं कर सके थे। यद्यपि सरकार ने एक वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी समिति की अनुशंसा पर कोई निर्णय नहीं लिया था।

हमारे द्वारा यह इंगित किए जाने पर सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2013) कि इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी। हम इस संबंध में आगे के प्रतिवेदन हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि

- **समुचित खनिज विकास एवं भंगुर पर्यावरण के संरक्षण के लिए माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान की अनुमोदन के बिना खनन कार्य नहीं किया जाये।**
- **नियत लगान/रॉयल्टी आदि के सही निर्धारण के लिए पट्टेधारियों से मासिक, तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न प्राप्त करे। रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में कानून के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड आरोपित किया जाये।**

6.4.16 ईंट भट्ठों का अवैध परिचालन

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 4 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में वैध अनुज्ञा–पत्र के बगैर खनन कार्य नहीं कर सकता है। पुनः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 28 (1) के तहत् अनुज्ञा–पत्र के लिये प्रपत्र 'झ'* में आवेदन सक्षम पदाधिकारी के पास करेगें। पुनः जो कोई भी लघु खनिज का निष्कासन करते हुए अथवा हटाते हुए पाया जाएगा तब लघु खनिज का अवैध निष्कासन माना जाएगा और वह बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40 के तहत् दण्डनीय होगा।

*फारम 'झ'– खनन अनुज्ञा–पत्र के लिये आवेदन हेतु विहित है।

मई एवं जुलाई 2013 के बीच 10 जिला खनन कार्यालयों[13] के ईंट भट्ठा मालिकों के संचिकाओं एवं अनुज्ञा–पत्र पंजी से हमने पाया कि वर्ष 2008–13 के दौरान संचालित 8,193 ईंट भट्ठों में से 6,789 ईंट भट्ठे [14] (83 प्रतिशत) मिट्टी के निष्कासन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जमीन मालिकों से एकरारनामा का दस्तावेज आदि के अभाव में अनुज्ञा–पत्र प्राप्त किये बगैर तथा बिना समेकित स्वामित्व के भुगतान के संचालित थे। संबंधित खनन पदाधिकारियों द्वारा ईंट भट्ठा पंजी एवं अनुज्ञा–पत्र पंजी का मिलान नहीं किया गया था और उच्च विभागीय पदाधिकारी द्वारा समीक्षा भी नहीं की गयी थी, जिससे वे अनुज्ञा–पत्र के बगैर चलाये गये ईंट भट्ठों के संचालन के तथ्य से अनभिज्ञ रहे। बिना अनुज्ञा–पत्र के ही खनन कार्य किये जाने के तथ्य के बावजूद, विभाग ने बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अनुसार व्यापार को बन्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

मामले सरकार को सितम्बर 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके स्पष्ट जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सभी जरूरी कागजातों की जाँच और भंगुर पर्यावरण की सुरक्षा एवं राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए अन्य स्थानीय प्रशासन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए खनन पदाधिकारियों को उत्तरदायी बनाना चाहिए।

[13] बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, लखीसराय, मोतीहारी, मुंगेर, रोहतास, पटना और वैशाली।

[14] बिना परमिट के परिचालित ईंट भट्ठों की संख्या– 2008–09 (1111), 2009–10 (1263), 2010–11 (1344), 2011–12 (1324), 2012–13 (1747) – 6789।

6.4.17 बालू घाटों की बन्दोबस्ती से प्राप्तियाँ

6.4.17.1 बालू घाटो की बन्दोबस्ती की अधिसूचना विलम्ब से निर्गत किया जाना

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के अनुदेश सं0 6198, दिनांक 3 अक्टूबर 1988 की उपबंध (5) के अनुसार यदि किसी कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी से बालू घाटों का बन्दोबस्ती होनी है तो बन्दोबस्ती प्रकिया पिछले वर्ष के नवम्बर माह की पहली तारीख को प्रारम्भ कर दी जाए ताकि बन्दोबस्तधारी को जनवरी के पहले दिन से घाटों को सौंपा जा सके। पुनः दिसम्बर 2006 की अधिसूचना के उपबंध 7 के अनुसार बालू घाटों को तीन कैलेण्डर वर्ष हेतु बन्दोबस्त किया जायेगा।

निदेशक खान, पटना के कार्यालय में बालू घाटों की बन्दोबस्ती संचिका से हमने मई 2013 में पाया कि कैलेण्डर वर्ष 2010–12 के लिए 1 फरवरी 2010 से बालू घाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित अधिसूचना 31 दिसम्बर 2009 को जारी किया गया था तथा विभाग ने जनवरी 2010 के लिए बालू घाटों के संचालन हेतु पुराने बन्दोबस्तधारी को ही कैलेण्डर वर्ष 2009 की बन्दोबस्ती राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर एक माह के लिये समानुपातिक राशि जमा किये जाने पर अनुमति (दिसम्बर 2009) प्रदान किया था। वर्ष 2010 हेतु बालू घाटों की बन्दोबस्ती से विभाग ने ₹ 124.48 करोड़ की राशि का संग्रहण किया। एक माह की समानुपातिक राशि ₹ 10.57 करोड़ थी जिसके विरूद्ध उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार विभाग ने पुराने बन्दोबस्तधारी से माह जनवरी 2010 के लिए केवल ₹ 5.60 करोड़ ही संग्रहित किया। इस प्रकार बालू घाटों के बन्दोबस्ती हेतु अधिसूचना जारी करने में विलम्ब के कारण सरकार ₹ 4.97 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि बालू घाटों की नीलामी के लिए सारण, पटना, भोजपुर जिलों को मिलाकर एक ईकाई एवं औरंगाबाद तथा रोहतास जिलों को मिलाकर एक ईकाई के रूप में बालू घाट बनाये जाने के लिए प्रतिवेदन दाखिल करने में विलम्ब के कारण बालू घाटों की बन्दोबस्ती से संबंधित अधिसूचना 31 दिसम्बर 2009 को जारी किया गया था। उन्होने आगे कहा कि इस अवधि में बालू घाट अबंदोबस्त नहीं रहे। सरकार का जबाव इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि उपरोक्त अनुदेश के अनुसार बन्दोबस्ती प्रकिया इस प्रकार से प्रांरभ होनी चाहिए थी कि इसे 31 दिसम्बर तक पूरा किया जा सके।

6.4.17.2 बालू घाट की बन्दोबस्ती के विलेख का निष्पादन नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम–11 ए के साथ पठित नियम–11 बी (2) के अनुसार जब बन्दोबस्ती लोक नीलामी द्वारा की गयी हो, तब बन्दोबस्ती आदेश की तिथि से 30 दिनो के भीतर प्रपत्र 'ओ' में एक विलेख निष्पादित किया जायेगा तथा यदि बन्दोबस्तधारी की विफलता के कारण ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया गया हो तो बन्दोबस्ती आदेश रद्द समझा जायेगा तथा प्रतिभूति जमा तथा अन्य भुगतान की गयी राशि जब्त की जा सकती है।

प्रपत्र ओ बिहार सरकार और बालू घाट के बन्दोबस्तधारी के बीच एकरारनामा हेतु एक नमूना प्रारूप है।

तीन जिला खनन कार्यालयों[15] में कैलेण्डर वर्ष 2007–12 हेतु बालू घाटों की बंदोबस्ती संचिका की संवीक्षा से हमने जून एवं जुलाई 2013 के बीच पाया कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद कैलेण्डर वर्ष 2007–09 के लिए बन्दोबस्ती विलेख का निष्पादन नहीं किया गया था। यद्यपि संबंधित खनिज पदाधिकारियों ने बन्दोबस्ती को न तो रद्द किया था और न ही प्रतिभूति जमा एवं अन्य राशि को जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई की थी। इस प्रकार विलेख का निष्पादन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप निबंधन फीस के रूप में सरकारी राजस्व से वंचित होना पड़ा।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि संबंधित समाहर्त्ता को विलेख के निष्पादन पर नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। आगे का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

6.4.17.3 बालू घाटो की बंदोबस्ती के विलेख का निबंधन नहीं कराया जाना

अधिसूचना सं0 2972/एम., दिनांक 2 दिसम्बर 2006 के उपबंध 9 के अनुसार बालू घाटों की बन्दोबस्ती हेतु बन्दोबस्तधारी को एक सप्ताह के अन्दर बन्दोबस्ती के एकरारनामा का निबंधन कराना है। पुनः भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) डी के अनुसार अचल परिसम्पति के पट्टे दस्तावेज को वर्षवार अथवा एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए निबंधन कराना होगा।

चार जिला खनन कार्यालयों[16] में बालू घाटों की बन्दोबस्ती संचिकाओं से हमने जून एवं जुलाई 2013 के बीच पाया कि अधिसूचना (दिसम्बर 2006) के अनुसार वर्ष 2007 में आठ बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रत्येक वर्ष बन्दोबस्ती राशि के 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ अगले दो लगातार वर्षों के लिये ₹ 28 करोड़ में किये गये थे। बन्दोबस्तधारियों ने बन्दोबस्ती राशि ₹ 92.69 करोड़ पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया लेकिन वर्ष 2007–09 के दौरान विलेखो का निबंधन नहीं कराया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ के निबंधन फीस (₹ 92.69 करोड़ के मूल्य राशि पर चार प्रतिशत की दर से) की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि भारतीय निबंधन अधिनियम के अनुसार एक वर्ष के लिए किसी भी विलेख का निबंधन ऐच्छिक है। पुनः यह कहा गया कि बालू घाटों की बन्दोबस्ती वार्षिक आधार पर हुआ था। सरकार का कथन इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि बालू घाटों की बन्दोबस्ती तीन वर्षो के लिए

15 भोजपुर, लखीसराय और मुंगेर।
16 भोजपुर, मुंगेर, पटना और रोहतास।

हुआ था। इस प्रकार बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेखो के निबंधन हेतु भारतीय निबंधन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किये जाने के कारण सरकार निबंधन फीस के रूप में ₹ 3.71 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

6.4.18 पत्थर खदान के पट्टों से प्राप्तियाँ

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 53 के तहत् पत्थर का खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा और वर्त्तमान पट्टों को शेष अवधि, जिसके लिए उन्हें पूर्व में अनुमति प्राप्त थी, हेतु जारी रखने की अनुमति दी जायेगी। किन्तु जनहित में यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो जाये कि पत्थर के खनन से पर्यावरण पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ रहा है, को छोड़ उनका नवीकरण नहीं किया जायेगा।

6.4.18.1 पत्थर खदानों के बन्दोबस्तधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 9 (क) प्रावधित करता है कि नियम 52 के तहत् विहित तरीके से कोई भी खनिज लोक नीलामी/निविदा के द्वारा पट्टे पर दी जा सकती है अथवा बंदोबस्त की जा सकती है। उपरोक्त नियमावली के नियम 52(1),(4) एवं (5) के अनुसार डाक राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर तथा प्रत्येक किस्त 31 जनवरी के पहले जमा करना होगा। यदि कोई भी किस्त निर्धारित अवधि के पहले जमा नहीं किया जाता है, तो 24 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित होगा तथा उसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी।

चार जिला खनन कार्यालयों[17] में 267 पत्थर/मोरम खदान पट्टों की संचिकाओं में से 48 संचिकाओं से हमने दिसम्बर 2012 एवं मई 2013 के बीच पाया कि दिसम्बर 2006 एवं नवम्बर 2008 के बीच 19 पत्थर/मोरम खदानें ₹ 17.27 करोड़ में पाँच वर्षों के लिए नीलाम की गयी थी। बंदोबस्तधारियों को वार्षिक आधार पर किस्तों में डाक राशि का भुगतान करना था, जो जनवरी 2013 तक ₹ 15.97 करोड़ संचित था, जिसके विरूद्ध बंदोबस्तधारियों ने दिसम्बर 2006 और फरवरी 2013 के बीच मात्र ₹ 10.07 करोड़ का ही भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.90 करोड की रॉयल्टी की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, रॉयल्टी की किस्तों का कम भुगतान किए जाने हेतु दो माह के लिए ₹ 46.44 लाख का ब्याज भी आरोप्य था। रॉयल्टी की वार्षिक किस्त के कम भुगतान के बावजूद संबंधित खनन पदाधिकारियों द्वारा 18 बंदोबस्तधारियों के विरूद्ध पट्टे के निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया गया था और न ही बकाये की वसूली हेतु लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3 (6) की अनुसूची–1 के तहत् कार्रवाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 6.36 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई **(परिशिष्ट–XV)**।

हमारे द्वारा यह इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। हम इस संबंध में आगे की प्रतिवेदन हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

[17] औरंगाबाद, गया, नवादा और शेखपुरा।

6.4.18.2 बन्दोबस्त राशि का गलत निर्धारण

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 22 (1) एवं 52 के अनुसार पत्थर खदान पट्टा के नवीकरण के लिए नियम 52 के तहत् कोई भी आवेदन पत्र सक्षम पदाधिकारी के समक्ष पट्टा समाप्ति के 90 दिनों पूर्व ₹ 5000 के शुल्क के साथ दाखिल किया जायेगा। नवादा जिलान्तर्गत पत्थर खदान पट्टों के तीन मामलों में नवीकरण का स्वीकृत्यादेश सरकार ने मार्च एवं अगस्त 2010 के बीच इन शर्तों के साथ निर्गत किया कि पट्टा के नवीकरण की बन्दोबस्त राशि, प्रति एकड़ प्रति वर्ष, प्रत्येक मामले में पिछले तीन वर्षों के औसत नीलामी राशि के आधार पर तय की जायेगी।

जिला खनन कार्यालय, नवादा के वर्ष 2011–12 के पत्थर खदान पट्टा से संबंधित संचिका की संवीक्षा में हमने दिसम्बर 2012 में पाया कि 14.80 एकड़ हेतु तीन पत्थर खदान पट्टों का दिसम्बर 2009 एवं जुलाई 2010 के बीच 10 वर्षों के लिए विगत तीन वर्षों के औसत नीलामी राशि ₹ 3.92 लाख के बदले ₹ 3.68 लाख प्रति एकड़ प्रति वर्ष के आधार पर नवीकरण किया गया था। पुनः हमने पाया कि वर्ष 2008–09 के तीन पट्टे में 5.50 एकड़ और राशि (₹ 79.51 लाख) को हटा दिये जाने के कारण और वर्ष 2008–09 के तीन मामलों में नीलामी राशि के बदले किस्त की राशि लेने के कारण अन्तर पाया गया। बन्दोबस्त राशि के इस गलत निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 35.52 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका–6.11

(₹ लाख में)

क्रम सं	मौजा/प्लॉट सं	रकवा एकड़ में	प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से भुगतान	प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से भुगतेय	अन्तर	10 वर्षों के लिए राशि
1	रतनपुर/731 (पी), 735(पी), 738(पी)	4.75	3.68	3.92	0.24	11.40
2	पन्दना/40(पी)	5.70	3.68	3.92	0.24	13.68
3	रतनपुर/731 (पी),730(पी) एवं 738(पी)	4.35	3.68	3.92	0.24	10.44
कुल		**14.80**				**35.52**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आगे की प्रतिवेदन हेतु हम प्रतिक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

6.4.18.3 पत्थर के अधिक प्रेषण हेतु रॉयल्टी की कम वसूली

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 9 (क) प्रावधित करता है कि नियम 52 के तहत् विहित तरीके से कोई भी खनिज संविदा लोक नीलामी/निविदा के द्वारा पट्टे पर दी जा सकती है अथवा बंदोबस्त की जा सकती है। उपरोक्त नियमावली के नियम 52(1) एवं (4) प्रावधित करता है कि पट्टा पाँच वर्षो से कम अवधि के लिए नहीं होगा एवं डाक राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर तथा प्रत्येक किस्त प्रति वर्ष 31 जनवरी के पहले जमा करना होगा। पुनः, यह प्रावधित करता है कि डाक राशि के समतुल्य मात्रा से अधिक उत्खनित एवं प्रेषित पत्थर की मात्रा हेतु बंदोबस्तधारी को अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। पुनः उक्त नियमावली के नियम 26 (6) के अंतर्गत सक्षम पदाधिकारी, पट्टाधारी द्वारा दी गयी मासिक विवरणियों की सत्यापन के बाद, पट्टाधारी द्वारा देय लगान/रॉयल्टी का निर्धारण करेंगे।

तीन जिला खनन कार्यालयों[18] के 140 पत्थर खदान पट्टों की संचिकाओं में से 25 संचिकाओं एवं पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी की संवीक्षा के दौरान हमने दिसम्बर 2012 एवं मार्च 2013 के बीच पाया कि दिसम्बर 2006 एवं नवम्बर 2008 के बीच चार पत्थर खदाने ₹ 95.99 लाख में नीलामी की गई थी। बंदोबस्तधारियों ने दिसम्बर 2006 एवं दिसम्बर 2012 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 164.24 लाख मूल्य के 103.71 लाख घनफीट पत्थर का उत्खनन किया, जिसके विरूद्ध उन्होंने मात्र ₹ 99.38 लाख का भुगतान किया था। बंदोवस्तधारियों द्वारा दाखिल मासिक विवरणी की जाँच करने में खनन पदाधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ₹ 64.86 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने के बाद सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आगे की प्रतिवेदन हेतु हम प्रतिक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

[18] औरंगाबाद, गया और नवादा।

6.4.19 साधारण मिट्टी के पट्टों से प्राप्तियाँ

6.4.19.1 रॉयल्टी/नियत लगान एवं ब्याज की वसूली नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 9 (1) के अनुसार खनन पट्टों की स्वीकृति समाहर्त्ता द्वारा दिया जायेगा एवं किसी भूमि के संबंध में खनन पट्टा के लिए प्रत्येक आवेदन प्रपत्र–क में ₹ 2,000 शुल्क के साथ दिया जायेगा। साधारण मिट्टी के पट्टे के लिए अनुबंध के भाग– V की उपबंध 1 एवं 2 के अनुसार पट्टेधारी प्रत्येक तिमाही अवधि के लिए नियत लगान या आरक्षित रॉयल्टी की राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा। उपरोक्त अनुबंध के भाग–VI की उपबंध 3 विहित करती है कि प्रत्येक माह के लिए खनिज निष्कासन, बिक्री, प्रेषण, रॉयल्टी, बकाये तथा भुगतान किये गए लगान से संबंधित लेखा अगले महीने के 15 तारीख के भीतर जमा करना है। अनुबंध के भाग–VI की उपबंध 4 विहित करती है कि पट्टाधारी को सरकार को देय किसी शेष राशि पर 24 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। पुनः उपरोक्त नियमावली के नियम 26 (6) के अनुसार सक्षम पदाधिकारी पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत की गयी मासिक विवरणियों की सत्यापन के बाद पट्टाधारी द्वारा देय लगान/रॉयल्टी की राशि का निर्धारण करेंगे।

जिला खनन कार्यालय, पटना के साधारण मिट्टी की पट्टो से संबंधित संचिका के अवलोकन से हमने जनवरी 2013 में पाया कि तीन नमूना जाँचित मामलों में से एक पट्टेधारी को 152.50 एकड़ भूमि के लिए साधारण मिट्टी का एक पट्टा जून 2010 से दो वर्षो के लिए स्वीकृत किया गया था। पट्टा के अस्तित्व में बने रहने के दौरान देय रॉयल्टी की राशि ₹ 3.67 करोड़ के विरूद्ध पट्टेधारी ने तिमाही अवधि के आधार पर ₹ 2.87 करोड़ का भुगतान रॉयल्टी/नियत लगान के रूप में किया था। पट्टा की समाप्ति के बाद शेष रॉयल्टी की राशि ₹ 79.74 लाख के लिए माँग लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2013) तक नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार रॉयल्टी का कम भुगतान/विलंबित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 17.96 लाख भी आरोप्य था। पट्टेधारी द्वारा जमा की गई मासिक रिटर्न सत्यापित करने में खनन पदाधिकारी की अक्रियशीलता के फलस्वरूप ₹ 17.96 लाख के ब्याज सहित ₹ 97.70 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आगे के प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

6.4.19.2 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

तटबंधों, पथों, रेलवे एवं भवनों के निर्माण में भरने अथवा समतलीकरण करने में उपयोग किए गए साधारण मिट्टी एक लघु खनिज है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना (अप्रैल 2006) के माध्यम से साधारण मिट्टी के रॉयल्टी की दर ₹ 15 प्रति घन मीटर निर्धारित किया, जिसे पुनरीक्षित (जनवरी 2012) कर ₹ 22 प्रति घन मीटर किया गया। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एवं 28 के अनुसार किसी भी उत्खनन कार्यकलापों के लिए अपेक्षित फीस भुगतान कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40 (8) अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता है, जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली शामिल है। पुनः उपरोक्त नियमावली का नियम 40(1), आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जिसे छः महीने तक अथवा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रूपये तक विस्तारित किया जा सकता है अथवा दोनों विहित करता है।

तीन जिला खनन कार्यालयों[19] में पट्टा संचिका/बैंक ड्राफ्ट पंजी के अवलोकन से हमने फरवरी एवं जुलाई 2013 के बीच पाया कि जुलाई 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान चार कंपनियों द्वारा मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु रॉयल्टी के रूप में ₹ 1.21 करोड़ की कटौती/जमा की गई थी। पुनः हमने अवलोकन किया कि इन कंपनियों के द्वारा उक्त कार्य हेतु लघु खनिज का निष्कासन बगैर खनन परमिट प्राप्त किये किया गया था। अतः उन्होंने मिट्टी का निष्कासन अवैध रूप से किया था, जिसके लिए वे नियमानुसार न्यूनतम अर्थदण्ड ₹ 1.21 करोड़ का भुगतान करने हेतु दायी थे। यद्यपि संबंधित खनन पदाधिकारियों ने न तो अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान के तहत् कोई आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की कार्रवाई आरम्भ की। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2013 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके सुस्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

6.4.20 वृहत् खनिजों से प्राप्तियाँ

बिहार राज्य में वृहत् खनिज यथा चूनापत्थर, अभ्रख, सोप स्टोन एवं सिलिका के लिए 25 खनन पट्टे चार जिलों[20] में निर्गत किये गये थे और पेट्रोलियम उत्पाद हेतु दो पूर्वपेक्षण अनुज्ञप्तियाँ भी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम एवं टाटा पेट्रोडाइन को पूर्णिया तथा बेतिया जिलों मे तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज हेतु दी गई थी। जाँच के दौरान पायी गई विसंगतियाँ अनुवर्ती कंडिकाओं में उद्धृत हैः

19 मोतीहारी, पटना और वैशाली।

20 लखीसराय– क्वार्ट्ज/क्वार्ट्जाइट हेतु एक पट्टाधारी; मुंगेर– सिलिका सैन्ड हेतु तीन पट्टेधारी; नवादा– अभ्रख हेतु तीन पट्टेधारी; रोहतास– चूनापत्थर हेतु 17 पट्टेधारी और सिलिका सैन्ड हेतु एक पट्टाधारी।

6.4.20.1 असंचालित खनन पट्टों को निरस्त नहीं किया जाना

खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 28 के अन्तर्गत जहाँ खनन परिचालन या तो खनन पट्टा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष[$] के अंदर शुरू नहीं किये जाते हैं अथवा ऐसे परिचालन शुरू होने के बाद लगातार एक वर्ष तक अवरूद्ध रहते हैं तो राज्य सरकार एक आदेश के द्वारा खनन पट्टे को समाप्त घोषित करेगी और इस फैसले को पट्टेधारी को सूचित करेगी।

$ जुलाई 2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित कर दो वर्ष किया गया था।

दो जिला खनन कार्यालयों (नवादा एवं रोहतास) के खनन पट्टा संचिका के अवलोकन से हमने दिसम्बर 2012 एवं जुलाई 2013 के बीच पाया कि नवादा एवं रोहतास जिले में बिहार राज्य खनिज विकास निगम को अभ्रख के लिए एक पट्टा एवं अन्य पट्टेधारी का आठ खनन पट्टा[21] मई 1966 से मई 1986 की अवधि के दौरान निष्पादित किया गया था, किन्तु खनन परिचालन पाँच वर्षो से लेकर 13 वर्षो की अवधि (क्रमशः वर्ष 2000 एवं 2008–09) तक अवरूद्ध रहा। विभाग द्वारा लगातार दो वर्षो तक खनन परिचालन अवरूद्ध रहने पर भी असंचालित खानों को निरस्त नहीं किया गया और न ही बेहतर खनिज विकास के लिए अन्य इच्छुक व्यक्तियों को पुनः बन्दोबस्त की गई।

हमारे द्वारा यह इंगित किए जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आगे के प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

6.4.20.2 पट्टा आवेदनों के निष्पादन में विलम्ब

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, की धारा 5 (2) (क) विहित करती है कि राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह इस बात से संतुष्ट न हो जाये कि जिस क्षेत्र के लिए पट्टे के लिए आवेदन किया गया है उसका पहले पूर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसमें खनिज पदार्थो का होना सिद्ध कर दिया गया है। खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सरकार को खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 12 माह के भीतर निष्पादन करना है।

वृहत् खनिज के पट्टा की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या, पट्टा की स्वीकृति, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या एवं निष्पादन के लिए लंबित आवेदनों की संख्या के संबंध में मई 2013 में सूचना की मांग किये जाने के बावजुद विभाग ने सूचनायें उपलब्ध नहीं किया। यद्यपि जिला खनन कार्यालय, नवादा से संग्रहित सूचनाओं से हमने पाया कि अभ्रख/क्वार्ट्ज के नये खनन पट्टों के लिए पांच आवेदन अनुमोदन हेतु निदेशक, खान को अग्रेषित किया गया था। ये सभी आवेदन दो वर्ष चार माह से लेकर 10 वर्ष नौ माह की अवधि तक लंबित थे जबकि ये सभी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 12 माह के भीतर निष्पादित किये जाने थे। नियत समयावधि मे आवेदन का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण खनिज विकास के अवरूद्ध होने के अतिरिक्त नियत लगान के रूप में राजस्व से सरकार को वंचित होना

21 मौजा–सोहडाग तिवराखुर्द, सन्राखी, खुखुमा, कसैवान बाजितपुर, भरूही, बंजारी, लेबुरा और कल्याणपुर का एक अन्य पट्टाधारी।

पड़ा। विभाग द्वारा पट्टा आवेदन पंजी का संधारण नहीं किये जाने और साथ ही इस मूल अभिलेख की अनुपस्थिति में पट्टा आवेदन के निष्पादन की स्थिति से उच्च पदाधिकारी अनभिज्ञ रहे, जो कमजोर अनुश्रवण तंत्र को दर्शाता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि पट्टा की स्वीकृति के क्रम में पट्टा आवेदन की जाँच में यथोचित समय लगता है। सरकार का जबाब तथ्य के अनुरूप नहीं है क्योंकि उपरोक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि के 12 माह के अंदर आवेदन का निष्पादन कर दिया जाये।

6.4.20.3 नियत लगान एवं भूतल लगान का आरोपण नहीं किया जाना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, की धारा 9 क (1) के अंतर्गत ऐसे खनन पट्टे का धारक पट्टे क्षेत्र से हटाए गए अथवा उपयोग में लाए गए अथवा बिक्री किए गए अथवा प्रेषित किसी खनिज के लिए रॉयल्टी का अथवा उस पट्टे क्षेत्र से संबंधित नियत लगान का, इनमें से जो भी अधिक हो, उसका देनदार होगा। इसके अतिरिक्त पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र के लिए भूतल लगान भुगतान करने के लिए भी दायी होगा। पुनः यदि रॉयल्टी या लगान का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो सरकार को देय बकाया राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी लगाया जाना है।

जिला खनन कार्यालय, नवादा में बिहार राज्य खनिज विकास निगम के अभ्रख पट्टा की संचिका की जाँच के दौरान हमने दिसम्बर 2012 में पाया कि बिहार राज्य खनिज विकास निगम को अभ्रख के लिए मौजा–सपही, नवादा के अंतर्गत 3,300 एकड़ के लिए एक पट्टा दिया गया था। मई 2006 तक के लिए नियत लगान एवं भूतल लगान के लिए मांग सृजित किया गया था और भुगतान किया गया था। उसके बाद न ही खनन पदाधिकारी द्वारा नियत लगान एवं भूतल लगान के लिए माँग सृजित किया गया और न ही निगम द्वारा उपरोक्त अवधि के लिए किसी लगान का भुगतान किया गया। बिहार राज्य खनिज विकास निगम की अभ्रख के लिए पट्टा की अवधि 2011 में समाप्त हो गयी थी। वर्ष 2000 से अभ्रख का उत्पादन बंद था और मासिक विवरणी भी जनवरी 2004 से दाखिल नहीं की गई थी। संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य खनिज विकास निगम को बन्दोबस्त अभ्रख पट्टा से संबंधित संचिका की समीक्षा नहीं किये जाने के फलस्वरूप नियत लगान एवं भूतल लगान का आरोपण नहीं हुआ और मासिक विवरणी दाखिल करना भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार वर्ष 2000 से उत्पादन अवरूद्ध रहने पर भी खनन पट्टा निरस्त नहीं किया गया था साथ ही नियत लगान एवं भूतल लगान की राशि ₹ 2.04 करोड़ की वसूली नही हुई जो निम्नवत है:

तालिका–6.12

(राशि ₹ में)

	अवधि	रकवा	माह की संख्या	दर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष	नियत लगान की राशि
नियत लगान	जून 2006 से अगस्त 2009	3,300 एकड़ (1,335.48 हे.)	39	1,200	52,08,372
	सितम्बर 2009 से दिसम्बर 2012	3,300 एकड़ (1,335.48 हे.)	40	3,000	1,33,54,800
योग					**1,85,63,172**
भूतल लगान	जून 2006 से दिसम्बर 2012	3,300 एकड़ (1,335.48 हे.)	79	17	17,93,549
कुल योग					**2,03,56,721**

हमारे द्वारा यह इंगित किए जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आगे की प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि नये खनन पट्टा/नवीकरण के लिए आवेदनों को उचित रूप से अनुश्रवण की जाए एवं बेहतर खनिज विकास, जिससे राज्य के साथ राष्ट्रीय राजस्व में वृद्धि हो सके, इसे समय पर निष्पादित किया जाये।

6.4.21 अभिवहन पास में अनियमितताएँ

बिहार खनिज (अवैध खनन के निवारण , परिवहन एवं भण्डारण) नियमावली, 2003 के नियम 4(ii) विहित करती है कि रेल या हवाई रज्जूमार्ग को छोड़कर खनिजों के सभी प्रेषणों के साथ एक चालान या अभिवहन पास संलग्न होना चाहिये। पुनः, बिहार खनिज समनुदान नियमावली के नियम 26 (6) का प्रावधान विर्निदिष्ट करता है कि सक्षम पदाधिकारी, पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत की गयी मासिक विवरणियों की सत्यापन के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे, पट्टाधारी द्वारा देय लगान/रॉयल्टी की राशि का निर्धारण करेंगे।

जून 2013 में जिला खनन कार्यालय, लखीसराय के क्वार्ट्ज/क्वार्ट्जाइट खनन पट्टा से संबंधित मासिक विवरणी के साथ अभिवहन पास के अवलोकन से हमने पाया कि पट्टाधारी ने अभिवहन पास की प्रति के साथ मासिक विवरणी दाखिल किया था। अक्टूबर 2011 एवं दिसम्बर 2011 माह के अभिवहन पास की संवीक्षा में हमने पाया कि मासिक विवरणी के साथ सामग्रियों के प्रेषण के लिए प्रयुक्त अभिवहन पास की प्रति के अनुसार दर्शाये गये 562 मी. टन के विरूद्ध मासिक विवरणी में 586 मी. टन क्वार्ट्ज खनिज का प्रेषण दर्शाया गया था। यह इंगित करता है कि कुल 24 मी. टन क्वार्ट्ज खनिज का परिवहन बिना अभिवहन पास के किया गया, जो कि उपरोक्त नियमावली का उल्लंघन था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आगे के प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

6.4.22 परिचालन के लिए सहमति

जल (प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के धारा 25 के साथ पठित वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन प्रत्येक वर्ष किसी उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से परिचालन के लिए सहमति (सी.एफ.ओ.) प्राप्त करना है।

खनन कार्य का वानिकी और पर्यावरणीय मुद्दो से निकट का संबंध है क्योंकि अधिकांश खान या तो वन में या उसके नजदीक अवस्थित है, इसीलिए यह पर्यावरण में सीधे हस्तक्षेप करता है और इसमें किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन को बाधित करने की क्षमता है। पुनः, खनिज अनवीकरणीय है। अतः इसका आर्थिक तरीके से एवं कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से खनन, हितकारी एवं जीरो वेस्ट खनन शामिल है। मई एवं जुलाई 2013 के बीच हमने पाया कि वर्ष 2011–13 के दौरान 3,795 ईंट भट्ठे संचालित थे, जिसमें से केवल 1,482 ईंट भट्ठेदारों द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से संचालन हेतु सहमति प्राप्त की गई थी। अनुरोध किये जाने के बावजूद पर्षद द्वारा पूर्व के वर्षो के लिए सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करायी गई। इस प्रकार 3,795 ईंट भट्ठों में से 2,313 (61 प्रतिशत) ईंट भट्ठे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से परिचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बगैर संचालित थे। साथ ही, सभी संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने की कार्रवाई नहीं की गई थी। यह पर्यावरण मानकों को पूरा करने के प्रति उदासीन रवैया को इंगित करता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2013) कि अवलोकन निर्देशात्मक प्रकृति की थी और बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली में इस प्रावधान को शामिल किया जायेगा।

विभाग पर्यावरण में हुये नुकसान हेतु संवर्द्धन लागत की वसूली के लिए प्रावधान के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण एवं बेहतर खनिज विकास के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के साथ समन्वय स्थापित कर सकती है।

6.4.23 निष्कर्ष

समीक्षा से खनन प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण में अनेकों त्रुटियाँ तथा नियमों एवं विनियमनों का निरन्तर अनुपालन नहीं किया जाना उद्घटित हुआ, जिसके कारण राजस्व का रिसाव हुआ। भारत सरकार द्वारा परिचारित मॉडल राज्य खनिज नीति, 2010 की तर्ज पर राज्य सरकार के पास खनिज नीति नहीं है। अनुज्ञा–पत्र, वृहत एवं लघु खनिजों का पट्टा/बन्दोबस्ती और रॉयल्टी का आरोपण एवं संग्रहण के संबंध में अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की कमी थी। अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा, महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नहीं किया जाना, विवरणियों का अवनिर्धारण/अप्रस्तुतीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण संरचना त्रुटिपूर्ण था। खान निरीक्षकों के मुख्य पद में रिक्तियाँ थी।

6.4.24 अनुशंसाओं का सार

सरकार विचार कर सकती है:

- लघु खनिजों के लिए मॉडल राज्य खनिज नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने एवं उसके क्रियान्वयन पर विचार करे।
- मूल अभिलेख जैसे अवैध खनन पंजी, पट्टा आवेदन पंजी, पट्टा नवीकरण पंजी आदि का संधारण और उच्च विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा सुनिश्चित करे।
- भंगुर पर्यावरण का संरक्षण एवं समुचित खनिज विकास के लिए बिना खनन प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान की स्वीकृति के खनन परिचालन नहीं किया जाना सुनिश्चित करे।

पटना — पी0 के0 सिंह

दिनांक: — महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — (शशि कान्त शर्मा)

दिनांक: — भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

(संदर्भ: कंडिका 2.10)

सारणी-I

विक्रय आवर्त्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री/दर (प्रतिशत में)	वास्तविक बिक्री	लेखांकित बिक्री	मूल्य का छिपाव	कर	1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पायी गई अन्तर
1	नवादा	मेसर्स बीएससी–सी एवं सीजेभी/ 10231713074	2010–11	स्टोन चिप्स/4	207500061	142279650	65220411	2608816	665248 7826448	11100512	आरटी-III / टी0ए0आर एवं अन्य व्यवसायी के क्रय विवरणी का तिर्यक जाँच
		मेसर्स टी.के इन्टरप्राइजेज/ 10231966028	2010–11	चाय/4 सबुन एवं डिटरजेन्ट/ 12.5	25460258	23257054	2203204	262291	68851 786873	1118015	आरटी-III / टी0ए0आर एवं व्यवसायी का ब्रिकी विवरणी
2	पटना केन्द्रीय	मेसर्स कमला कंस्ट्रक्शन कॉ0/ 10152986024	2009–10	सिमेंट/12.5 लोहा एवं स्टील/4	599869493	539443637	60425856	2725206	1389855 8175618	12290679	आवर्त्त का विवरण एवं आरटी-III
3	पटना विशेष	मेसर्स मैनकाईंड फार्मा लि0/ 10010466058	2010–11	दवा/4	672228119	660270182	11957937	672036[1]	231852 2016108	2919996	आरटी-III, टी0ए0आर-IV एवं निर्धारण आदेश
4	पटना पश्चिमी	मेसर्स सुजाता होटल/ 10140249051	2009–10	खाद्य एवं पेय/12.5	78441000	75911336	2529664	316208	109092 948624	1373924	आरटी-III, टी0ए0आर एवं पी/एल लेखा
कुल					**1583498931**	**1441161859**	**142337072**	**6584557**	**2464898** **19753671**	**28803126**	

[1] मूल्य के छिपाव पर कर का गणना एमआरपी (5.62 प्रतिशत की दर से) के आधार पर किया गया है।

सारणी-II
क्रय आवर्त्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री/दर (प्रतिशत में)	वास्तविक क्रय	लेखांकित क्रय	मूल्य का छिपाव	कर	ब्याज अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पायी गई अन्तर
1	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स सम्राट ऑटामोबाईल प्रा0 लिमिटेड/ 10082041097	2009– 10	मोटर वाहन/ 12.5	555118094	403740435	151377659	18922207	5960495 56766621	81649323	आरटी-III एवं अन्य व्यवसायी के बिकी विवरणी का तिर्यक जाँच
2	पटना विशेष	मेसर्स करूणा मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा0) लि0/ 10010875050	2010–11	मोबाईल फोन/4	349835217	346650691	3184526	127381	43946 382143	553470	आरटी-III एवं फार्म–'सी' का अधियाचना विवरणी
		मेसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट/ 10010167007	2010–11	सीमेंट/12.5	124868076	0	124868076	15608510	5384936 46825530	67818976	अन्य व्यवसायी से स्थानांतरित वस्तुओं का लेखांकित नही किया जाना
3	सारण	मेसर्स सोनाली ऑटो प्रा0 लि0/ 10335157021	2010–11	मोटर वाहन/ 12.5	13988968	10463524	3525444	440680	92543 1322040	1855263	आरटी-III एवं डी-IX की विवरणी
कुल					**1043810355**	**760854650**	**282955705**	**35098778**	**11481920** **105296334**	**151877032**	

सार

(राशि ₹ में)

सारणी	शीर्षक	वास्तविक बिक्री/क्रय	लेखांकित बिक्री/क्रय	मूल्य का छिपाव	कम आरोपण		
					कर	ब्याज अर्थदण्ड	कुल
I	बिक्री आवर्त्त	**1583498931**	**1441161859**	**142337072**	**6584557**	**2464898** **19753671**	**28803126**
II	क्रय आवर्त्त	**1043810355**	**760854650**	**282955705**	**35098778**	**11481920** **105296334**	**151877032**
कुल		**2627309286**	**2202016509**	**425292777**	**41683335**	**13946818** **125050005**	**180680158**

परिशिष्ट –II

(संदर्भः कंडिका 2.11)

कर का गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री	आरोप्य/आरोपित कर का दर (प्रतिशत में)	राशि, जिस पर अन्तर दर आरोपित किया जाना है।	कर	ब्याज अर्थदण्ड	कुल
1	बेगूसराय	मेसर्स गंगा डेयरी लि0/ 10360314018	2008–09	घी	12.5/4	1884040	160143	87679 480429	728251
2	बेतिया	मेसर्स कर्मा कंस्ट्रक्शन/ 10260645063	2008–09	मोरम	12.5/4	1015000	86275	47883 258825	392983
			2009–10	तथैव	12.5/4	940600	79951	29982 239853	349786
3	भागलपुर	मेसर्स त्रिवेणी सेल्स/ 1052 1597082	2009–10	चमडे का उत्पाद	तथैव	2342679	199128	68699 597384	865211
		मेसर्स मणिकांत मिश्रा/ 10523485090	2010–11	मोरम	तथैव	1691397	143769	49600 431307	624676
4	दानापुर	मेसर्स एक्वॉ सॉफ्टेक (प्रा0) लि0/ 10041343098	2009–10	मिनरल वाटर	12.5/4	3896384	331193	124197 993579	1448969
5	फारबिसगंज	मेसर्स सीमांचल कंस्ट्रक्शन/ 10440605089	2009–10	बेड मिसाईल	12.5/4	31695891	2694151	1171956 8082453	11948560
			2010–11	तथैव	12.5/4	50915731	4327837	1103598 12983511	18414946
6	गाँधी मैदान	मेसर्स सेंचूरी प्लाईबोर्डस्/ 10110508075	2010–11	प्लाई बोर्ड्स	12.5/4	170900326	14526528	3704265 43579584	61810377
7	कदमकुआँ	मेसर्स श्रीवेन इन्फोटेक लि0/ 10132357098	2010–11	स्मार्ट कार्ड रिबन आदि.	12.5/4	18611960	1582017	522065 4746051	6850133

8	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स संवाद / 10305772082	2009–10	फिक्स्ड वायरलेस फोन	4 / 0	44764307	1790572	940050 5371716	8102338
			2010–11	तथैव	तथैव	42354512	1694180	584492 5082540	7361212
9	पाटलीपुत्र	मेसर्स स्पीड क्राफ्ट लि0 / 10050003064	2009–10	डीजल रोड रोलर	12.5 / 4	68703212	5839773	1927125 17519319	25286217
			2010–11	तथैव	12.5 / 4	61930465	5264090	1737149 15792270	22793509
		मेसर्स नाफेड / 10050127030	2010–11	चावल, गेहूँ	1+3 / 0	1839151182	73566047	24276795 220698141	318540983
10	पटना केन्द्रीय	मेसर्स ओकाया पावर लि0 / 10153548089	2010–11	मोबाईल उपस्कर	12.5 / 4	4051761	344400	108486 1033200	1486086
11	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स सृष्टि डेवलपर्स (प्रा0) लि0 / 10060321051	2009–10	मोरम एवं सीमेंट	12.5 / 4	25923278	810746[2]	413480 2432238	3656464
12	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स रसना प्रा0 लि0 / 10080628098	2008–09	फ्रुट पाउडर आधारित पेय	12.5 / 4	4942686	420128	207964 1260384	1888476
13	पटना दक्षिणी	मेसर्स दयानंद प्रसाद सिंह एवं क0 / 10129324057	2010–11	डस्ट	तथैव	3196317	271687	85581 815061	1172329
14	पटना विशेष	मेसर्स मारिको लि0 / 10010186019	2009–10	मेडिकर शैम्पू	12.5 / एमआरपी	28535075	2425481	836791[3] 7276443	10538715
			2010–11	तथैव	12.5 / एमआरपी	11703727	841885	296764 2525655	3664304

2 व्यवसायी ने ₹ 2429664 का कर स्वीकार किया (₹19437313 पर 12.5 प्रतिशत की दर पर)

3 अन्तर राशि के एमआरपी मूल्य पर कर गणना की गई है।

		मेसर्स विरबैक एनिमल हेल्थ इंडिया लि0/ 10010509029	2008–09	दवाई	4/0	103900555	4156022	2181912 12468066	18806000
			2009–10	तथैव	तथैव	126432435	5057297	1744768 15171891	21973956
		मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर/ 1001005603	2010–11	ऑलिव ऑयल,सॉस	12.5/4	27026892	2297286	758104 6891858	9947248
		मेसर्स एशियन पेन्ट्स/ 10010012053	2010–11	रोड मार्किंग पेन्ट्स	12.5/4	4223500	358997	121162 1076991	1557150
		मेसर्स धरमपाल सत्यपाल लि0/ 10010184079	2010–11	जलजीरा	12.5/4	824584	70090	23655 210270	304015
		मेसर्स हिमालया ड्रग/ 10010187088	2010–11	लीव–52, प्रोटेक लिक्विड	4/0	1228314	49133	16951 147399	213483
15	पटना पश्चिमी	न्यू पटना क्लब/ 10140463033	2008–09	सिगरेट	12.5/4	203731	25466	12606 76398	114470
			2009–10	तथैव	तथैव	171454	21432	6751 64296	92479
16	पूर्णिया	मेसर्स बाबा कंस्ट्रक्शन/ 10492453044	2010–11	बेड मिसाईल	12.5/4	18793862	1597478	623017 4792434	7012929
17	सासाराम	मेसर्स मोहनी इलेक्ट्रोनिक्स/ 10240562086	2009–10	इन्वर्टर	12.5/4	431058	36640	13740 109920	160300
कुल						**2702386915**	**131069822**	**43827267** **393209466**	**568106555**

परिशिष्ट – III

(संदर्भः कंडिका 2.12)

इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति

(राशि ₹ में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	क्रय मूल्य	उपभोग किए गये इनपुट टैक्स क्रेडिट	वास्तविक हकदारी	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक उपभोग	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अनियमितताओं की प्रकृति
1	किशनगंज	मेसर्स इन्सटलसीअन्स इनाबेन्सा/ 10471721002	2010–11	39332932	3642283	2871579	770704	2312112 173408	3256224	व्यवासायी द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 7,70,704 के आई0टी0सी0 का पूर्व वर्ष से अग्रसारित कर गलत दावा किया गया है, यद्यपि 2009–10 के वार्षिक रिटर्न में यह अगले वर्ष के लिए अग्रसारित के रूप में नहीं दिखाया गया है।
2	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स पारले बिस्कुट्स प्रा0 लि0/ 10305416092	2009–10	202604287	1173387	830667	342720	1028160 118238	1489118	राज्य के अन्दर से प्राप्त भंडार की राशि पर भंडार प्राप्त करने वाले डीलर द्वारा अधिक आई0टी0सी0 का दावा किया गया था सिवाय अंतरण करने वाले व्यवसायी द्वारा राज्य के अंदर किया गया भंडार अंतरण पर रिवर्स क्रेडिट करने के।
3	नवादा	मेसर्स श्री बालाजी सेल्स/ 10230205008	2009–10	53623706	6702961	6491742	211219	633657 88712	933588	वार्षिक रिटर्न में दिखाये गये सकल क्रय पर आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था जबकि वास्तव में आई0टी0सी का लाभ शुद्ध क्रय पर लिया जाना चाहिए था जो कि प्राप्त छूट की राशि को घटाने के बाद क्रय की राशि व्यापार खाता में दिखाया गया था।
4	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स विनायक इंटरप्राईजेज/ 10080617040	2008–09	3019873843	120794952	120527376	267576	802728 136464	1206768	आई0टी0सी0 का ब्याज वार्षिक रिटर्न में दिखाए गए सकल क्रय पर लिया गया था लेकिन वास्तव में आई0टी0सी0 का लाभ शुद्ध क्रय पर लिया जाना चाहिए था जो कि लाभ हानि खाता में मूल्य ह्रास राशि को घटाकर क्रय दिखाया गया है।
			2009–10	1838972993	73558919	72981520	577399	1732197 190542	2500138	

		मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राईजेज / 10080474062	2008–09	413218347	49918555	49650572	267983	803949 120592	1192524	वार्षिक रिटर्न में लिया गया आई0टी0सी0 का लाभ वार्षिक रिटर्न/टार में दिखाए क्रय के अनुसार नहीं था एवं गलत संगणना की गयी थी।
		मेसर्स उषा एग्रो प्रोडक्ट्स लि0/ 10080523047	2009–10	17259286	740192	666926	73266	219798 36267	329331	वार्षिक रिटर्न में ल्यूब्रीकेन्ट पर आई0टी0सी0 का लाभ उपभोज्य के रूप में लिया गया था जो कि निर्माण प्रक्रिया में सीधे इनपुट के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ था।
			2010–11	27226714	1146755	1061922	84833	254499 26722	366054	
		मेसर्स दीना महाबीर रि–रॉलर (प्रा0) लि0/ 10080221086	2010–11	975459686	39090220	38832381	257839	773517 85087	1116443	वार्षिक रिटर्न में ल्यूब्रीकेन्ट, इलेक्ट्रीकल फिटिंग और मशीन मरम्मत (जैसा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दिया गया था) पर आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था, जो कि विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे इनपुट के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए थे।
5	पाटलीपुत्र	मेसर्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/ 10050225097	2010–11	1623830187	52184025	16238302	35945723	107837169 11862088	155644980	वार्षिक रिटर्न में आई0टी0सी0 का लाभ बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2006 की धारा 3एए के अंतर्गत भुगतान की गयी राशि पर लिया गया था, यधपि धारा 14 एवं धारा 4 के अंतर्गत भुगतान की गयी राशि पर ही आई0टी0सी0 का लाभ अनुमान्य था।
6	पटना उत्तरी	मेसर्स गंगोत्री आयरन एवं स्टील कॉ0/ 10100734064	2010–11	605862207	25715615	24637252	1078363	3235089 274983	4588435	वार्षिक रिटर्न में आई0टी0सी0 का दावा/लाभ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिखाये गये आई0टी0सी0 के अनुरूप नहीं था।
7	पटना विशेष	मेसर्स आई0ओ0सी लि0/ 10010116082	2010–11	59559522	2382381	0	2382381	7147143 821921	10351445	इथनॉल पर आई0टी0सी0 का दावा किया गया था जो कि उसी रूप में पूर्नबिक्री नहीं किया गया था सिवाय यह पेट्रोल/डीजल(अनुसूचित – IV की वस्तुओं)के साथ मिश्रित किया गया था इसलिए आई0टी0सी0 अनुमान्य नहीं था।
		मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लि0/ 10010066030	2010–11	43667124	2269176	0	2269176	6807528 782866	9859570	स्पेयर पाटर्स पर लिया गया आई0टी0सी0 का लाभ अनुमान्य नहीं था क्योंकि यह विनिर्माण में सीधे इनपुट सामग्री के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ था।

		मेसर्स लार्सन एवं ट्रबो लि0 / 10010213082	2009–10	395860741	28693204	4535930	24157274	72471822 12682569	109311665	वार्षिक रिटर्न में आई0टी0सी0 का दावा / लाभ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिखाये गए आई0टी0सी0 के अनुरूप नहीं था।
		मेसर्स दीपक भेज प्रो0 लि0 / 10010526004	2010–11	797091	89155	0	89155	267465 30758	387378	वार्षिक रिटर्न में सीमेंट और उपभोज्य(जैसा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है) पर आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था जो कि व्यवसायी का सीधे इनपुट नहीं था।
		मेसर्स बाटा इंडिया लि0 / 10010021022	2010–11	43056151	4438786	3125508	1313278	3939834 453081	5706193	एच0एस0डी0 एवं एल0डी0ओ0 की खरीद पर आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था जो कि अनुमान्य नहीं था क्योंकि ये सभी अनुसूची–IV की वस्तुएँ है।
		मेसर्स राज रसोई / 10010496031	2009–10	1326993	123559	52444	71115	213345 37335	321795	वार्षिक रिटर्न में एल0पी0जी0 की खरीद पर आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था जो कि विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे इनपुट उपभोज्य के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ था।
			2010–11	1305934	149395	60467	88928	266784 30680	386392	
8	सारण	मेसर्स प्रभु ऑटोमोबाईल्स / 10330327050	2010–11	1881703	235213	0	235213	705639 49395	990247	वार्षिक रिटर्न में जिन वस्तुओं पर आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था उनकी पूर्नबिक्री नहीं की गयी थी जैसा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वस्तुवार बिक्री / खरीद दिखलायी गई है।
9	तेघरा	मेसर्स ग्रेफाइट(इंडिया) लि0 / 1043169053	2010–11	1321472	148792	0	148792	446376 37942	633110	वार्षिक रिटर्न में उपभोज्य एवं भंडार की खरीद पर आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था(जैसा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है) जो कि विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किये गये थे।
कुल				**9366040919**	**413197525**	**342564588**	**70632937**	**211898811** **28039650**	**310571398**	

परिशिष्ट – IV

(संदर्भः कंडिका 2.13)

मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरूद्ध प्रवेश कर गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	प्रवेश कर का भुगतान	प्रवेश कर का समायोजन	समायोजित होने वाले प्रवेश कर की वास्तविक राशि	अन्तर (अधिक समायोजन)	ब्याज	कुल	अभियुक्ति	अभिलेख देखे गए
1	भागलपुर	मेसर्स सागर ऐजेंसी/ 10520844071	2010–11	2006830	2006830	1618672	388158	133914	522072	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III) एवं प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V)
		मेसर्स लक्ष्मी स्टोरर्स/ 10521530055	2009–10	2113593	2113593	1661121	452472	237548	690020	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III) एवं प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V)
			2010–11	6510405	6510405	5086254	1424151	491332	1915483		
2	फारबिसगंज	मेसर्स निशान गैस सर्विस/ 10440380049	2009–10	567128	567128	141782	425346	178645	603991	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V) के साथ रोड परमिट (डी-IX)
			2010–11	145653	142912	60814	82098	27092	109190		
3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स योगेन्द्र प्र0 चौरसिया एवं सन्स/ 10300345029	2009–10	379477	438716	296466	142250	74682	216932	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III) एवं प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी – V)
			2010–11	263399	412867	205780	207087	71445	278532		
4	पाटलीपुत्र	मेसर्स भारती टेलीटेक लि0/ 10050365068	2008–09	4214079	4214079	4110487	103592	52831	156423	टूटे–फूटे/ क्षतिग्रस्त मालों का समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III) एवं टी0ए0आर-IV.

		मेसर्स अमारा राजा बैटरी लि0/ 10050107048	2009–10	12801714	11621153	10770578	850575	293448	1144023	आयातित माल दुबारा नही बेचे गए परन्तु वारंटी रिप्लेसमेंट के रूप में आपूर्ति किया गया।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं टी0ए0आर-IV
		मेसर्स मिलेनियम बीयर इंडस्ट्रीज लि0/ 10050094050	2009–10	72246972	72246972	71735939	511033	176306	687339	टूटे–फूटे/ क्षतिग्रस्त मालों का समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं टी0ए0आर-IV
		मेसर्स आईआरसीटीसी लि0/ 10050163017	2010–11	3979786	3979786	622811	3356975	1107802	4464777	अन्तर्राज्यीय भंडार हस्तांतरण पर समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III), एवं टी0ए0आर-IV
5	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स मगध इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0/ 10061073092	2010–11	6731949	5181277	0	5181277	1632102	6813379	लघु, मध्यम या रूग्ण उद्योगों के अन्तर्गत व्यवसायी नही आते थे।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V) एवं बैलेंस शीट
		मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा0 लि0/ 10060425035	2009–10	6792774	4981885	4781432	200453	66149	266602	अन्तर्राज्यीय भंडार हस्तांतरण पर समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं टी0ए0आर
6	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स शार्प बिजनेस सिस्टम इंडिया लि0/ 10082205027	2009–10	566915	568444	435612	132832	41842	174674	अन्तर्राज्यीय भंडार हस्तांतरण पर समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V)एवं टी0ए0आर

		मेसर्स इंडिया यामहा मोटर प्रा0 लि0 / 10082332097	2009–10	14130817	15148787	14130817	1017970	320660	1338630	व्यवसायी चुकाए गए प्रवेश कर से अधिक का समायोजन लिया था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III) एवं प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V)
7	पटना उत्तरी	मेसर्स गंगोत्री आयरन एवं स्टील कॉ0 लि0 / 10100734064	2010–11	50158654	50158654	0	50158654	12038076	62196730	लघु, मध्यम या रूग्ण उद्योगों के अन्तर्गत व्यवसायी नही आते है।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं बैलेंस शीट
8	पटना दक्षिणी	मेसर्स हंस मार्केटिंग प्रा0 लि0 / 10125746096	2010–11	18011299	15843741	14071327	1772414	558310	2330724	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III) एवं प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V)
		मेसर्स आर0के0 इंटरप्राईजेज / 10125704095	2010–11	6350399	6350399	4585360	1765039	555987	2321026	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III) एवं प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V)
		मेसर्स रॉयल इन्फ्राकन्सक्ट्रशन लि0 / 10125782083	2009–10	926643	789581	165685	623896	196527	820423	माल दुबारा नही बेचे गए अथवा कार्य संविदा में खपत नहीं किये गये।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं डी-IX की उपयोगिता विवरणी
9	पटना विशेष	मेसर्स एचपीसीएल / 10010120059	2010–11	16990059	16990059	4247515	12742544	4396177	17138721	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं टी0ए0आर
		मेसर्स बीपीसीएल / 10010121223	2010–11	5901917	5901917	1475479	4426438	1527121	5953559	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न(आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं टी0ए0आर

		मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लि0/ 10010066030	2010–11	22545084	22545084	20005982	2539102	837904	3377006	अन्तर्राज्यीय भंडार हस्तांतरण पर समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V) एवं टी0ए0आर
		मेसर्स एसीसी लि0/ 10010002010	2008–09	36433770	36433770	35065152	1368618	697995	2066613	टूटे–फूटे/ क्षतिग्रस्त मालों के समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V) एवं निर्धारण आदेश
			2009–10	40073374	40073374	37933291	2140083	706227	2846310	टूटे–फूटे/ क्षतिग्रस्त मालों के समायोजन का दावा	
10	पटना पश्चिमी	मेसर्स अग्रवाल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन/ 10140219078	2008–09	1498950	1498950	749475	749475	393475	1142950	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी –V) एवं टी0ए0आर
			2009–10	2220609	2220609	1110305	1110304	383055	1493359		
11	सारण (छपरा)	मेसर्स सत्यम इंटरप्राईजेज/ 10330761028	2009–10	281291	281291	235413	45878	17893	63771	टूटे–फूटे/ क्षतिग्रस्त मालों के समायोजन का दावा	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी–III), प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V) एवं संविक्षा आदेश
			2010–11	332456	332456	287091	45365	9527	54892		
12	सासाराम	मेसर्स नशीमुद्दीन एवं सन्स/ 10242253087	2009–10	4123020	4123013	3228432	894581	335468	1230049	मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर से कम था।	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर0टी– III) एवं प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई0टी–V)
			2010–11	3832164	3832165	3008944	823221	160528	983749		
कुल				**343131180**	**337509897**	**241828016**	**95681881**	**27720068**	**123401949**		

नोटः उन मामलों में जहाँ व्यवसायी अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण पर प्रवेश कर के समायोजन का दावा किया था, हमने अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण की सीमा तक प्रवेश कर के अनुपातिक अंश को लेते हुये गलत अनुमति की गणना की है।

परिशिष्ट – V

(संदर्भः कंडिका 2.14)

कटौतियों की गलत अनुमति

(राशि ₹ में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	अमान्य कटौती का मद	दर (प्रतिशत में)	ऐसी कटौती की राशि	अनुमान्य कटौती	स्वीकृत अधिक कटौती जिसपर कर आरोप्य है	दावा स्वीकृत/ अधिक कटौती पर कर	अभिलेख देखे गए
1	भभुआ	मेसर्स दयानंद प्रसाद सिन्हा एवं क0/ 10181534094	2010–11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	186019198	139925359	46093839	2235551	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं ब्रिकी/क्रय विवरणी
		मेसर्स दर्शिता विल्डरस् एवं डेवलपर्स/ 10181282088	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	14541102	9856070	4685032	219260	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
		मेसर्स परमार कंस्ट्रक्शन/ 10182354035	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	8929327	5868322	3061005	143255	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
2	भागलपुर	मेसर्स मणिकांत मिश्रा/10523485090	2010–11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	9451357	6759473	2691884	222081	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
3	फारबिसगंज	मेसर्स जय माता दी कंस्ट्रशन/ 10441747059	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	103525450	75241142	28284308	1491997	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
			2010–11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	140651866	110962903	29688963	1540857	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
4	गया	मेसर्स मल्टी इंजिनियरिंग एव सांइनटिफिक कॉ/ 10201653058	2008–09	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	4	37195599	33161080	4034519	161381	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
			2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	4	21392100	16869454	4522646	180906	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा

5	हाजीपुर	मेसर्स मेक्रो रंजन कंस्ट्रक्शन (प्रा0) लि0 / 10290474018	2009–10	सामग्री पर लाभ एवं अन्य खर्चे	12.5 एवं 4	33892589	30315852	3576737	250055	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
6	जहानाबाद	मेसर्स चित्रगुप्त कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 / 10220374058	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	27920239	20048818	7871421	448671	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
		मेसर्स बैजनाथ निमार्ण (इंडिया) प्रा0 लि0 / 10221070033	2010–.11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	53367265	35423016	17944249	1998989	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
7	कदमकुआँ	मेसर्स लिली कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 / 10131552031	2009–10	सुरक्षा जमा, रॉयल्टी आदि	12.5 एवं 4	34514796	24158719	10356077	474805	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं निर्धारण आदेश
			2010–11	ढुलाई	12.5 एवं 4	23171273	19632860	3538413	163853	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं भूगतान विवरण
8	मेतिहारी	मेसर्स माँ कंस्ट्रक्शन / 10274189076	2010–11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	11017653	7776830	3240823	325217	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
		मेसर्स जगदम्बा इंटरप्राईजेज / 10274083055	2010–11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	12697276	8085225	4612051	360893	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
9	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स बीएससी सी एवं सी. जेभी / 10310938011	2010–11	सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	3500960455	3425110111	75850344	3890857	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा, टी0ए0आर एवं श्रम एवं सेवाएँ का विवरणी
10	पाटलीपुत्र	मेसर्स सांई इंजिकॉन एवं कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 / 10050450040	2009–10	स्थापना खर्चे एवं सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	281969360	197991531	83977829	3644637	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं ब्रिकी / क्रय विवरणी
11	पटना कन्द्रीय	मेसर्स साज इंटरप्राईजेज / 10154018087	2010–11	स्थापना मूल्य, स्पेयर पार्ट्स एवं सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	102259437	83604143	18655294	841354	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं ब्रिकी / क्रय विवरणी

12	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स सृष्टि डेवलपर्स प्रा0 लि0 / 10060321051	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	125870800	103200924	22669876	1186009	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं लाभ एवं हानि लेखा
13	पटना दक्षिणी	मेसर्स दयानंद प्रसाद सिंह एवं क0 / 10129324057	2010–11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	111402251	71500509	39901742	2159423	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं ब्रिकी / क्रय विवरणी
14	पटना विशेष	मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट एवं मार्केटिंग लि0 / 10010474012	2008–09	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	1017050942	81148633	935902309	53943069	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) , टी0ए0आर एवं खर्च विवरणी
			2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	549753958	59039835	490714123	34852971	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) , टी0ए0आर एवं खर्च विवरणी
15	पटना पश्चिमी	मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि0 / 10145032079	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	127250631	113705417	13545214	929120	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) , टी0ए0आर.IV एवं निर्धारण आदेश
			2010–11	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	403766036	185319556	218446480	16350719	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं ब्रिकी / क्रय विवरणी
16	सारण	मेसर्स सत्यदेव प्रसाद यादव / 10333535034	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	14704308	8807607	5896701	338067	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आरटी– III) एवं संविदा लेखे
17	ससाराम	मेसर्स ए0के0 बिल्डर्स एवं ट्रॉसपोर्टस् / 10240936021	2009–10	स्थापना एवं अन्य खर्चे और सामग्री पर लाभ	12.5 एवं 4	60197974	29801532	30396442	1784271	वार्षिक रिटर्न (आरटी– III), प्राप्ति एवं खर्चो की विवरणी
कुल						**7013473242**	**4903314921**	**2110158321**	**130138268**	

परिशिष्ट – VI

(संदर्भः कंडिका 2.25)

आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्रमसं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	वस्तु/दर	वास्तविक क्रय लेखांकित क्रय	छिपाव	प्रवेश कर	अर्थदण्ड ब्याज (1.5 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से)	कुल
1	भभुआ	ईको सीमेंट/ 10183420037	2010–11	मोटर वाहन/8	4731936 शून्य	4731936	378555	1135665 79496	1593716
2	भागलपुर	मेसर्स एनटीपीसी लि0/ 10521193271	2010–11	सीमेंट/12 एवं इलेक्ट्रीकल सामान/8	25679671391 25540836877	138834514	11317849	33953547 3565122	48836518
3	फारबिसगंज	बीएससी–सी एवं सी. जेभी/ 10442081235	2008–09	मोटर वाहन, इलेक्ट्रीकल सामान, लुब्रिकेन्ट एवं फरनेस ऑयल/सॉफ्टवेयर, आयरन और स्टील/4, ए0सी0/5 और सीमेंट/12	107333737 शून्य	107333737	4830242	14490726 2970599	22291567
			2009–10		306882720 शून्य	306882720	23942979	71828937 10415196	106187112
			2010–11		12699799 शून्य	12699799	1002955	3008865 255754	4267574
4	हाजीपुर	मेसर्स लुम्बिनी बेवेरेज/ 10290083205	2009–10	प्लास्टिक सामान/4 एवं फरनेस ऑयल/8	58346315 17371711	40974604	1658630	4975890 597107	7231627
5	मुजफ्फरपुर पूर्वी	बीएससी–सी एवं सी. जेभी/ 10310938011	2010–11	सीमेंट/12, पेन्ट, लुब्रिकेन्टस्, फरनेस ऑयल जेनसेट/8, स्टील, बिटुमिन, स्टोन चिप्स/4	65364018 शून्य	65364018	5229121	15687363 1333426	22249910

6	नवादा	मेसर्स ट्वीनडरजीत माईनिंग एवं कंस्ट्रक्शन/ 10231616274	2009–10	डीजीसेट, मोटर वाहन /8 एवं आयरन और स्टील/4	10055785 1796787	8258998	635546	1906638 114398	2656582
			2010–11		57606817 10172417	47434400	3511078	10533234 895324	14939636
		मेसर्स सी एवं सी कंस्ट्रक्शन/ 10231619247	2010–11	फरनेस ऑयल एवं लुब्रिकेन्ट/8	248178685 234126620	14052065	1124165	3372495 286662	4783322
7	पटना विशेष	मेसर्स लार्सन टर्बो लि0/ 10010213276	2009–10	इलेक्ट्रीकल सामान, भवन साम्रगी/8 एवं ए0सी0/5	758442227 303079246	455362981	36356977	109070931 19087413	164515321
		मेसर्स दीपक वेजप्रो लि0/ 10010526295	2010–11	इलेक्ट्रीकल सामान, लुब्रिकेन्ट/8, आयरन एवं स्टील/4	16275527 232313	16043214	656141	1968423 226369	2850933
		मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0/ 10010121223	2010–11	पेट्रोल, डीजल/16 एवं एसकेओ/4	8959395255 8131487493	827907762	95062908	285188724 32796706	413048338
8	सारण (छपरा)	बी0एस0एस0 प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0/ 10334657059	2009–10	मोटर वाहन /8	6845097 शून्य	6845097	547608	1642824 213567	2403999
9	शाहाबाद	मेसर्स जेकेएम इंफ्रा प्रोजेक्ट (प्रा0) लि0/ 10163045217	2008–09	मोटर वाहन /8	55312570 शून्य	55312570	4425006	13275018 2256753	19956777
			2009–10		79205764 6113230	73092534	5847403	17542209 1929643	25319255
			2010–11		17396771 402048	16994723	1359578	4078734 203936	5642248
कुल					**36443744414 34245618742**	**2198125672**	**197886741**	**593660223 77227471**	**868774435**

परिशिष्ट – VII

(संदर्भः कंडिका 2.26)

प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री	आरोप्य दर (अनुसूची में प्रविष्टि की संख्या)/आरोपित[4] दर	आयात मूल्य	कर राशि में अंतर	अर्थदण्ड ब्याज	कुल
1	फारबिसगंज	मेसर्स पदम गैस डिस्ट्रीब्यूटर/ 10440351240	2009–10	एलपीजी	4 (26)/1	7747568	232427	697281 101106	1030814
2	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स ईई, बीएसएनएल इलेक्ट्रीकल डिवीजन/ 10312398055	2010–11	डी0जी सेट	8(17)/4	4732903	189316	567948 48276	805540
3	पाटलीपुत्र	मेसर्स भारती एयरटेल लि0/ 10050212293	2009–10	बैट्री एवं डी0जी सेट	8(17)/4	9721988	388879	1166637 134163	1689679
		मेसर्स बीएसएनएल/ 10050190274	2009–10	इलेक्ट्रीकल सामान	8(17)/4	110866218	4434649	13303947 1529954	19268550
		मेसर्स वोडाफोन एस्सार स्पेशटल लि0/ 10050339266	2009–10	डी0जी सेट, पीआईयू एवं ट्राँसफार्मर	8(17)/4	77276519	3091061	9273183 1020050	13384294
4	समस्तीपुर	मेसर्स चंदन भंडार/ 10420911276	2008–09	जर्दा	16(2)/5	288216	31704	95112 10938	137754
कुल						**210633412**	**8368036**	**25104108** **2844487**	**36316631**

4 व्यवसायी ने गलत दर पर कर स्वीकार किया था, अर्थात् अनुसूची द्वारा समर्थित नहीं था। अतः निधारिती द्वारा लगाया गया अनुसूची की प्रविष्टि संख्या उल्लेखित नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट – VIII

(संदर्भः कंडिका 2.27)

निबंधन नहीं किये जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री	राशि (सामान का मूल्य)	प्रवेश कर का दर (प्रतिशत में)	प्रवेश कर[5]	अर्थदण्ड	कुल
1	भागलपुर	मेसर्स के0सी0 इंडेन सेवा/ 10520247036	2008–09	एलपीजी	5962635	4	238505	238505	477010
		मेसर्स हाई–टेक सेल फोन प्रा0 लि0/ 10525535014	2010–11	सेलफोन	34061848	4	1362474	1362474	2724948
2	दानापुर	मेसर्स विजन लैब्स् इंस्टीच्यूट/ 10041050061	2008–09	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	27748833	4	1109953	1109953	2219906
3	गाँधी मैदान पटना	मेसर्स इलट्रिक्स इंजिनियरिंग प्रा0 लि0/10111201026	2010–11	इलेक्ट्रीकल सामग्री	10813937	8	865114	865114	1730228
		मेसर्स एनसीएस कम्प्यूटेक प्रा0 लि0/ 10111355095	2010–11	कम्प्यूटर सामग्री	20268280	4	810731	810731	1621462
		मेसर्स कनोदिया डिस्ट्रिब्यूटर/ 10110762021	2009–10	लुब्रिकेन्ट	9674448	8	773956	773956	1547912
			2010–11	लुब्रिकेन्ट	9769829	8	781586	781586	1563172
		मेसर्स फास्ट्रैक कम्यूनिकेशन प्रा0 लि0/ 10111212024	2010–11	टेलीफोन/ मोबाईल	129417557	4	5176702	5176702	10353404

5 दो व्यवसायियों, मे0 के0 सी0 इण्डेन सेवा (भागलपुर अंचल) तथा मे0 अभिनय इंटरप्राइजेज (गया अंचल) को छोड़ प्रवेश कर, मूल्यवर्द्धित कर के विरूद्ध पूर्णतः समायोजन के लायक है (कुल ₹ 6.61 करोड़ के भुगतेय प्रवेश कर में से ₹ 6.58 करोड़, मूल्यवर्द्धित कर, के दायित्व के विरूद्ध पूर्णतः समायोजन के लायक है।)

4	गया	मेसर्स अभिनय इंटरप्राईजेज/ 10200021033	2009–10	एलपीजी	4891080	4	195643	195643	391286
		मेसर्स फ्रेन्ड्स एवं क0/ 10204015008	2008–09	लुब्रिकेन्ट	4566151	8	365292	365292	730584
			2009–10		7779471		622357	622357	1244714
			2010–11		5860844		468868	468868	937736
5	मधेपुरा	मेसर्स एमआरएस इंटरप्राईजेज/ 10481006074	2008–09	सेरेमिक टाईल्स	1237234	8	98979	98979	197958
			2009–10	तथैव	1339828	8	107186	107186	214372
		मेसर्स पशुपति नाथ डिस्ट्रिब्यूटर प्रा0 लि0/ 10481019072	2009–10	पैकिंग साम्रगी	2189137	4	87565	87565	175130
			2010–11	तथैव	4882113	4	195285	195285	390570
6	नवादा	मेसर्स सूर्या ऑटोमोबाईल/ 10230031087	2010–11	मोटर वाहन बोलेरो डी	2566592	8	205327	205327	410654
7	पटना दक्षिणी	मेसर्स माइक्रोमैक्स इंफोरमेटिक्स लि0/ 10125905079	2009–10	मोबाईल, पार्ट्स एवं उपस्कर, सिम कार्ड और टेलीफोनिक उपस्कर	1048432848	4	41937314	41937314	83874628
8	पटना पश्चिमी	मेसर्स टाटा पिगमेंट्स लि0/10140707085	2009–10	सीमेंट, प्राईमर आदि	28199562	8	2255965	2255965	4511930
			2010–11		33769695	8	2701576	2701576	5403152
9	पूर्णिया	मेसर्स हाई–टेक सेल फोन प्रा0 लि0/ 10493778016	2009–10	मोबाईल	59223869	4	2368955	2368955	4737910
			2010–11	मोबाईल	82781466	4	3311259	3311259	6622518
		मेसर्स विशाल मोटर्स/ 10490845075	2009–10	लुब्रिकेन्ट	950704	8	78000	78000	156000
कुल					**1536387961**		**66118592**	**66118592**	**132237184**

परिशिष्ट –IX

(संदर्भः कंडिका 3.9)

उत्पाद दूकानों के निरस्तीकरण के बाद अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

(राशि ₹ में)

उत्पाद जिला	समूह संख्या	दूकानों का नाम	मासिक अनुज्ञा शुल्क	निरस्तीकरण का दिनांक	माह, जिसके लिए अनुज्ञा शुल्क बकाये थे	माह, जिसके लिए अनुज्ञा शुल्क बकाया थे (एक माह का अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के समायोजन के बाद)	राजस्व की कम वसूली
सिवान	10	सीएस–10	2,94,000	04.02.2012	10/11 से 02/12	04	11,76,000
		सीएस–तरवाडा–01	1,27,050	04.02.2012	12/11 से 02/12	02	2,54,100
	12	सीएस–12	2,94,000	04.02.2012	11/11 से 02/12	03	8,82,000
		सीएस–अंडर–1	1,22,500	04.02.2012	01/12 से 02/12	01	1,22,500
	29	सीएस–महाराजगंज –2	1,61,000	04.02.2012	01/12 से 02/12	01	1,61,000
		आईएमएफएल–महाराजगंज–2	1,42,500	04.02.2012	01/12 से 02/12	01	1,42,500
	78	सीएस–बगौरा	1,66,250	04.02.2012	12/11 से 02/12	02	3,32,500
	70	कम्पोजिट–मथैया (ग्यासपुर)	1,15,000	04.02.2012	10/11 से 02/12	04	4,60,000
		कम्पोजिट–सिसवान	1,20,000	04.02.2012	11/11 से 02/12	03	3,60,000
	107	कम्पोजिट–दिनदयालपुर	1,15,000	04.02.2012	11/11 से 02/12	03	3,45,000
	104	कम्पोजिट–सहर कोअला	1,30,000	04.02.2012	12/11 से 02/12	02	2,60,000
	75	कम्पोजिट–पसीवार बजार	1,15,000	04.02.2012	11/11 से 02/12	03	3,45,000
		कम्पोजिट–सकारा बाजार	1,15,000	04.02.2012	12/11 से 02/12	02	2,30,000
	57	कम्पोजिट–नरेन्द्रपुरा	1,15,000	04.02.2012	11/11 से 02/12	03	3,45,000
गया	78	कम्पोजिट–नैली, खुखरी, मनियारा, सारेन	81,500	31.03.2012	02/12 से 03/12	01	81,500
	79	कम्पोजिट–माई, बथैनी, तेलारी, सिंधौल	81,500	30.01.2012	12/11 से 01/12	01	81,500
	100	कम्पोजिट–घोराघाट, अंगारा, पंचरत्न, खुशबीजा	81,500	30.01.2012	12/11 से 01/12	01	81,500
कुल							**56,60,100**

परिशिष्ट –X

(संदर्भः कंडिका 4.8)

मोटर वाहनों पर करों की वसूली नही किया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं0.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	कुल निबंधित परिवहन वाहनों की संख्या	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	चूककर्त्ता वाहनों की संख्या	कर गणना की अवधि	कर				अर्थदण्ड	वसूल नहीं किए गए कर
						पथ कर	अतिरिक्त कर	हरित कर	कुल		
1	अरवल	173	82	15	मार्च 2010 से 2012	88732	189133	1267	279132	558264	837396
2	बेगुसराय	5899	309	43	जून 2011 से अगस्त 2012	241628	90776	0	332404	664808	997212
3	बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)	1092	225	21	अक्टूबर 2009 से मार्च 2012	62706	68564	3927	135197	270394	405591
4	भागलपुर	6232	940	24	मार्च 2009 से मई 2012	254817	77168	6323	338308	676616	1014924
5	भोजपुर	4393	100	06	अक्टूबर 2010 से अप्रैल 2013	14093	27820	0	41913	76512	118425
6	गया	17281	600	75	जून 2010 से अप्रैल 2013	345281	257318	0	602599	1087091	1689690
7	गोपालगंज	1794	300	39	मार्च 2008 से मार्च 2012	884189	403053	26423	1313665	2627330	3940995
8	जहानाबाद	1040	586	37	जून 2008 से मार्च 2012	477216	234977	3420	715613	1431226	2146839
9	मधेपुरा	724	200	21	फरवरी 2008 से जून 2012	61287	120234	0	181521	363042	544563
10	मधुबनी	607	95	19	मई 2009 से जून 2012	219639	249991	29722	499352	998704	1498056

11	मेतिहारी(पूर्वी चम्पारण)	3720	225	11	जुलाई 2010 से अगस्त 2012	83012	9400	626	93038	186076	279114
12	मुंगेर	4445	750	17	जुलाई 2009 से मार्च 2012	176487	79825	22372	278684	557368	836052
13	मुजफ्फरपुर	26052	200	34	अगस्त 2008 से जुलाई 2012	197476	760731	32361	990568	1981136	2971704
14	नालंदा	4575	750	17	मार्च 2008 से मार्च 2012	350808	414809	6821	772438	1544876	2317314
15	पटना	45462	600	132	मई 2010 से अप्रैल 2013	1976570	471176	168633	2616379	4577475	7193854
16	पूर्णिया	6797	600	37	फरवरी 2008 से मार्च 2012	336337	295171	21067	652575	1305150	1957725
17	सीतामढी	441	85	15	मई 2009 से मई 2012	132049	141879	10743	284671	569342	854013
18	सिवान	1776	300	27	अप्रैल 2008 से मार्च 2012	344553	432920	40180	817653	1635306	2452959
19	वैशाली	1946	400	81	अप्रैल 2008 से जून 2012	356995	556886	8197	922078	1844156	2766234
कुल		**134449**	**7347**	**671**		**6603875**	**4881831**	**382082**	**11867788**	**22954872**	**34822660**

परिशिष्ट –XI

(संदर्भः कंडिका 4.9)

ट्रेलर से एकमुश्त कर की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम सं0.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	कुल निबंधित वाहनों की संख्या (ट्रेलर)	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	चूककर्त्ता वाहनों की संख्या	निबंधन की अवधि	देय कर (एकमुश्त)	भुगतान किया गया कर	भुगतेय कर का अन्तर	अर्थदण्ड	कुल
1	अरवल	70	70	16	अप्रैल 2010 से नवंबर 2010	96000	11100	84900	169800	254700
2	बेगुसराय	712	712	38	अक्टूबर 2009 से फरवरी 2012	228000	148885	79115	275742	354857
3	बेतिया	600	225	66	अप्रैल 2010 से जून 2010	396000	111140	284860	580520	865380
4	भागलपुर	257	257	27	अप्रैल 2010 से फरवरी 2011	162000	155407	6593	252986	259579
5	भोजपुर (आरा)	1280	1280	10	दिसंबर 2010 से फरवरी 2012	60000	43797	16203	48906	65109
6	जहानाबाद	85	85	26	अप्रैल 2010 से सिंतबर 2010	156000	45900	110100	238800	348900
7	मधेपुरा	150	150	32	मार्च 2010 से जून 2010	192000	73200	118800	237600	356400
8	मधुबनी	357	357	37	मार्च 2010 से जून 2010	222000	85200	136800	273600	410400
9	मुंगेर	55	55	2	मार्च 2010	12000	1200	10800	21600	32400
10	मुजफ्फरपुर	112	112	39	दिसंबर 2009 से अप्रैल 2011	234000	164699	69301	280924	350225

11	नालंदा	227	227	28	अप्रैल 2010 से अगस्त 2010	168000	65289	102711	287022	389733
12	पटना	612	612	110	मार्च 2009 से अप्रैल 2010	660000	141459	518541	1037082	1555623
13	पूर्णिया	200	200	46	जनवरी 2010 से जून 2010	276000	98200	177800	383200	561000
14	सीतामढी	157	157	13	सिंतबर 2009 से मार्च 2010	78000	28800	49200	98400	147600
15	वैशाली	772	772	29	दिसंबर 2009 से अगस्त 2010	174000	47230	126770	255525	382295
कुल		**5646**	**5271**	**519**		**3114000**	**1221506**	**1892494**	**4441707**	**6334201**

परिशिष्ट –XII

(संदर्भः कंडिका 4.10)

तीन पहिया वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम सं0.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	कुल निबंधित वाहनों की संख्या (तीन पहिया)	नमूना जाँचित वाहनों की संख्या	चूककर्त्ता वाहनों की संख्या	निबंधन की अवधि	देय कर (एकमुश्त)	भुगतान किया गया कर	भुगतेय कर का अन्तर	अर्थदण्ड	कुल
1	अरवल	30	30	6	सिंतबर 2010 से नवंबर 2010	35000	2785	32215	64430	96645
2	बेगूसराय	373	373	28	अक्टूबर 2009 से मार्च 2012	167500	64497	103003	229552	332555
3	भागलपुर	214	214	47	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010	245000	175291	69709	417478	487187
4	भोजपुर (आरा)	338	338	68	फरवरी 2010 से जनवरी 2011	370000	142739	227261	652366	879627
5	गोपालगंज	40	40	18	अक्टूबर 2009 से जून 2010	90000	7046	82954	165908	248862
6	जहानाबाद	493	435	39	अप्रैल 2010 से सिंतबर 2010	210000	78316	131684	296105	427789
7	मधेपुरा	300	300	60	मार्च 2010 से अगस्त 2011	407500	51148	356352	712704	1069056
8	मेतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	599	599	6	मार्च 2012	42500	42500	0	28125	28125
9	मुंगेर	98	98	16	जुलाई 2009 से फरवरी 2010	85000	105603	– 20603	113348	92745
10	मुजफ्फरपुर	250	250	55	जनवरी 2010 से फरवरी 2010	355000	202064	152936	537661	690597

11	नालंदा	441	441	85	अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2010	545000	215122	329878	999756	1329634
12	पटना	363	363	28	नवंबर 2009 से मार्च 2010	140000	12152	127848	255696	383544
13	पूर्णिया	400	400	83	अप्रैल 2010 से जून 2010	417500	75658	341842	710584	1052426
14	सीतामढी	275	275	57	अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010	312500	19062	293438	586876	880314
15	वैशाली	597	597	79	नवंबर 2009 से मार्च 2010	417500	36216	381284	762568	1143852
कुल		**4811**	**4753**	**675**		**3840000**	**1230199**	**2609801**	**6533157**	**9142958**

परिशिष्ट- XIII
(संदर्भः कंडिका–5.17)
भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण

(राशि ₹ में)

क्रम सं0	केस संख्या	नगरपालिका क्षेत्र वार्ड संख्या	क्षेत्र (डिसमिल में)	दिशा निर्देश रजिस्टर के अनुसार मूल्य	आईआरओ द्वारा निर्धारित मूल्य	अन्तर	10 प्रतिशत के दर पर राजस्व की हानि
1	5/2009	01	187.5	3795000	780000	3015000	301500
2	3/2010–11	01	37.5	1665000	231000	1434000	143400
3	17/2010–11	01	10.9375	960750	116500	844250	84425
4	01/2010–11	01	22.86	1014540	100000	914540	91454
5	20/2010–11	01	100.00	5328000	516000	4812000	481200
6	26/2010–11	01	85.5	4555440	551500	4003940	400394
7	27/2010–11	01	71.875	3830000	201000	3629000	362900
8	22/2010–11	34	12.5	659813	160000	499813	49981
9	25/2010–11	01	85.5	4555440	551500	4003940	400394
10	15/2010–11	01	85.82	4572490	535000	4037490	403749
11	24/2010–11	34	25.00	1319625	390000	929625	92963
12	4/2010–11	01	60.00	2670172	289000	2381172	238117
13	8/2010	01	23.00	1554000	100000	1454000	145400
14	12/2010–11	02	21.87	1921500	232000	1689500	168950
15	शून्य	01	67.1875	2590000	263000	2390000	239000
16	शून्य/7/2009	01	137.5	6105000	705000	5400000	540000
17	शून्य/6/2009	01	68.75	3052500	300000	2752500	275250
18	11/2010	34	40.62	2144391	610000	1534391	153439
19	शून्य/19.02.2009	14 (पुराना)	19	1292000	300000	992000	99200
20	2/14.01.2010	32/35	62.5	2443750	100000	2343750	234375
21	5/2010	01	27.72	1439004	134000	1305004	130500
22	6/2010	01	32.41	1439004	156000	1283004	128300
23	7/2010	01	26.56	1179375	115000	1064375	106438
24	9/2010	14	15.62	1275000	250000	1025000	102500
कुल				**61361794**	**7686500**	**53738294**	**5373829**

परिशिष्ट-XIV
(संदर्भः कंडिका–6.4.13)
माईनिंग प्लान के अनुमोदन के बिना खनिजों का उत्खनन

(राशि ₹ में)

क्रम सं0	जिला का नाम	पट्टेधारी का नाम	खनिजों का नाम	क्षेत्र (एकड)	उत्खनन का वर्ष	उत्खनन (एम.टी.)	दर	अर्थदण्ड (खनिज का मूल्य)
1	लखीसराय	मेसर्स आई0डी0आई0 ओ0 कंस्ट्रक्शन एवं उद्योग (इंडिया) लि0	क्वार्ट्ज / क्वार्ट्जाईट	48.92	2006–07	14918		अनुपलब्ध*
					2007–08	42196		
					2011–12	2870		
					2012–13	49340		
2	मुंगेर	श्रीमति शांति देवी	सिलिका स्टोन	17	2008–09	12030	270	3248100
					2009–10	19100	350	6685000
					2010–11	16220	328	5320160
3	रोहतास	मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट प्रा0 लि0	लाईमस्टोन	131.9	2009–10	566674.21	45	25500339
					2010–11	871684.39	63	54916117
					2011–12	506786.26	63	31927534
					2012–13	586213.28	63	36931437
कुल								**164528687**

* बिहार राज्य हेतु क्वार्ट्ज खनिज का ब्रिकी मूल्य अनुपलब्ध है। लाईम स्टोन की ब्रिकी मूल्य (बिहार) के अभाव में रॉयल्टी का दर खनिज के मूल्य के एक अवयव के रूप में लिया गया है।

परिशिष्ट–XV

(संदर्भः कंडिका–6.4.18.1)

पत्थर खदानों के बन्दोबस्तीधारी से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

(₹ लाख में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	खदानों की संख्या	नीलामी की तिथि	नीलामी की राशि	देय किस्त की राशि	भुगतान की गयी राशि	कम भुगतान	2 प्रतिशत प्रति माह के दर पर दो माह तक आरोप्य ब्याज	कुल राशि जो वसूली किया जाना है
1	औरंगाबाद	2	नवंबर–08	79.50	69.00	63.97	5.03	1.42	6.45
2	गया	8		885.21	826.61	562.24	264.37	23.74	288.11
3	नवादा	3	दिसंबर 2006 एवं अगस्त 2008 के मध्य	336.86	276.41	147.22	129.19	7.91	137.10
4	शेखपुरा	6	जनवरी 2007 एवं अगस्त 2007 के मध्य	425.42	425.42	233.89	191.53	13.37	204.90
कुल		**19**		**1726.99**	**1597.44**	**1007.32**	**590.12**	**46.44**	**636.56**